मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में पारित आदेश दि0 14.02.2023 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या ।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में दिनांक 14.02.2023 को आदेश पारित किये गये है। जिसमें प्रभावी अंश निम्नवत है।

"In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate to have response of (1) the State of Uttarakhand though chief Secretary, Government of Uttarakhand, (2) Uttarakhand State PCB (UKSPCB), (3) the divisional Forest Officer (DFO), Pithoragarh and(4) the District Magistrate (DM), Pithoragarh, who stand imploded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attached memo of parties to the application. Notices along with the copies of the application and documents attached with the same be issued to respondents no. 1 to 4 requires them to file their replies within two months to by email at judicial ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of image PDF. 6 List for futher consideration on 12-05-2023.

"In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constituted a Joint committee comprising of UKSPCB, DFO, and DM, Pithoragarh and direct tha same to meet within two weeks, undertake visits to the sote, look into the grievances of the application, associate the applicant and representatives of the concerned project proponents, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponents. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–01)

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183–665/2023/1917 दिनांक 10.03.2023 द्वारा निम्नानुसार संयुक्त निरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया। (संलग्नक–02)

1. उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, पिथौरागढ़।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

तद्कम में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपाल में क्षेत्रीय कार्यालय यूकेपीसीबी के पत्रांक यूकेपीसीबी/आर0ओ0एच0/रिट/23/2 907–1133 दिनांक 16.03.2023 द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा निर्धारित संयुक्त निरीक्षण तिथि 21.02.2023 को आवेदक श्री इन्दर सिंह ग्राम–बजेता तहसील मुनस्यारी तथा श्री राजेन्द्र दफौटी हल्द्वानी को संयुक्त निरीक्षण में सम्मलित होने हेतु अनुरोध किया गया। (संलग्नक–03)

उपरोक्त अनुपालन में सयुक्त जॉच समिति द्वारा संदर्भित स्थल का निरीक्षण दिनांक 21.03.2023 को किया गया। संयुक्त जॉच में आवेदक इन्दर सिंह तथा प्रतिवादी राजेन्द्र सिंह दफौटी उपस्थित नहीं थे तथा जॉच में आवेदक के प्रतिनिधि श्री पुष्कर सिंह ग्राम–बजेता, तहसील–तेजम, पिथौरागढ़ तथा मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी के प्रतिनिधि श्री कुवर सिंह कोरंगा सम्मिलित थे। संयुक्त जॉच में उपस्थिति निम्नवत रहीः–(संलग्नक–04)

1. श्री भूपाल सिंह रौतेला ना0 तहसीलदार, तेजम, राजस्व विभाग पिथौरागढ़।
2. श्री ज्वाला प्रसाद उपप्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. श्री हरीश चन्द्र जोशी सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी।
4. श्री राहुल नेगी खान निरीक्षक/प्र0 खान अधिकारी पिथौरागढ़।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न अधिकारी उपस्थित थे।

1. श्री भुवन चन्द्र पन्त, अधिकारी सर्वेक्षक, पिथौरागढ़।
2. श्री प्रकाश चन्द्र कापडी, राजस्व निरीक्षक, वास वगड पिथौरागढ़।
3. श्री रमेश सिंह वन दरोगा, वन गिरीगांव अनुभाग पिथौरागढ़।
4. श्री शुभम गुसाई अवर अभियन्ता उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी।

2.0 संयुक्त जॉच के दौरान प्रभारी खान अधिकारी भू–तत्व एवं खनिकर्म इकाई, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत ग्राम– बजेता, तहसील–तेजम, जिला–पिथौरागढ़ में मै0 जे0डी0 मिनरल्स, प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी को सोप स्टोन के खनन हेतु सशर्त अनुमति प्राप्त है। किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को ग्राम–बजेटा में खनन हेतु अनुज्ञा प्रदान नहीं की गयी है। उक्त फर्म को प्राप्त अनुमति/सहमति का विवरण निम्नवत हैः–

2.1 भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड़, भोपालपानी, पो0 बड़ासी, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1257/मु0ख0/खनन/144/पिथौ/भू0खनि0ई0/2018–2019 दिनांक 24.07.2021 द्वारा खनिज आंकलन, खनिज भण्डारण का सत्यापन हेतु प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बंद करने की योजना का अनुमोदन विभिन्न शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन अनुमोदित किया गया है। (संलग्नक–5)

2.2 राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 653, इन्दिरानगर कालोनी, सीमाद्वार रोड़, देहरादून (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गठित) के पत्रांक E.C.No-266-01(83)/2019 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र स्व0 श्री नन्दन सिंह दफौटी बी–54, जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी जनपद–नैनीताल के पक्ष में पर्यावरण स्वीकृति 68231 टन प्रति वर्ष हेतु प्रदान की गयी है। (संलग्नक–6)

2.3 उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–01 के पत्रांक सं0 1425/VII-A-1/2021/1(13)/18 देहरादून दिनांक 23.09.20221 द्वारा मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र स्व0 श्री नन्दन सिंह दफौटी बी–54, जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी जनपद–नैनीताल के पक्ष में जनपद–पिथौरागढ़, तहसील–मुनस्यारी के ग्राम–बजेता के क्षेत्रान्तर्गत कुल 17.967हे0भूमि में सोप स्टोन के खनन पट्टा हेतु उत्तराखण्ड़ गौण खनिज नीति–2015 (यथासंशोधित) के प्राविधानानुसार सोप स्टोन का 50 (पचास) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा सशर्त स्वीकृत किया गया है। (संलग्नक–7)

2.4 उत्तराखण्ड़ उपखनिज परिहार नियमावली–2021 के नियम–14 के प्राविधानानुसार खनन पट्टा विलेख/अनुबंध दिनांक 12.11.2021 को उत्तराखण्ड़ सरकार (प्रथम पक्ष) तथा मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र स्व0

श्री नन्दन सिंह दफौटी बी–54, जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी जनपद–नैनीताल (द्वितीय पक्ष) के मध्य किया गया। (संलग्नक–8)

2.5 बोर्ड मुख्यालय उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक यूकेपीसीबी/एचओ/ एनओसी–7294/ 2021/635 दिनांक 23.08.2021 के द्वारा मै0 जे0डी0 मिनरल्स, ग्राम–बजेता तहसील–मुनस्यारी ,जनपद–पिथौरागढ़, को पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से स्थापनार्थ सहमति (Consent to Establish) पत्र निर्गमन किया गया। तद्पष्चात् बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एचओ/सहमति/जे–131/2021/1223 दिनांक 26.11.2021 के द्वारा सशर्त दिनांक 31.03.2022 तक संचालनार्थ सहमति निर्गत की गयी है। अग्रेतर बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एचओ/सहमति/जे–131/2022/1923 दिनांक 31.03.2022 के द्वारा सशर्त दिनांक 31.03.2027 तक संचालनार्थ सहमति नवीनीकरण किया गया है। (संलग्नक–9)

2.6 भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड़, भोपालपानी, पो0 बड़ासी, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2350/मु0ख0/खनन/144/पिथौ/भू0खनि0ई0/2018–2019 दिनांक 23.09.2022 द्वारा खनिज आंकलन, खनिज भण्डारण का सत्यापन हेतु प्रस्तुत संशोधित खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बंद करने की योजना का अनुमोदन विभिन्न शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन अनुमोदित किया गया है। (संलग्नक–10)

3.0 राजस्व विभाग, खनन विभाग तथा वन विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 18.03.2023 को प्रश्नगत स्थल की संयुक्त जॉच कर आख्या उपजिलाधिकारी मुनस्यारी को प्रेषित कि गयी है। किये गये निरीक्षण के क्रम में विवरण निम्नवत है:–

3.1 पट्टाधारक द्वारा बिना अनुमति के 500 मी0 लंबी सड़क राज्य सरकार की भूमि पर काटी गयी है तथा स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर 40 मी0 लंबाई तथा 15 मी0 चौडाई कुल 600 वर्ग मी0 में खनन कार्य किया गया है।

3.2 पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य के दौरान निकले मलवे को ढालदार स्थल पर डाला गया है। जिससे भुजगाढ़ नदी, जल श्रोत, पैदल मार्ग तथा गौचर प्रभावित है तथा खनन स्थल से प्राथमिक विद्यालय की दूरी 75 मी0 है। (संलग्नक–11)

3.3 संदर्भित स्थल की जॉच वन क्षेत्राधिकारी मुनस्यारी द्वारा पूर्व में दिनांक 15.03.2023 को की गयी है। निरीक्षण में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा बिना अनुमति के 500 मी0 लंबाई व 4 मी0 चौडी अवैध सड़क का निर्माण किया गया है तथा खनन व सड़क निर्माण से जनित मलवे को वन भूमि में 20 मी0 लंबाई व 15 मी0 चौडाई तथा 50 मी0 लंबाई व 10 मी0 चौडाई क्षेत्र में डाला गया है। जिससे 0–10 से0मी0 व्यास गोलाई के 40 पेड़ 10–20 से0मी0 गोलाई के 30 पेड़ तथा 20–30 से0मी0 व्यास गोलाई के चीड़ के पेडों को क्षति पहुची है। इस तरह कुल 0.28 है0 वन भूमि तथा 70 शास्य व छोटे पेडों तथा 10 बडे चीड़ के पेडों को क्षति पहुची है।

वन विभाग द्वारा अवैध खनन तथा पेडों के क्षति के संबंध में उत्तराखण्ड़ वृत उ0कु0वृत अल्मोड़ा खण्ड़ पिथौरागढ़ द्वारा वन अपराध भा0व0अ0 1927 की धारा 32, 33 प्रसूचना सं0 04 दिनांक 15.03.2023 रेन्ज मुनस्यारी के तहत पट्टाधारक के विरूद्ध कुल मूल्य रू 321778.00/– की विधिक कार्यवाही की गयी थी। पट्टाधारक द्वारा वन पंचायत बेजता में अवैध खनन व पातन हेतु रू0 105000/– जमा किये गये है। (संलग्नक–12)

4.0 स्थलीय निरीक्षण में आवेदक के शिकायती पत्र के कथन के क्रम में बिन्दुवार निम्नवत स्थिति पायी गयी है।

1. **आवेदक का कथन है कि ग्राम–बजेता, तहसील–मुनस्यारी (तेजम), जिला–पिथौरागढ़ एक दूरस्थ गांव है, जहा के निवासी मूलतया पशु पालन व कृषि पर निर्भर है। बजेता के तोक रोपासैण में चीड़ का घना जंगल है और**

नीचे भुजगाढ़ नदी बहती है यह क्षेत्र भू–धसाव के अन्तर्गत आता है। भूकंप के लिहाज से यह क्षेत्र अति संवेदनशील है व जोन 05 में आता है।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि ग्राम–बजेता के तोक रोपासैंण में खनन क्षेत्र के आसपास स्थानीय झाडिया तथा चीड़ का जंगल है तथा खनन क्षेत्र से नीचे की ओर पूर्व दिषा में भूजगाढ़ नदी बहती है। भूसंवेदनशिल क्षेत्र के संबंध में कार्यालय भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेषालय उत्तराखण्ड़ जिला टास्क फोर्स, पिथौरागढ़ द्वारा पत्रांक 17/जि0टा0फो0–पिथौ0/खनन/भू0निरी0/2018–19 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को पत्र प्रेषित किया गया है। आख्यानुसार प्रस्तावित स्थल भौगोलिक दृष्टिकोण से समुद्र तल से लगभग 1441 मीटर की उचाई पर उत्तर 29°56′53.2″ अक्षांश, पूरब 80°14′05.8″ देशान्तर के मध्य अवस्थित है क्षेत्र में भूधसाव दृष्टिगोचर नहीं होता है तथा जनपद पिथौरागढ़ का अधिकांश भाग geotectoniczone के अन्तर्गत आता है। समिति उक्त कथन से सहमत है। (संलग्नक–13)

2. **यह कि विपक्षी राजेन्द्र सिंह दफोटी ने पूर्व प्रधान बसन्त सिंह से मिल कर बजेता के तोक रोपासैण में खड़िया खनन का प्रस्ताव तैयार किया उस हेतु ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर कर अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किया। फर्जी हस्ताक्षरों की रिपोर्ट थाना नाचनी में देने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की और अवैध तरीके से खनन को मंजूरी दे दी।**

उक्त कथन के संबंध में पट्टाधारक प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी को सोप स्टोन के खनन हेतु बिन्दु संख्या–02 के अनुसार सक्षम स्तर अनुमति प्राप्त है। फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में दिनांक 09.03.2022 द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर थाना नाचनी पर मु0 एफ0आई0आर0 नं0 79/22 धारा–420 भा0द0वि बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार तेजम के पत्रांक संख्या 79/जांच –पत्रावली/2022–23 दिनांक 21.03.2023 के कम में थानाध्यक्ष नाचनी द्वारा अवगत कराया गया है कि मु0अपराध संख्या 07/22 धारा–420 आई0पी0सी0 बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी में हस्त लेख मिलान (एफ0एस0एल0) विधि विज्ञान अनुसंधान दिल्ली भेजा गया है। रिपोर्ट अप्राप्त है। विवेचना जारी है। (संलग्नक–14)

3. **यह कि खनन के स्वीकृति के बाद विपक्षीगणों के द्वारा स्वीकृति भूमि से अलग बेनाप भूमि में खनन किया जा रहा है और इनके द्वारा चीड़ के हरे पेडों का अवैध कटान किया जा रहा है कि अवैध रूप से खनन की शिकायत व पेडों की कटान की रिपोर्ट जिलाधिकारी पिथौरागढ़ व प्रभागीय वनाधिकारी को देने पर रेन्जर मुनस्यारी मौके पर आये व उन्होने खनन कर्ता को वेनाप भूमि में खनन न करने व 150 चीड़ के हरें पेडों की भरपाई की बात कहीं परन्तु खनन कर्ता को इनका कोई असर नहीं हुआ व उनके द्वारा अवैध खनन बदस्तूर जारी रखा है।**

संयुक्त जॉच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र के अतिरिक्त लगी राज्य सरकार की भूमि पर 40 मीटर लंबाई तथा 15 मीटर चौडाई कुल 600 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है तथा बिना अनुमति के 500 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौडी सड़क काटी गयी है तथा जनित मलवे को वन भूमि में ढलानी क्षेत्र में 20 मी0 लंबाई तथा 15 मी0 चौडाई तथा 50 मी0 लंबाई व 10 मी0 में डाला गया है, जिससे 2800 वर्ग मीटर वन भूमि प्रभावित हुई है। जिससे 0–10 से0मी0 व्यास गोलाई के 40 पेड, 10–20 से0मी0 व्यास गोलाई के 30 पेड़ व 20–30 से0मी0 व्यास गोलाई के 10 पेडों को क्षति पहुची है। जिसकी मौके पर पैमाईस व आंकलन राजस्व, खनन एवं वन विभाग द्वारा किया गया है। जो पूर्व प्रेषित आख्यानुसार है। निरीक्षण के दौरान खनन तथा अन्य कार्य नहीं किया जा रहा था।

4. **यह कि जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर पट्टी पटवारी व कानूनगो बासबगड़ मौके पर विपक्षी गणों के गड़ी में आयें, विना खनन पर रोक लगाए उन्ही के वाहनों मे चले गये।**

समिति के समक्ष आवेदक प्रतिनिधि द्वारा कोई तथ्यात्मक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है।

5. **यह कि खनन कर्ता के अवैध खनन का सारा मलुवा सीधे नीचे भुजगाड़ नदीं में डाला जा रहा है, जिससे भुजगाड़ नदीं मैली हो चुकी है जो समाचार पत्रांक में प्रकाशित हुआ है। भूधॅसाव से पूरे गांव का धसने का खतरा उत्पन्न हो गया है तथा लोगों का गौपचर पनघट, आम रास्ता बन्द कर दिया है।**

संयुक्त जॉच के दौरान अपितु खनन कार्य नहीं किया जा रहा था। तथापि पूर्व में खनन से जनित मलवे को ढालधार वन भूमि में डाला गया है, जिससे बजेता से बासबगढ़ पैदल सम्पर्क मार्ग तथा जल श्रोत तथा गौचर प्रभावित है तथा समीप गधैरे के माध्यम से मलवा भुजगाढ़ नदी के तट तक पहुचा है, निरीक्षण के दौरान भुजगाढ़ नदी सामान्य प्रवाह से प्रवाहित थी। समिति उक्त कथन से सहमत है (संलग्नक–15)

6. **यह कि रिपोर्टरों ने अवैध खनन की कई बार शिकायत जिला प्रशासन पिथौरागढ़ को की है परन्तु जिला प्रशासन अवैध खनन रोकने व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खनन हासिल करने के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।**

उक्त कथन के संबंध में राजस्व, खनन तथा वन विभाग पिथौरागढ़ द्वारा पूर्व में निरीक्षण कर आख्या प्रेषित कि गयी है। फर्जी दस्तावेजों के संबंध में विवेचना थाना पुलिस नाचनी, पिथौरागढ़ में विवेचना जारी है। खनन विभाग द्वारा पट्टाधारक का ई रवन्ना पोर्टल तत्काल Suspend किया गया है तथा वन विभाग द्वारा पट्टाधारक के विरूद्ध अवैध खनन तथा अवैध पातन के संबंध में रू0 321778/– की विधिक कार्यवाही कि गयी है।

7. **यह कि रिपोर्टरों की किसी भी अधिकारी व संस्थान के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। यदि अवैध खनन इस तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में संबंधित क्षेत्र के ग्रामीणों की भूमि जल श्रोत मकान स्कूल वन इत्यादि संसाधन जल्दी ही समाप्त हो जाएगें तथा ग्रामीणों बेघर व संसाधन विहीन हो जाएगें।**

उक्त कथन के संबंध में उपस्थित खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टाधारक के विरूद्ध स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर खनन कार्य किये जाने के संबंध में अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है तथा पट्टाधारक ई–रवन्ना पोर्टल तत्काल Suspend किया गया है। वन विभाग द्वारा अवैध खनन तथा पातन के संबंध में विभागीय कार्यवाही की गयी है। (संलग्नक–16)

5.0 प्रकरण के मुख्य बिन्दु, तथा निष्कर्ष

5.1 संयुक्त जॉच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा निर्धारित खनन क्षेत्र के अतिरिक्त लगी भूमि पर (40 मीटर लंबाई तथा 15 मीटर चौडाई कुल 600 वर्ग मीटर) क्षेत्र में सोप स्टोन का खनन किया गया है तथा (500 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौडी) सड़क काटी गयी है तथा जनित मलूवा को ढालादार वन भूमि में (2800 वर्ग मीटर) डाला गया है। जिससे चीड़ के 70 छोटे वृक्ष तथा 10 बड़े वृक्ष क्षतिग्रस्त है। जॉच के दौरान खनन पट्टाधारक प्रतिनिधि द्वारा उक्त संबंध में कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

5.2 संयुक्त निरीक्षण के दौरान स्थल पर सोप स्टोन खनन तथा अन्य कार्य नहीं किया जा रहा था। पूर्व में खनन से जनित मलवे को ढालधार वन क्षेत्र में डालने से स्थित पैदल मार्ग, जल स्रोत व गौचर प्रभावित है। मलवा समीप गधैरे के माध्यम से भुजगाढ़ नदी के तट तक पहुचा है, निरीक्षण के दौरान भुजगाढ़ नदी सामान्य प्रवाह से प्रवाहित थी।

5.3 प्रश्नगत स्थल का पूर्व में संयुक्त निरीक्षण राजस्व, खनन व वन विभाग पिथौरागढ़ द्वारा जॉच कर आख्या प्रेषित कि गयी है। खनन विभाग द्वारा पट्टाधारक का ई–रवन्ना पोर्टल दिनांक 21.03.2022 को बंद किया गया है। वन विभाग द्वारा पट्टाधारक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर रू0 321778/– की राशि आरोपित की गयी है। तद्क्रम में पट्टाधारक द्वारा रू0 105000/– जमा किये गये है।

5.4 स्पष्ट है कि संदर्भित स्थल में निर्धारित खनन क्षेत्र से अतिरिक्त स्थल में सोप स्टोन खनन व सड़क काटी गयी है व जनित मलवे को समीपस्त वन क्षेत्र में डाला गया है। जिससे स्थित पैदल मार्ग, गौचर, जल स्रोत व वन भूमि प्रभावित है तथा पट्टाधारक द्वारा पूर्व में निर्गत अनुमति/सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है।

6.0 उपचारात्मक उपाय

6.1 पट्टाधारक को विरूद्ध पूर्व में निर्गत अनुमति/सहमति में निर्दिष्ट शर्तो के अन्तर्गत कार्यवाही की जायें। अवैध खनन को बंद किया जायें तथा अवैध खनन से हुई राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति पट्टाधारक से की जाये।

6.2 खनन से पूर्व में निस्तारित मलवे को रोकने हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाये तथा वर्षा जल के निष्कासन की उचित व्यवस्था कि जायें जिससे समीपस्थ गधैरा तथा भुजगढ नदी प्रभावित न हो। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जायें।

6.3 पर्यावरणीय संतुलन हेतु अनुउपयोगी भूमि, राजस्व, वन पंचायत भूमि में कार्य योजना तैयार कर वृक्षा रोपण किया जायें तथा उपरोक्त हेतु धनराशि की प्रतिपूर्ति पट्टाधारक से की जाये।

6.4 क्षेत्र में अवैध खनन की निगरानी हेतु जिला स्तर पर टास्क फोर्स द्वारा नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायें।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है। (संलग्नक–17)

अतः इस प्रकरण में गठित जांच समिति की रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0वैज्ञा0अधि0
यूकेपीसीबी, हल्द्वानी।

(ज्वाला प्रसाद)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़

(राहुल नेगी)
प्रभारी खान अधिकारी
पिथौरागढ़।

(भूपाल सिंह रौतेला)
ना0तहसीलदार तेजम
पिथौरागढ़।

संलग्नक - 1

Item No. 2 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

(Through Physical Hearing with Hybrid VC Option)

Original Application No. 78/2023

Durga Singh Pawar & Ors. ...Applicants

Versus

Rajendra Singh Dafoti & Ors. ...Respondents

Date of hearing: 14.02.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.

Applicant: None.

ORDER

Application under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010.

1. The applicants- Inder Singh and other residents of Village Bajeta, Tehsil Munsihari (Tejam), District Pithoragarh, Uttarakhand have filed the present application under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010 complaining that Rajendra Singh Dafoti in collusion with Basant Singh Ex-Pradhan Gram Panchayat and others forged No Object Certificate (NoC) with fake signature of the villagers and procured mining lease in question in respect of land measuring 17.967 hectares in the above said village. The village is located in extreme slope and comes in the disaster zone. Mining in the site in question may lead to land-slide endangering the residences of the villagers, the water stream, gochar, panghat, Government school and the passage. The Project Proponent is carrying out illegal mining in land other than the land leased out and is cutting green Chid (Pine) trees and throwing the over burden in Bujgarh River. The applicants made complaint to the

District Magistrate and Divisional Forest Officer, Pithoragarh but the concerned officers/officials made wrong reports in favour of the Project Proponent and no action has been taken on the same.

2. *Prima facie*, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

3. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) the State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttarakhand, (2) Uttarakhand State PCB (UKSPCB), (3) the Divisional Forest Officer (DFO), Pithoragarh and (4) the District Magistrate (DM), Pithoragarh, who stand impleaded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attached memo of parties to the application. Notices alongwith the copies of the application and documents attached with the same be issued to respondents no. 1 to 4 requiring them to file their replies within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of UKSPCB, DFO and DM, Pithoragarh and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned project proponents, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law

and giving opportunity of being heard to the project proponents. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 12.05.2023.

7. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the DFO, State PCB and District Magistrate, Pithoragarh by e-mail for compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 14, 2023
AG

संलग्नक-2

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)
E-Mail:- msukpcb@yahoo.com

पत्रांक: यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–665/2023/1917, दिनांक 17.03.2023

पंजीकृत डाक/ई–मेल द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर/समयबद्ध

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, पिथौरागढ़।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह डफौटी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.02.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह डफौटी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.02.2023 का अवलोकन करना चाहें। प्रकरण ग्राम बजेता, तहसील मुन्स्यारी (तेजम) जिला पिथौरागढ में श्री राजेन्द्र सिंह डफौटी एवं अन्य द्वारा 17.967 है0 क्षेत्र में प्राप्त खनन की अनुमति एवं खान क्षेत्र से बाहर खनन किये जाने के सम्बन्ध में है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण पर नियमानुसार निरीक्षण करते हुए वस्तुस्थिति हेतु निम्नलिखित विभागों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है:–

1. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, पिथौरागढ़।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। प्रकरण पर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कार्यवाही सहित दो माह के अन्तर्गत Factual and Action Taken Report मा0 एन0जी0टी0 में दाखित की जानी है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश एवं वादी द्वारा दाखिल आवेदन की छायाप्रति संलग्न हैं।

विषयगत प्रकरण में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी (मो0नं0–9412017089, ई–मेल–ro.haldwani@gmail.com) को नामित किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयगत प्रकरण में संयुक्त कमेटी का सदस्य नामित करने का कष्ट करें, ताकि स–समय निरीक्षण कर मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 के0 पटनायक)
सदस्य सचिव।

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अधिकारी, यू0के0पी0सी0बी0, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, यू0के0पी0सी0बी0, हल्द्वानी को इस आशय के साथ कि संयुक्त कमेटी के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर स–समय निरीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें (मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश एवं वादी द्वारा प्रेषित शिकायत की प्रति संलग्न है)।

सदस्य सचिव।

संलग्नक-3

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)
UKPCB
Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ रिट/ 23/2907- 1133 Dt 16/03/23

सेवा में

1. उपजिलाधिकारी, मुनस्यारी पिथौरागढ़।
2. श्री ज्वाला प्रसाद, उपे प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग / डीडीहाट, पिथौरागढ वनप्रभाग पिथौरागढ़।
3. श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी यू0के0पी0सी0बी0 हल्द्वानी।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद मूल आवेदन संख्या 78 / 2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिहं डफौटी एवं अन्य में पारित आदेश दि0 14.02.2023 के अनुपालन में सयुक्त निरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 78 / 2023 दुर्गा सिंह पवार एवं बनाम राजेन्द्र सिहं डफौटी एवं अन्य दि0 14.02.2023 के अनुपालन में प्रशनगत खनन क्षेत्र ग्राम बजेता तहसील– मुनस्यारी का सयुक्त स्थलीय निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा निर्धारित दि0 21.03.2023 को पूर्वाहन 11:00 बजे प्रस्तावित है। आप संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्य नामित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि व समय पर उपस्थित होकर सन्दर्भित स्थल का संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग करना चाहेंगे। जिससे संयुक्त निरीक्षण आख्या सदस्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मा0 राष्टीय हरित अधिकरण को यथा समय आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग पिथौरागढ़।
4. श्री इन्दर सिहं एवं अन्य ग्राम– बजेठा तहसील– मुनस्यारी (तेजम), जिला– पिथौरागढ़ को उक्त दिवस में उपस्थित रहने की अनुरोध के साथ प्रेषित।
5. श्री राजेन्द्र सिहं डफौटी, 54 जज फार्म छोटी मुखानी हल्द्वानी, जिला– नैनीताल को उक्त दिवस में उपस्थित रहने की अनुरोध के साथ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या 98/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में पारित आदेश दि0 14.02.2023 के अनुपालन मं गठित संयुक्त जॉच समिति द्वारा दि0 21.03.2022 को स्थलीय निरीक्षण में उपस्थिति का विवरण।

क सं0	नाम	पदनाम / विभाग / ग्राम	हस्ताक्षर
01	भूपाल सिंह रौतेला	ना० तहसीलदार राजस्व विभाग बेरीनाग	Rautela
02	ज्वाला प्रसाद	उप प्रभागीय वनाधिकारी, पि०गढ़	[illegible]
03	हरीश चन्द्र जोशी	सहा० वैज्ञा० अधि० UKPCB	[illegible]
04	प्रकाश चन्द्र कापड़ी	राजस्व निरीक्षक थाँसबगड़	[illegible]
05	राहुल नेगी	खान निरीक्षक / प्र० खनन अधिकारी	[illegible]
06	भुवन चन्द्र पन्त	माधिकारी बेरीनाग	[illegible]
07	बलेश सिंह वन दरोगा	वन दरोगा गिरगाँव अनुभाग	[illegible]
08	राजेन्द्र सिंह सामंत	स० उ० नि० थाँसबगड़	R-S-Sant
09	पुष्कर सिंह	आवेदक प्रतिनिधि ग्राम बजेता	पुष्कर सिंह
10	पुष्कर राम सिंह	ग्राम बजेता	[illegible]
11	आनन्दी देवी	ग्राम बजेता	आनन्दी देवी
12	कुंवर सिंह कोरंगा	प्रतिनिधि जे० डी० मिनरल्स उद्यान बजेता मुनस्यारी	Kumar Singh
13.	शुभम गुसाईं	अवर अभियंता (UKPCB)	[illegible]

Rautela

संलग्नक-5

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट–बड़ासी, देहरादून।

संख्या 1257/मु0ख0/खनन/144/पिथौ0/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 24 जुलाई, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दाफौटी, बी–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2248/VII-I/2018/1(13)/18 दिनांक 12–10–2018 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता के क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि में 50 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत क्षेत्र हेतु सीमांकित क्षेत्रफल 17.967है0 की प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना को कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण, खनिज–माईनिंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015–16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015, एवं पत्र संख्या 302/मु0ख0/26(टी0सी0) भू0खनि0ई0/2015–16 दिनांक 17 जून 2020 को जारी गाईड लाईन के दृष्टिगत राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं नव प्रस्तावित क्षेत्रों में ड्रिलिंग मशीन हेतु पहुंच मार्ग की कठिनाई के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या 2138/मु0ख0/26टी0सी0/भू0खनि0ई0/2015–16, दिनांक 28.11.2020 के द्वारा राज्य के अन्तर्गत नव प्रस्तावित खनन पट्टों हेतु क्षेत्र में खनिज का सत्यापन ट्रेंचिंग–पिटिंग विधि से किये जाने की छूट प्रदान किये जाने तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-I/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के प्रस्तर– 3 (दो) (1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए कार्यालय आदेश संख्या 489/खनन/भू0खनि0ई0/2021–22 दिनांक 28 मई 2021 के द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 22.07.2021 के क्रम में आर0क्यू0पी0 श्री पंकज पाण्डे, द्वारा तैयार की गयी खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माईनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के प्रथम वर्ष में 9435 टन, द्वितीय वर्ष में 11511 टन, तृतीय वर्ष में 13404 टन, चतुर्थ वर्ष में 15631 टन एवं पंचम वर्ष में 18250 टन के उत्पादन खनिज आंकलन, खनिज भण्डारण का सत्यापन हेतु प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :–

1. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पायां जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
3. खनन कार्य एवम खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित खनन योजना एवं एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अनुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।
4. आवेदक द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2248/VII-I/2018/1(13)/18 दिनांक 12–10–2018 द्वारा निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जाना होगा।
5. आवेदक द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति से पूर्व मशीनीकृत माइनिंग हेतु रू0 2.00 लाख बैंक गारन्टी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म मशीनीकृत हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. आवेदक द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2248/VII-I/2018/1(13)/18 दिनांक 12–10–2018 आशय पत्र (Letter of Intent) की शर्त संख्या–4 के अनुसार आवेदक द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601(अ) दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के क्रम में जारी शासनादेश सं0 1621/VII-1/212–ख/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना होगा एवं तद्नुसार पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
7. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
8. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।

9. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एव दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
10. इस खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
11. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म का आकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
12. The Occupational safety Health and Working Conditions Code-2020 की अनुपालना की जानी होगी।
13. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
14. आवेदक जिस खंत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
15. भू-संदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू-संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होगें।
16. अनुमोदित खनन योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/आवेदक का होगा।

संलग्नकः खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

(बृजेश कुमार संत)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्याः 1257 /मु0ख0/खनन/144/पिथौ0/मू0खनि0ई0/2018-19तददिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आई0टी0 पार्क देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ।
6. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पिथौरागढ।
7. जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दाफौटी, बी-54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
8. श्री पंकज पाण्डे पुत्र श्री रमेश चन्द्र पाण्डे निवासी बी-/213, श्री नाथजी बिहार सीतपुर लखनऊ।

(बृजेश कुमार संत)
निदेशक।

संलग्नक-6

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 653, इन्दिरानगर कालोनी, सीमाद्वार रोड, देहरादून– 248006
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गठित)
दूरभाष: 0135–3510581
ईमेल: seiaa.seac.uk@gmail.com

State Level Environment Impact Assessment Authority, 653, Indiranagar Colony, Seemadwar Road, Dehradun-248006
(Constituted by Ministry of Environment, Forests and Climate Change Government of India)
Phone No- 0135-3510581
Email- seiaa.seac.uk@gmail.com

E.C.No-266-01(83)/2019 Dated- 18-08-2021

To,

M/s J.D. Minerals,
Shri Rajendra Singh Dafoti,
R/O-B-54 Judge Farm, Choti Mukhani, Haldwani District-Nainital.

Sub: Environmental Clearance under EIA notification dated 14.09.2006 for Extraction of Soapstone at Vill- Bajeta, Tehsil- Munsari, Dist- Pithoragarh. (Area-17.967 Ha).

Kindly take reference to your online proposal No SIA/UK/MIN/66045/2021 submitted to SEIAA Uttarakhand regarding aforementioned subject. The details about the project site and proposal for EC as per the documents submitted by the project proponent is as under:-

S.No	Details	Reply
1	Name of the Proponent	M/s J.D. Minerals Shri Rajendra Singh Dafoti.
2	Project Site	Village: Bajeta, Tehsil - Munsyari, District- Pithoragarh
3	Project Site Coordinates	Latitude - 29°56'44.53"N to 29°57'13.56"N Longitude- 80°13'51.75"E to 80°14'08.96"E
4	Type of project	Mining as per Schedule 1(a) of EIA Notification 2006
5	Mine Lease Area	17.967 Ha
6	Project Category as per EIA Notification 2006	B-1
7	New or Ongoing Site	New Site
8	Letter of Intent	Letter of intent has been issued by state government to M/s J.D. MINERALS vide Letter No Vide LOI no. 2248/VII-1/2018/1(13)/18 dated 12.10.2018 for a period of 50 years.
9	Method of Mining	Opencast Mechanized Method
10	Total Mineable Reserve	250614 Tonnes
11	Estimated Quantity	68231tonnes/annum
12	Thickness of soil	0.20m (average thickness)
13	Mining Shall be carried out from	In pit I 30m (from 1460mRL to 1430mRL) in pit II, 18m (From 1420mRL to 1402mRL).
14	Mine area under cluster	Applied area greater than 5.0hectare.
15	Slopes and ultimate face slope	Face slope of benches shall be 70° and the ultimate slope will be 38°
16	No. of Pits(Proposed Exploration)	Two Pits viz Pit-I & II
17	Project Cost/EMP Cost	₹67.34 Lacs ₹10.52 Lacs
18	Corporate Environment Responsibility (CER)	5 % of the project cost
19	Whether any tree felling is involved	No

The SEAC during its meeting held on 6th August, 2021 had undertaken appraisal of the above project. It has been found that the proposal is classified under Category B1 of EIA Notification 2006. The proponent has submitted PFR, EMP and other relevant documents as desired. After due examination of the relevant documents/certificates submitted by the project proponent and additional clarification furnished in response to its observations earlier, SEAC has recommended the grant of Environmental Clearance for the above project, subject to compliance of the EMP and other stipulated conditions. SEIAA during its meeting dated 10th – 11th August, 2021 considered the above proposal based on the recommendation of SEAC. After due examination and deliberation, the SEIAA Uttarakhand hereby accords Environmental Clearance for the above project under category B-1 of

EIA notification 2006 (as amended from time to time) subject to the strict compliance with the General, Specific and other conditions mentioned below:-

1- **General Conditions**

1. The mining/extraction of mineral and progressive mine closure should be done as per the approved mine plan. The mine plan should have validity till the mining period
2. The Proponent will ensure that mine site should have well demarcated safety zone i.e. mining operation will not be carried out in the vicinity of 100 m from nearby bridges, educational institution or structures of historical importance.
3. The project area shall be strictly used for the activities permitted. The workers will be strictly instructed to not to enter in the adjoining forest and not to harm any wildlife and existing vegetation for their various needs. No work shall be carried out after sunset
4. The overall manpower will be restricted to bare minimum. Though mostly local labour will be deployed, but for the essential manpower staying at site, not fuel wood based support will be provided for cooking purpose.
5. Sufficient numbers of dustbins will be provided to labourers for collection of their daily use garbage, Bio-degradable & solid garbage will be collected in separated bins & proper disposal of these garbage will be ascertained.
6. At no stage mining shall be carried out after exhausting extraction of the estimated mineable quantity as stated above.
7. The mining operation would provide local employment and bring economic benefits to local population.
8. The Proponent should provide Eco-friendly toilets for the workforce. The workers shall be directed to use the sanitation facilities provided at project site and instructed not to litter the project site. Sufficient numbers of Bio-Toilets will be provide to workers at safe distance from river flow bed.
9. Wild Animals being sensitive to noise, no project activities shall be carried out at night (sunset to sunrise) time.
10. All workers shall be imparted basic knowledge regarding the Do's and Don'ts of working within Forest Areas.
11. Photography of the proposed mining site (preferably using Drone) should be done and submitted to SEIAA along with half-yearly compliance report.
12. The project proponent shall submit half yearly compliance report of stipulated conditions of Environment Clearance in soft copy through PARIVESH PORTAL given link: https://parivesh.nic.in. The compliance report shall also be e mailed to the Regional Office in Dehradun in moef.ddn@gov.in

2- **Conditions for operation phase**

1. The project proponent should advertise with basic details at least in two widely circulated local newspapers, within seven (7) days of the receipt of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance by the State Environment Impact Assessment Authority, Dehradun and a copy of the same be sent to the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India located at 25 Subhash, Road Dehradun.
2. The legal status of the mining lease area shall remain unchanged and the Environment Clearance shall remain co-terminus with lease period. The mined lease area shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
3. The mining/extraction of soapstone shall not be done without approved mine plan from designated authority. The mine plan should be revised every 5 years and no fresh mine plan shall be prepared without site inspection by designated authority.
4. The boundary of the mined lease area shall be demarcated on ground by erecting pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing, and distance from adjoining pillars etc. This demarcation will be ensured by the Revenue Department. A bench mark will be established to monitor depth of the mining. A safety zone of 7.5 mt (surrounding the mine site) shall be left free from mining.
5. The mining shall be carried out by open cast mechanized method without adopting drilling and blasting operation. The use of hand held mechanically driven equipment is permitted. The use of any electrically driven machinery shall remain prohibited and only hand held tools shall be used for extraction of the mineral.
6. Soapstone mining shall be carried out during sunrise to sunset period only. It shall not involve felling of trees and clearance of vegetation. There shall be no permanent construction at the site except temporary erection of first aid room, office, store, drinking water shed, rest shelter etc.
7. The process of mining and quantity of extractable mineral and subsequently progressive mine closure shall be as per the approved mine plan. The mining operation shall be carried out from Upper level to Lower level by formation of benching pattern. The maximum height of benches shall not exceed 1.5 mt and ultimate pit slope shall be kept at 38 degrees.

8. The maximum permissible depth for mining of soapstone shall not exceed 6 meters or depth of ground water table whichever is less. During first five years of mining lease the depth of mining shall not exceed 3 meters. Mining beyond 6 meters will be considered after site visit by SEAC.
9. Extraction of minor mineral is permitted from 1st October of every year to 15th June of the subsequent year. It shall be ensured that no mining activity is carried out during the monsoon season. Workers should be advised and protected against flash flood during 1st June to 15th June and 1st Oct to 31st Oct during which there may be rains in the hills.
10. Reclamation of the mine lease area shall be through back filling, stabilization and cultivation. The waste and top soil generated during mining shall be temporarily stacked in external dump which will be subsequently vacated and back filled in mined out pits. The waste generated in the area will be backfilled during rains and land made suitable for cultivation. Back filling shall be done in a retreating manner from Lower level to Upper level. Mining activity and back filling shall be done simultaneously once space is available.
11. No disturbance to natural drainage system around the mining lease area shall be done. No mixing of wastes is allowed. The dump site shall be kept away from the nearby nallahs/water bodies and maintained at a distance of at least 100 meters. The external dump shall be protected against slide/slip by adopting suitable mechanical and vegetative measures. Proponent should construct a retaining wall, along the nallah side, with suitable height to protect soil erosion. The construction of toe wall, check dam and planting of grass species/soil binding dwarf species in dump yard shall be done.
12. The project proponent shall undertake transportation of mineral from pit head to read head manually or by mule. Further it shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuel-efficient vehicles for transporting extracted minerals to final destination. There shall be no over loading of vehicles as against standard norms fixed by Central Government/State Government/Hon'ble Courts from time to time.
13. The project proponent shall regulate and maintain record of the quantity of soapstone extracted during a season. The monitoring shall be ensured by Mines Department/District Administration from time to time.
14. There shall be no labour camp in the mining lease area for the labour engaged in mining of soapstone. The labour engaged in mining shall be provided free fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forest land
15. Proponent should submit surface water quality and ambient air quality monitoring report as committed in EMP, with suitable parameters.
16. Under corporate social responsibility proponent should develop community services such as drinking water, education, housing, sanitation, health, safety and medical facilities, public transportation and communication, social welfare etc.
17. The proponent shall erect eco-friendly mobile toilets for the workforce at site and shall ensure disposal of solid waste as per the existing provisions/rules/guidelines.
18. Minimum 18000 plants will be planted in nearby Van Panchayat first and second year followed by their maintenance in the next three years. The species selection shall be site specific and cater to the demand of the Van Panchayat. The Divisional Forest Officer, Pithoragarh shall ensure the compliance. Besides this the proponent shall develop 5 meter wide dense plantation of shrubs around the mining site.
19. The Geology and Mining department shall identify an agency for regular/periodical monitoring of quality of ground water of existing hand pumps and tube wells in the vicinity of the mining site.
20. The project proponent shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of laborers for sustainable extraction of the minerals from the mining lease area. The project proponent shall ensure that maximum local labour be engaged and hence opportunities of employment be provided. The project proponent shall follow all safety measures for labour force engaged in accordance with relevant Acts/Rules.
21. The project proponent shall prepare the plan of mining in conformity with the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard thereby clearly delineating the 'No Work Zone' in the mine lease area i.e. at least 100 mt distance from Nallahs/Water Bodies, bridges, educational institution or structures of historical importance.
22. Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. It shall be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
23. The project proponent shall provide protective respiratory devices to workers working in dusty areas and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained.
24. The proponent shall provide eco-friendly mobile toilets for the workforce at site and shall ensure disposal of solid waste as per the existing provisions/rules/guidelines.

25. The project proponent shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project
26. Photography of the proposed mining site as well as the plantation sites undertaken by the project proponent showing GPS coordinates should be done (preferably using Drone) and submitted to SEIAA and regional office of MoEF&CC, Govt of India at Dehradun along with half-yearly compliance report.
27. Project proponent will strictly comply with EMP/EIA.
28. Project proponent will have to submit EMP/EIA report to Mining Department (Lessee) and Pollution Control Board before getting work order/Consent to Established or Operate.
29. The project proponent shall submit half yearly compliance report of stipulated conditions of Environment Clearance in soft copy through PARIVESH PORTAL given link: **https://parivesh.nic.in.**

3- **Entire Operation**

1) The Environmental Clearance is being granted for mining/extraction of Soapstone in the approved Mine Lease Area. Legal status of the mining lease area shall remain unchanged and the Environmental Clearance is being granted only for the lease period. The mined lease area shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
2) The maximum permissible depth for mining of Soapstone shall not exceed 6 meter or depth of ground water table whichever is less. During first five years of mining lease the depth of mining shall not exceed 3 meters. Mining beyond 6 meters shall be granted after site visit by SEAC. However, Authority may also visit the site in operational phase, whenever it is found to be necessary.
3) Reclamation of the mine lease area shall be through back filling, stabilization and cultivation. The waste and top soil generated during mining shall be temporarily stacked in external dump which will be subsequently vacated and back filled in mined out pits. The waste generated in the area will be backfilled during rains and land made suitable for cultivation. Back filling shall be done in a retreating manner from Lower level to Upper level. Mining activity and back filling shall be done simultaneously once space is available.
4) The dump site shall be kept away from the nearby nallahs/water bodies and maintained at a distance of at least 100 meters. The external dump shall be protected against slide/slip by adopting suitable mechanical and vegetative measures. The construction of toe wall, check dam and planting of grass species/soil binding dwarf species in dump yard shall be done as given in mining plan.
5) The project proponent shall undertake transportation of mineral from pit head to road head manually or by mule. Further it shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuel-efficient vehicles for transporting extracted minerals to final destination. There shall be no over loading of vehicles as against standard norms fixed by Central Government/State Government/Hon'ble Courts from time to time.
6) The project proponent shall regulate and maintain record of the quantity of Soapstone extracted during a season. The monitoring shall be ensured by Mines Department/District Administration from time to time.
7) There shall be no labour camp in the mining lease area for the labour engaged in mining of Soapstone. The labour engaged in mining shall be provided free fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forest land.
8) The project proponent shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for sus0tainable extraction of the minerals from the mining lease area. The project proponent shall ensure that maximum local labour be engaged and hence employment opportunity provided. The project proponent shall follow all safety measures for labour force engaged in accordance with relevant Acts/Rules.
9) Under CER, Project Proponent apart from other activities, will also install Solar lights and distribute forest fire fighting equipments to the local groups (Mahilamangal dal/Yuvakmangal dal/Vanpanchayat) in the adjoining villages close to forest areas in consultation with local Forest Officials.
10) The project proponent shall provide protective respiratory devices to workers working in dusty areas and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained.
11) The project proponent shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.
12) The above environmental safeguards shall be implemented in letter and spirit. The project proponent shall establishEnvironment Monitoring Cell and also submit six monthly compliance reports to this Authority and regional office of MoEF&CC, Govt of India at Dehradun.
13) The SEIAA reserves the right to include additional safeguard measures if found necessary and also to take action including revoking of the EC granted under provision of EIA Notification 2006. This EC is being granted subject to compliance of Hon'ble Court Orders issued from time to time.

14) Any appeal against this Environment Clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under relevant section of the National Green Tribunal Act, 2010.
15) If it is found that if conditions laid down by the Authority are violated, the Authority may suspend or cancel this Environmental Clearance.

4- **Specific Conditions:- (To be followed by Director Industry, Geology and Mining Unit, Govt. of Uttarakhand).**
   1- Mining and Geology department of the State Government should recalculate the maximum production levels and inform the Authority accordingly.
   2- A study shall be carried out at least in over a year through mines and geology department to avoid over exploitation of mineral, which may adversely affect the dynamics of site. A copy of said study report shall be submitted to the Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change at Dehradun and SEIAA, Uttarakhand.
   3- The Geology and Mining unit of Industry Department shall identify an agency for regular/periodical monitoring of quality of ground water of existing hand pumps and tube wells in the vicinity of the mining site.
   4- Digital processing of the entire lease area using remote sensing technique should be done by Geology and Mining department regularly and report should be submitted to the Ministry of Environment and Forests, Regional office at Dehradun and SEIAA, Uttarakhand.

In view of the COVID-19 scenario, social distancing at work-place shall be maintained, and such other conditions and safeguard shall be ensured as directed by Government of India, Government of Uttarakhand and concerned District Magistrate from time to time.

Your's Faithfully

(Sushanta Kumar Pattnaik)
Member Secretary,
SEIAA, Uttarakhand

No - 266 01(83)/2019 dated- as above

Copy for information and necessary action to-

1. APCCF, Regional office (Central) MoEFCC Govt of India, 25 Subhash Road, Dehradun.
2. Additional Chief Secretary, Forests & Environment, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. Director Industries, Geology & Mining Unit Govt of Uttarakhand Dehradun
4. District Magistrate, Pithoragarh.
5. Member Secretary, UEPPCB, IT Park Dehradun.
6. Divisional Forest Officer, Pithoragarh.
7. Guard File for uploading in Parivesh Website.

(Sushanta Kumar Pattnaik)
Member Secretary,
SEIAA, Uttarakhand

संलग्नक - 7

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1425 / VII-A-1 / 2021 / 1(13) / 18
देहरादून,दिनांकः 23 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

जनपद पिथौरागढ़, तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता में कुल 17.967 है० भूमि में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु मै० जे०डी० मिनरल्स प्रो० राजेन्द्र सिह दफौटी पुत्र स्व० श्री नन्दन सिंह दफौटी, बी–54, जज फार्म, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के आवेदन पत्र के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2248 / VII-1 / 2018 / 1(13) / 18, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 द्वारा मै० जे०डी० मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिह दफौटी पुत्र स्व० श्री नन्दन सिंह दफौटी, बी–54, जज फार्म, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद पिथौरागढ़, तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता में कुल 17.967 है० भूमि में 50 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र (letter of Intent) स्वीकृत किया गया।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–1649 / भू०ख० / 144 / पिथौ० / खनन / भू०खनि०ई० / 2018–19, दिनांक 21 अगस्त, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० जे०डी० मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिह दफौटी पुत्र स्व० श्री नन्दन सिंह दफौटी, बी–54, जज फार्म, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद पिथौरागढ़, तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता के क्षेत्रान्तर्गत कुल 17.967 है० भूमि में सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र की अनुपालना में हुए लगभग 29 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए जनपद पिथौरागढ़, तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता के क्षेत्रान्तर्गत सीमांकित कुल 17.967 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 50 (पचास) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

क्र०सं०	खनिज का नाम	सोपस्टोन
1.	क्षेत्रफल	ग्राम बजेता में जोतदार के नाम दर्ज श्रेणी 1(क) की भूमि का क्षेत्रफल 13.685है0, श्रेणी 7क की भूमि का क्षेत्रफल 1.353है0, राज्य सरकार की 2.59है0 व सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.339है0 इस प्रकार आवेदित क्षेत्रान्तर्गत कुल भूमि 17.967है0 भूमि एक संहत खण्ड में खसरा विवरण एवं खसरा मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्रफल का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
2.	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 50 वर्ष
3.	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
4.	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5.	जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान	शासनादेश दिनांक 14 फरवरी 2018 के प्रावधानानुसार रायल्टी का 25 प्रतिशत
6.	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

–2–

अतिरिक्त शर्तें:

7.1 शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2. वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3 आवेदक को खनन पट्टा विलेख की शर्तो/शासकीय आदेशों/निदेशालय द्वारा जारी आदेशों/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्र सं0 788/9–2, दिनांक 09–05–2018 के अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र में स्थित चीड़ के हरे खड़े 0–10 सेमी0 के 25 वृक्ष, चीड़ हरे खड़े 10–20 सेमी0 के 20 वृक्ष, ववैराल के 06 वृक्ष, तिमूला के 06 वृक्ष, आवंला के 02 वृक्ष, दूदिला के 09 वृक्ष कुल 68 वृक्षों की सुरक्षा हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर की जानी होगी।

7.5. आशय पत्र पर स्वीकृत एवं सीमांकित 17.967है0 के क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की कुल भूमि 0.339है0 क्षेत्रफल में खनन कार्य निषिद्व होगा तथा राज्य सरकार की भूमि 2.59है0 का राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार Lease rent का भुगतान जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा निर्धारित विधि एवं दर से राजकोष में जमा किया जायेगा।

7.6. प्रस्तावित स्थल से सोपस्टोन के अतिरिक्त अन्य खनिजों के निकलने की दशा में बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये अन्य खनिजों का दोहन/निकासी न किये जाने की व्यवस्था की गयी है, का उल्लेख किया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1917/मु0ख0/खनन/141/भू0खनि0ई0/2020–21, दिनांक 07 नवम्बर, 2020 के द्वारा खनिज सोपस्टोन के आवेदित क्षेत्रों में उपलब्ध मैग्नेसाईट, लाईम स्टोन की उपलब्धता के संबंध में Limit का निर्धारण किये जाने हेतु कन्ट्रोलर जनरल, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध में मार्गदर्शन अपेक्षित है। आवेदक के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति के उपरान्त खनन कार्य के दौरान निकलने वाले अन्य खनिज यथा मुख्य खनिज को एकत्रित कर रखेगा, जिसका निस्तारण भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से प्राप्त होने वाले दिशा–निर्देशानुसार निस्तारण किया जाना होगा।

7.7 आवेदक द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पर्यावरण अनुमति संख्या–266-01(83)/2019 दिनांक 12–08–2021 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–6/18/2021WL, दिनांक 11–03–2021 के द्वारा निर्गत NBWL की अनुमति की समस्त शर्तो की अनुपालना किया जाना अनिवार्य होगा।

7.8 आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTO प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7.9. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पिथौरागढ़ के पत्र दिनांक 26–12–2018 के साथ संलग्न तहसीलदार, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ की आख्यानुसार आवेदित क्षेत्रान्तर्गत 44 खातेदारों के सापेक्ष आवेदक के पक्ष में 40 खातेदारों द्वारा अनापत्ति दी गयी है, जिसका 63 प्रतिशत क्षेत्रफल आच्छादित होता है, उल्लिखित किया गया है। पट्टाधारक खनन किये जाने वाले खेत/खसरा की सूचना संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी

–3

एवं संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, जिस खेत/खसरा में खनन हो रहा है, उसके भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छायाप्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने से 15 दिन पूर्व जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7.10. खनन पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु स्टाम्प ड्यूटी का आंगणन उप निबंधक, पिथौरागढ़ से कराया जाना होगा।

7.11. पट्टाधारक द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुमोदित खनन योजना में प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रथम अनुसूची में खनिज की निकासी के समय प्रभावी रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त रायल्टी की धनराशि को सुसंगत लेखाशीर्षक 0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग, 102 खनिज रायल्टी शुल्क एवं स्वत्व, 01 खनिज रियायती शुल्क एवं स्वत्व शुल्क में जमा कराया जाना होगा।

खनन पट्टाकृत भूमि के लिए अपरिहार्य भाटक का भुगतान केवल उस दशा में लागू होगा, जबकि खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अपरिहार्य परिस्थितियों में पट्टाधारक द्वारा खनिज का उत्पादन/निकासी किया जाना संभव न हो। पट्टाधारक द्वारा उल्लिखित अपरिहार्य परिस्थितियों का आंकलन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

7.12. पट्टाधारक खनिज सोपस्टोन की रायल्टी की दर के 25 (पच्चीस) प्रतिशत का भुगतान जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के बैंक खाते में पृथक से जमा करेगा।

7.13. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की अनुसूची–1 रायल्टी व 2 अपरिहार्य भाटक के अन्तर्गत किराया (रायल्टी) (यहां के बाद 'कथित' नियमावली कहलायेगी) द्वारा अधिसूचना सं० 211/VII-1/24-ख/2007, दिनांक 26–2–2016 एवं अधिसूचना सं० 1757/VII-I/24–ख/2007, दिनांक 22.11.2016 एवं यथासंशोधित नियमावली यदि इन प्रपत्रों की नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत कोई किराया, रायल्टी या अन्य राशि, जो राज्य सरकार को देय हो, का भुगतान पट्टेदार द्वारा समयसीमा में नहीं किया जाता तो उसे 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष सामान्य ब्याज के साथ उससे उत्तराखण्ड सरकार के एक प्रमाण–पत्र पर भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जायेगा।

7.14. आवेदक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा खनन योजना/स्कीम ऑफ माइनिंग हेतु जारी दिशा–निर्देश सम्बन्धी संख्या–1762/खनन/गौण.खनिज–माईनिंग प्लान /26/भू0खनि0ई0/2015–16, दिनांक 31 अक्टूबर 2015, पत्र सं० 301/मु0ख0/26(टी0सी0) भू0खनि0ई0/2015–16, दिनांक 17 जून 2020 एवं पत्र सं० 302/मु0ख0/26(टी0सी0) भू0खनि0ई0/2015–16, दिनांक 17 जून 2020 में उल्लिखित शर्तों की अनुपालना की जानी होगी।

1. निर्धारित मानक 5.00 है0 हेतु 1 एक्सप्लोरेटरी होल प्रतिवर्ष के मानक के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
2. ड्रिलिंग मशीन से न्यूनतम 5 है0 तक खनन पट्टा क्षेत्र का Core ड्रिल हेतु होल न्यूनतम 30मी0 गहराई के मानक के अनुसार प्रतिवर्ष के आधार पर अर्थात् 5.00 है0 का पालन खनिज अन्वेषण हेतु नहीं किया गया है, तो खनन कार्य हेतु ट्रैक्टर Mounted या Chain Mounted Excavator की अनुमति न दिये जाने का परीक्षण किया जाय।
3. ओवर वर्डन डम्पिंग का स्थान खनन क्षेत्र सीमा (Mining lease) के अन्दर किया जायेगा।
4. प्राप्त खनिज मैग्नेसाईट, सोपस्टोन आदि का रासायनिक विश्लेषण कर विस्तृत रिपोर्ट संरक्षित की जाय।

–4

5. प्राप्त खनिज मैग्नेसाईट को पृथक डम्प में रखा जाय। इसको अन्य ओवर बर्डन के साथ सम्मिलित न किया जायेगा एवं जिला खान अधिकारी द्वारा अभिमत सहित मुख्यालय को निर्धारण हेतु भेजी जाये।
6. ओवर वर्डन डम्प की मात्रा (टन में) सहित विस्तृत विवरण का परीक्षण किया जायेगा।
7. ओवर बर्डन की उपलब्धता, आवेर बर्डन में सम्मिलित किये जाने का आधार सम्पूर्ण रासायनिक विश्लेषण के साथ परीक्षण किया जाये।

अतएव यदि आवेदक उपरोक्त शर्तो के आधार पर स्वीकृत एवं सीमांकित 17.967 है0 भूमि पर सोपस्टोन का खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हो, तो अपनी लिखित सहमति एवं खनन पट्टा विलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के माध्यम से आलेख को भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार निर्धारित स्टाम्प पर टंकित करवा कर शासन को प्रस्तुत करना होगा।

दिनेश सिंह भण्डारी
अनु सचिव

संख्याः 1425 (1)/VII-A-1/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. मै० जे०डी० मिनरल्स प्रो० राजेन्द्र सिह दफौटी पुत्र स्व० श्री नन्दन सिंह दफौटी, बी—54, जज फार्म, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश सिंह भण्डारी)
अनु सचिव

(1)

त्रिलोक ... जोशी
स्टाम्प विक्रेता कलक्ट्रेट
परिसर, पिथौरागढ़
ला0 नं0- 05/2016-17

संलग्नक - 8

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	: IN-UK46919248713569T
Certificate Issued Date	: 01-Oct-2021 03:28 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1238704/ PITHORAGARH/ UK-PT
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK123870497994314189621T
Purchased by	: J D Minerals B 54 JudgeFarmChhoti Mukhani Haldwani
Description of Document	: Article 35 Lease
Property Description	: Village - Bajeta, District - Pithoragarh
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: Governor of Uttarakhand
Second Party	: J D Minerals B 54 JudgeFarmChhoti Mukhani Haldwani
Stamp Duty Paid By	: J D Minerals B 54 JudgeFarmChhoti Mukhani Haldwani
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 7,50,000 (Seven Lakh Fifty Thousand only)

.....Please write or type below this line.....

(सुनील पंवार)
... मुख्य खान अधिकारी
... उत्तराखण्ड
देहरादून

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
औद्योगिक विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

0018743910

अभिलेखपाल
प्रभारी

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

235

क्रयनामा/दाननामा लीज डीड
रु0 मू0 2503020 प्र0मू0 1020
10= योग 2508020 शब्द लगभग 1250
श्री/श्रीमती M/S JD मिनरल्स
पुत्र/पत्नी — पेशा —
निवासी ग्राम … तहसील …
वेला … ने कार्यालय उप निबन्धक मुन्स्यारी
…को दिन के 03 व 30

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

इस्मक्ष में विश्वसनीय
साक्षी न0 1– व साक्षी 2
के चि0 अ0 यथाविधि लिये गये।

प्रस्तुति लेख पत्र का सम्पादन तथा विक्रय धन मुबलिक रु0 … लीज डीड
की धरोहर प्राप्ति को उक्त श्री/श्रीमती M/S JD मिनरल्स
पुत्र/पत्नी श्री — ने लेखपत्र भली प्रकार पढ़कर
समझकर समक्ष गवाहों के स्वीकार किया जिसकी पहचान 1– श्री …
पुत्र श्री … पेशा … निवासी ग्राम …
… व 2– श्री … पुत्र श्री …
… निवासी ग्राम …
तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड

उप निबन्धक तहसील मुनस्यारी

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial … and other Overt and Covert features."

(श्री राजेन्द्र सिंह …) (नितिन …) (श्री कुंवर सिंह कोरंगा)

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी

236 (2)

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के नियम–14 के प्राविधानानुसार

खनन पट्टा विलेख

प्रपत्र एम0एम0–3

यह अनुबन्ध/खनन पट्टा विलेख दिनांक 12-11-2021 को उत्तराखण्ड के राज्यपाल की ओर से जिसे उत्तराखण्ड सरकार (जिन्हें यहाँ आगे 'राज्य सरकार' निर्दिष्ट किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति में यह पद कार्यालय में पदोत्तरवर्तियों एवं कर्मचारियों को सम्मिलित माना जायेगा) प्रथम पक्ष तथा मै0 जे0डी मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौटी, बी–54, जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, (जिसे इसमें, इसके बाद 'पट्टाधारक ' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) (जिसकी अभिव्यक्ति में जहां इस प्रकार स्वीकार किए गए के संदर्भ में, जिसमें उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुमत रूप से नियुक्त शामिल है) द्वितीय पक्ष ।

जैसा कि पट्टाधारक ने उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली–2001 के अन्तर्गत खनिज सोप स्टोन खनन के लिये खनन पट्टे हेतु परिशिष्ट के भाग– I में उल्लेखित खसरा नम्बर में वर्णित भूमि के संबंध में आवेदन किया गया है एवं उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2248/VII-1/2018/1(13)/18, दिनांक 12 अक्टूबर 2018 के द्वारा आशय पत्र जारी किया गया, तत्पश्चात आशय पत्र की समस्त शर्तो की अनुपालना किये जाने में हुये लगभग 29 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुये औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1425/VII-A-1/2021/01(13)/18, दिनांक 23 सितम्बर 2021 के द्वारा मै0 जे0डी मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौटी, बी–54, जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद पिथौरागढ की तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता में कुल 17.967है0 एक संहत खण्ड क्षेत्रफल में 50 वर्ष की अवधि के लिये खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या– GSR423 (E) दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा खनिज सोप स्टोन को गौण खनिज (उपखनिज) घोषित किये जाने के परिणाम स्वरूप खनिज सोपस्टोन पर उत्तराखण्ड सरकार एवं भारत सरकार के उपखनिज को नियमित करने वाले नियम, विनियम एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– 844/VII-I/2015/68-Kha/2015 दिनांक 31/07/2015 एवं यथा संशोधित अधिसूचना संख्या– 1589/VII-I/24-Kha/2007 दिनांक 07/10/2015, शासनादेश संख्या– 1755/VII-I/2016/68-Kha/2015 दिनांक 19/11/2016, एवं शासनादेश संख्या– 1457/VII-I/2017/68-Kha/2015 दिनांक 17/11/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति– 2015 एवंम उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्राविधान लागू होंगे।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 की अनुसूची– 1 एवं अनुसूची– 2 (जिन्हें यहाँ आगे उपरोक्त नियम निर्देशित किया गया है) के अधीन स्वामित्व एवं अपरिहार्य भाटक भी घोषित किये गये हैं।

उत्तराखण्ड गौण खनिज 844/VII-I/2015/68-Kha/2015 दिनांक 31/07/2015 एवं यथा संशोधित अधिसूचना संख्या– 1589/VII-I/24-Kha/2007 दिनांक 07/10/2015, शासनादेश संख्या– 1755/VII-I/2016/68-Kha/2015 दिनांक 19/11/2016, एवं शासनादेश संख्या– 1457/VII-I/2017/68-Kha/2015 दिनांक 17/11/2017 जारी होने के उपरान्त पट्टेदार द्वारा प्रतिभूति शुल्क रू0 10,000/-(रू0 दस हजार) निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पक्ष में एफ0डी0आर0नं0 CTZ009609 दिनांक 07–09–2019

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
औद्योगिक विकास विभाग

(सुशील पंवार)
संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

238

को पंजाब नैशनल बैंक रेलवे बाजारी हल्द्वानी में बन्धक की गयी है। जिसकी बंधक अवधि दिनांक 07–09–2024 तक है। सभी खानें, अयस्क की शिराये/तल, खनिज सोपस्टोन के संस्तर (जिन्हें यहाँ एवं परिशिष्ट में खनिज कहा गया है) जो उस भूमि में जो उपरोक्त परिशिष्ट के भाग– I में वर्णित हैं, और इसके सम्बन्ध में जो भी स्वतन्त्रतायें, शक्तियॉ एवं विशेषाधिकारों का प्रयोग या उपयोग किया जा सकता है जिनका वर्णन सूची के भाग–(II) में किया गया है उन शर्तों एवं प्रतिबन्धों के विषयान्तर्गत जो कि ऐसी स्वतन्त्रताओं, शक्तियों एवं विशेषाधिकारों पर लगायी गयी हैं जो कि उक्त सूची के भाग–III में वर्णित हैं, सिवाय एवं इसे छोड़कर कि इस पट्टान्तरण के फलस्वरूप राज्य सरकार को, स्वतन्त्रतायें, शक्तियॉ व विशेषाधिकार जो कि उक्त सूची के भाग–IV में वर्णित हैं एतद्द्वारा प्रदान किये गये परिसर को उक्त वर्णित पंजीकरण के दिनांक से आगामी 50 (पचास) वर्ष पंजीकरण के दिनांक से एक दिन पूर्व तक रखें, प्राप्त करें व उसके लिये राज्य सरकार को अनेक किराये एवं रायल्टी का भुगतान करें जो कि उक्त सूची के भाग–V में वर्णित हैं उन कमशः अवधियों में जो कि उसमें उल्लिखित हैं, जिला खनिज फोउन्डेशन न्याश में अँशदान उन प्रावधानों के विषयान्तर्गत जो कि उक्त सूची के भाग–VI में वर्णित है एवं पट्टेधार राज्य सरकार के मध्य पारस्परिक सॅविदा उक्त सूची के भाग–VII में व्यक्त है एवं राज्य सरकार एवं पट्टेदार के मध्य एतद् पारस्परिक सॅविदा जो कि उक्त सूची के भाग–VIII में व्यक्त है एवम् एतद्द्वारा इसके पक्षकारों के मध्य सम्मिलित रूप से सहमति बनी जैसा कि उक्त सूची के भाग–IX में वर्णित है। यह कि खनन पट्टा विलेख में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबंधो, जिलाधिकारी पिथौरागढ, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून,जिला खान अधिकारी पिथौरागढ, प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ व राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा खनन कार्य आदि हेतु दिये गये शर्तो/दिशा–निर्देशों का खनन पट्टाधारक मै0 जे0डी मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौटी, बी–54, जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी जनपद नैनीताल के द्वारा अक्षरशः पालन किया जाना होगा। इसलिए अब इस साक्षी (गवाह) विलेख द्वारा पक्षकार उपरोक्त वर्णित तिथि के अनुकम में निम्नानुसार सहमत हैः–

भाग– I
खनन पट्टे की स्थिति एवं क्षेत्रफल

जिलाधिकारी पिथौरागढ के पत्र संख्या 870/तीस–खनन/2018–19, दिनांक 28–03–2019 के द्वारा वह समस्त भू–भाग जो कि जनपद पिथौरागढ की तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता में स्थित है जिसमें वह भूमि के सभी खसरा नम्बर सम्मिलत है जो 17.967 है0 क्षेत्रफल एक संहत खण्ड में सीमांकित है जिसकी सीमायें खसरा मानचित्र में दर्शायी गयी है। जिनका विवरण निम्नवत हैः–

सीमाबन्धित क्षेत्र की चौहद्दी :

उत्तर मेंः– पीलर सं014 ख0स0 8366 में स्थित रास्ते के किनारे से, पीलर सं0 15 रौली व ख0सं0 8652 व 8651 के मेड के किनारे पर , पीलर सं 16 ख0 सं0 5958 व 5959 के मेड में पीलर सं0 17 ख0 सं0 5467 के किनारे में , पीलर सं0 18 ख0सं0 5674 के किनारे, में, पीलर सं019 ख0सं0 5645 व 5641 के मेड में पीलर सं0 20 ख0सं0 5628 के किनारे में पील सं0 21 ख0सं0 5781 के मेड के किनारे पर , पीलर सं0 22 ख0सं0 5865 के किनारे पर , पीलर सं0 23 ख0सं0 6004 के मध्य पर, पीलर सं0 24 ख0सं0 6439 के किनारे पर पीलर सं0 25 ख0सं0 6403 के किनारेपर, पीलर सं0 26 ख0 सं0 6433 के किनारे पर पीलर सं0 6434 के किनारे पर।

पूर्व मेंः– पीलर सं0 18 ख0स0 5674 के किनारे में, पीलर सं0 19 रौली व ख0सं0 5645 व 5641 के मेड में, पीलर सं 20 ख0 सं0 5628 के किनारे में पीलर सं0 21 ख0 सं0 5781के मेड के किनारे पर पीलर सं0 22 ख0सं0 5865 के किनारे, पर पीलर सं0 23 ख0सं0 6004 के मध्य पर पीलर सं0 24 ख0सं0 6439के किनारे पर पीलर सं0 25 ख0सं0 6403 के किनारे पर , पीलर सं0 6ख0सं0 6433 के किनारे पर ,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विभाग

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक /मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

पीलर सं0 27 ख0सं0 6434 के किनारे पर, पीलर सं0 28 ख0सं0 7110 के मध्य पर पीलर सं0 29 ख0सं0 7190 व 7191 के मेड पर , पीलर सं0 30 ख0 सं0 7083 व 7084 के मेड पर पीलर सं0 31 ख0सं0 7076 के मध्य पर पीलर सं0 32 ख0 सं0 7078 व 7079 के मेड पर , पीलर सं0 33 ख0 सं0 7104 के मध्य में पीलर सं0 34 ख0 सं0 7439 के किनारे पर पीलर सं0 35 ख0 सं0 9584 व 9583 के मेड के किनारे पर।

दक्षिण में:– पीलर सं0 01 ख0स0 9525 के मेड मिलान में पीलर सं0 02 ख0सं0 9614 के मिलान पर, पीलर सं0 3 ख0 सं0 9574 व 9576 के मेड में पीलर सं0 04 ख0सं0 9572 के किनारे पर पीलर सं0 05 ख0 सं0 9556 व 9555 के मेड के किनारे में पीलर सं0 06 ख0सं0 9563 के किनारे पर, पीलर सं0 07 ख0 सं0 7537 व रास्ते के किनारे पर पीलर सं0 08 ख0 सं0 7807 के किनारे के मध्य में पीलर सं0 30 ख0सं0 7083 व 7084 के मेड पर पीलर सं0 31 ख0 सं0 7076 के मध्य पर पीलर सं0 32 ख0सं0 7078 व 7079 के मेड पर पीलर सं0 33 ख0सं0 7104 के मध्य में पीलर सं0 34 ख0सं0 7439 के किनारे पर लीलर सं0 35 खस00 9584 व 9583 के मेड के किनारे पर पीलर सं0 36 ख0सं0 9661 के मेड के किनारे पर पीलर सं0 37 ख0सं0 7446 में स्थित रास्ते के किनारे पर।

पश्चिम में :– पीलर सं0 08 ख0सं0 7807 के किनारे के मध्य में पीलर सं0 09 ख0सं0 7805 व 7804 के मेड में, पीलर सं 10 ख0 सं0 7792 के किनारे में पीलर सं0 11 ख0 सं0 7606 व 7601 के मेड के किनारे में पीलर सं0 12 ख0सं0 7790 में रास्ते के किनारे मं पीलर सं0 13 ख0सं0 7732 के खेत के किनारे में पीलर सं0 14 ख0सं0 8366 में स्थित रास्ते के किनारे सें, पीलर सं0 15 रौली व ख0सं0 8652 व 8651 के मेड के किनारे पर पीलर सं0 16 ख0 सं0 5958 व 5959 के मेड में, पीलर सं0 17 ख0सं0 5467 के किनारे पर।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार सीमांकित क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाली भूमि काश्तकारों के नाम श्रेणी 1(क) 13,685है0 7(क)1.353है0 श्रेणी 9(3)ड 0.168है0, श्रेणी 10(1)0.076है0 श्रेणी 10(2) 0.263है0 एवं 10(4) 2.263है0 में दर्ज है।

संदर्भ बिन्दु **R.P** ख0सं0 8575 में स्थिति मकान का कोना।

<u>खननपट्टा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बजेता की भूमि का विवरण</u>

खसरा विवरण

क्र0सं0	जोतदार के नाम दर्ज भूमि		राज्य सरकार की भूमि		सार्वजनिक उपयोग की भूमि		कुल योग (है0 में)
	श्रेणी 1(क) (है0 में)	श्रेणी 7(क)(है0 में)	श्रेणी 9(ड)(है0 में)	श्रेणी 10(4)(है0 में)	श्रेणी 10(1)(है0 में)	श्रेणी 10(2)(है0 में)	
1	13.685	1.353	0.168	2.422	0.076	0.263	17.967

खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बजेता की सार्वजनिक उपयोग की भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू नही होते है।

राजस्व विभाग के अनुसार ग्राम बजेता के खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत उपलब्ध सार्वजनिक उपयोग की भूमि का खसरावार विवरण निम्नवत है:–

क– खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बजेता में रौली की भूमि/ सार्वजनिक उपयोग की भूमि का विवरण:–

क0 संख्या	खसरा संख्या श्रेणी 10(1) रौली	रकवा (है0 में)
1.	5467म	0.005

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
औद्योगिक विकास विभाग
... शासन

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक /मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

2.	5959म	0.004
3.	6439	0.009
4.	7409	0.049
5.	7411	0.009
	योग	0.076

ख– खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बजीना में रास्ता/मंदिर की भूमि/ सार्वजनिक उपयोग की भूमि का विवरणः–

क0 संख्या	खसरा संख्या श्रेणी 10(2) रास्ता/मंदीर	रकवा (है0 में)
1.	5482	0.004
2.	5537	0.003
3.	6077	0.001
4.	6078	0.003
5.	6349	0.001
6.	6351	0.001
7.	6359	0.003
8.	6360	0.001
9.	6384	0.003
10.	6387	0.001
11.	6443	0.001
12.	6446	0.001
13.	6460	0.005
14.	6462	0.006
15.	6527	0.066
16.	6894	0.003
17.	6901	0.001
18.	6905	0.005
19.	6919	0.001
20.	7378	0.001
21.	7379	0.001
22.	7381	0.014
23.	7396	0.003
24.	7615	0.069
25.	7632	0.010
26.	7788म	0.008
27.	7790म	0.009
28.	8366	0.001
29.	8612	0.010
30.	8614	0.009

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक (मुख्य खान अधिकारी)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

31.	8616म	0.008
32.	9564म	0.008
	कुल योग	0.258

ग– खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बजेता में मंदिर की भूमि/ सार्वजनिक उपयोग की भूमि का विवरणः–

क0 संख्या	खसरा संख्या श्रेणी 10(2) मंदीर	रकवा (है0 में)
1.	6283	0.001
2.	6988	0.004
	कुल योग	0.005

ग्राम बजेता में खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि कमशः श्रेणी 10(1) रौली, रकवा 0.076है0 एवं 10(2) रास्ता रकवा 0.258 है0 एवं मंदिर रकवा 0.005है0 कुल रकवा 0.339है0 क्षेत्रफल में खनन कार्य नही किया जायेगा।

राजस्व भूमि का **Lease rent**:–

राज्य सरकार ग्राम बजेता की भूमि बंजर काबिले आबाद 9(3ड़) रकवा 0.168है0, श्रेणी 10(4) बं0का0आ0 रकवा 2.422है0 कुल 2.59है0 का राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार Lease rent का भुगतान जिलाधिकारी पिथौरागढ द्वारा निर्धारित विधि एवं दर से राजकोष में जमा किया जायेगा।

भाग–II

स्वतन्त्रतायें, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार

निम्नलिखित स्वतन्त्रतायें तथा विशेषाधिकार खनन पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टे के अन्य उपबन्धों के अधीन प्रयोग तथा प्राप्त कार्य करने के लिये उपयोग किये जा सकते है:–

भूमि पर प्रवेश तथा अन्वेषण करना:–

(1) खनन पट्टा की अवधि के दौरान उक्त भूमि पर समय– समय पर खनिज की खोज करना, खनिजो को खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना क्षेत्र में ड्रिलिंग आदि का कार्य करना एवं खनिजो के निस्तारण हेतु उक्त भूमि मे प्रवेश की स्वंत्रता होगी।

खोदने गडढा करने, इनक्लाइन बनाना इत्यादि :–

(2) इस भाग में वर्णित उद्देश्यों अथवा उनके सम्बन्ध में गढढे, खोदने, संचालित करने उपरोक्त भूमि में गड्ढों, शॉफ्ट, इनकालाइन, ड्रिफ्ट, समतल करने, जलमार्ग, वायुमार्ग एवं अन्य कार्यों (कथित भूमि में ऐसी प्रकृति के विद्यमान कार्यो को बनाये रखने प्रयोग करने एवं विस्तारित करने का कार्य) की स्वंत्रता होगी।

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विकास विभाग

मशीनरी उपकरण इत्यादि को लाने एवं प्रयोग करने इत्यादि :-

(3) इस भाग में वर्णित उद्देश्य के लिये अथवा उनके सम्बन्ध में उपरोक्त भूमि पर अथवा भूमि के नीचे इंजन, मशीनरी, संयंत्र, प्रसाधन, तल भट्टी, कोक भट्टी संयंत्र, ईट–भट्टा संयंत्र, कर्मशाला, भण्डार ग्रह, बंगलों, गोदाम, छप्पर एवं अन्य भवनों तथा समान प्रकृति के अन्य कार्यों एवं सुविधाओं के परिनिर्माण, निर्माण बनाये रखने और प्रयोग करने की नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर उपयोग किये जाने की स्वंत्रता होगी।

मार्गो व रास्तो का निर्माण एवं विद्यमान मार्ग व रास्तो का प्रयोग आदि :-

(4) इस भाग में वर्णित किसी भी उद्देश्य उथवा उनमें से किसी के लिये या उसके समबन्ध में ऐसे निबन्धनों पर जो स्वीकृत है। उपरोक्त भूमि में या उस पर किसी ट्राम मार्ग रेलवे मार्ग, सड़क, वायुयान उतारने की जगह एवं अन्य मार्गों को घोड़ों, मवेशियों, वाहनों, रेल इंजनों या अन्य वाहनों के साथ अथवा उनके बगैर उपरोक्त भूमि में या भूमि पर निर्मित करने, उपयोग में लाये जाने देखरेख करने, मरम्मत करने की स्वतंत्रता एवं शक्ति (अथवा उक्त भूमि में या उस पर विद्यमान किसी ट्राम–मार्ग, सड़क एवं अन्य मार्ग)।

भवन एवं सड़क सामग्री प्राप्त करना इत्यादि :-

(5) इस भाग में वर्णित पत्थर बजरी तथा अन्य भवन सामग्री तथा सामान्य चिकनी मिट्टी को खोदने तथा प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करने तथा ऐसी चिकनी मिट्टी को ईट या टाईलो के निर्माण के लिए तथा ऐसे किसी उद्देश्य अथवा उनमें से किसी के लिये या उसके सम्बन्ध में जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत है, पत्थरों की रोड़ी तथा अन्य सड़क एवं भवन की सामग्री तथा मृदा भुगतान के बारे में पूछताछ करने तथा प्राप्त करने एवं ऐसी ईटों, टाइलों को विक्रय करने के अतिरिक्त उपरोक्त सामग्री को उपयोग करने, नियोजित करने तथा ऐसी मृदा से ईटों अथवा टाइलों का निर्माण करने एवं उपयोग नियमानुसार किया जा सकेगा। परन्तु इसे बेचा नही जा सकेगा।

नदी तट की जल धाराओं का प्रयोग :-

(6) इस भाग में उल्लिखित उद्देश्य के लिये लेकिन किसी वर्तमान या भविष्य के किसी पट्टेधारक के अधिकारों के विषयान्तर्गत एवं जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ की बिना लिखित सहमति से किसी भी धारा, जलस्रोत, झरने या अन्य स्रोत जो कि उक्त भूमि में हो से जल को मोड़ना, नियंत्रीत (Regulate) करना या ऐसी किसी धारा पर डैम बनाना, इकट्ठा करना या प्रयुक्त करना, रोकना एवं कोई जलमार्ग बनाना, देखरेख करना, कलवर्ट या नाला बनाना या एकत्रीकरण लेकिन इस प्रकार नहीं कि इससे कोई खेती की भूमि, गॉव, भवन या पशुओं के जलस्थल को पानी की उचित आपूर्ति से वंचित होती हो जैसा कि पूर्व से प्रथा हो नहीं किसी भी रूप में किसी धारा या झरने को प्रदूषित करने में पूर्व अभ्यस्त नही है।

प्राविधान यह है कि खनन पट्टाधारक/पट्टेधारक किसी भी जल परिवहन योग्य धारा के जल परिवहन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे एवं ऐसी धारा को बिना राज्य सरकार की अनुमति के नही मोड़ेंगे।

भूमि को भण्डारण करने, इकट्ठा करने, जमा करने हेतु प्रयोग करना :-

(7) इस भाग में वर्णित किसी भी उद्देश्य अथवा उनमें से किसी के लिये या उसके सम्बन्ध में उपरोक्त भूमि की सतह पर प्रवेश करने एवं सतह के पर्याप्त भाग को खान अथवा कार्य की किसी उत्पत्ति को इकट्ठा करने, ढेर लगाने, जमा करने, संचय करने तथा वहन किये जाने वाले किसी औजार, उपकरण, भूमि तथा पदार्थों को खोदने या निकालने के उद्देश्य के लिये उपरोक्त भूमि का प्रयोग करने की स्वतंत्रता और शक्ति होगी।

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विकास विभाग

248

(8)

उत्पादों का लाभार्जन व ले जाना:–

(8) उक्त भूमि के पर्याप्त भाग को उक्त भूमि से उपार्जित खनिज सोपस्टोन को उक्त भूमि से ले जाने एवं ऐसे लाभार्जित अयस्क के प्रयोग हेतु प्रवेश के लिये स्वतन्त्रता एवं शक्ति होगी।

भाग– III

खनन पट्टाधारक की स्वतंत्रता, शक्तियों एवं विशेषाधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध एवं बन्धन

(1) प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स पिथौरागढ के पत्र दिनांक 09–02–2016के अनुसार जनपद पिथौरागढ के विभिन्न स्थान्तर्गत Current bedded quartzite,mica talc schist, limestone, Dolomite, Quartzite, granodiorite, augen gneiss आदि चट्टाने पायी जाती है।

खनन पट्टा स्थल से सोपस्टोन के अतिरिक्त अन्य खनिजों के निकलने की दशा में बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये अन्य खनिजों का दोहन/निकासी ना किये जाने की व्यवस्था की गयी है का उल्लेख किया गया है। कार्यालय के पत्र संख्या 1917/मु0ख0/खनन/141/भू0खनि0ई0/2020–21 दिनांक 07नवम्बर 2020 के द्वारा खनिज सोपस्टोन के आवेदित क्षेत्रों में उपलब्ध मैग्नेसाईट, लाईम स्टोन की उपलब्धता के सम्बध में (Limit) का निर्धारण किये जाने हेतु कन्ट्रोलर जनरल खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो इन्दिरा भवन सिविल लाईन्स नागपुर से मार्ग–दर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जिसके समबंध में अद्यतन तक मार्ग–दर्शन अपेक्षित है। पट्टाधारक के पक्ष खनन पट्टा स्वीकृति के उपरान्त खनन कार्य के दौरान निकलने वाले अन्य खनिज यथा मुख्य खनिज को एकत्रित कर रखेगा जिसका निस्तारण भारतीय खान ब्यूरो इन्दिरा भवन सिविल लाईन्स नागपुर से प्राप्त होने वाले दिशा–निर्देशानुसार के अनुसार निस्तारण किया जाना होगा ।

सार्वजनिक कार्यो इत्यादि की सीमा के भीतर कोई खनन प्रकिया न करना :–

(3) किसी गांव की आबादी, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला सडक (एम0डी0आर0) तथा अन्य जिला सडक (ओ0डी0आर0), किसी सार्वजनिक उपभोग भूमि, शमशान घाट या कब्रिस्तान भूमि या स्थान, जो किसी वर्ग के लोगों द्वारा पवित्र माना गया हो या कोई भवन या ग्रामीण क्षेत्र, सार्वजनिक सड़क, या अन्य स्थान जो राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थान निश्चित किया हो पर कोई भवन, संरचना नहीं बनाई, स्थापित या रखी जायेगी एवं भूमि की सतह पर कोई कार्य संचालन नहीं किया जायेगा ना ही किसी व्यक्ति के भवन, कार्य, सम्पत्ति या अधिकारों को हानिकारक रूप से ऐसे आहत किया जायेगा एवं किसी ऐसे कार्य या उद्देश्य के लिये जो इस पट्टे में सम्मिलित न हो, भूमि की सतह पर कार्य संचालन हेतु ऐसी भूमि का प्रयोग नहीं किया जायेगा जो राज्य सरकार के अतिरिक्त पहले से ही किसी व्यक्ति के अधिकार में हो। पट्टेदार किसी मार्ग, कुऐं या जलाशय के अधिकारो में भी हस्तक्षेप भी नहीं करेगा।

भूमि जो पूर्व से उपयोग में न हो पर स्थलीय कार्यो की अनुमति :–

(4) ऐसी भूमि को स्थलीय कार्यों में लेने से पूर्व जो कि पूर्व से ही ऐसे प्रयोगों में न ली जा रही हो पट्टाधारक/पट्टेधारकों द्वारा जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ को दो माह पूर्व लिखित नोटिस देना होगा, भूमि का नाम व अन्य विवरण एवं भूमि की मात्रा जिसका इस प्रकार प्रयोग होना है एवं उद्देश्य जिसके

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विकास विभाग

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक /मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनि कर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

250

लिये इसकी आवश्यकता है का विवरण देते हुए एवं ऐसी भूमि का इस प्रकार प्रयोग नहीं होगा यदि उप–आयुक्त/कलेक्टर, पिथौरागढ द्वारा उसे ऐसे नोटिस की प्राप्ति के दो माह के अन्दर आपत्ति निर्गत की गयी हो जब तक कि ऐसी की गयी आपत्ति को राज्य सरकार द्वारा, सन्दर्भित होने पर, रद्द अथवा खारिज न कर दिया गया हो।

खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत वृक्षों की सुरक्षा एवंम वृक्षो का कटान:–

(5.) पट्टाधारक भूमि जिसमें खदान स्थित है, सम्बध जिले के जिलाधिकारी या वन क्षेत्रों के सम्बंध में प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ, जैसी भी स्थिति हो, से लिखित में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना तथा उस द्वारा नियत इसकी कीमत के भुगतान के बिना, पर खडे किसी वृक्ष को गिराएगा नही या काटेगा नही। **प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौरागढ के पत्र दिनांक 09–05–2018 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में चीड हरे खडे (0–10 सेमी0 व्यास) के 25 वृक्ष, चीड हरे खडे (10–20 सेमी0 व्यास) के 20 वृक्ष, क्वैराल–06 वृक्ष, तिमूला के 06 वृक्ष, आवंला के 02 वृक्ष दूदिला के 09 वृक्ष, कुल 68 वृक्ष विद्यमान है एवं कटीली झाडिया एवं घास कही–कही पर उपलब्ध होने तथा प्रस्तावति क्षेत्र की दूरी वन पंचायत क्षेत्र से 01 कि0मी0 है।**

खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत स्थित वृक्षों को कोई क्षति न पहुंचें के दृष्टिगत पर्यावरणीय तकनीकी समिति का गठन जिलाधिकारी पिथौरागढ की अध्यक्षता में प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ, जिला खान अधिकारी तथा अन्य पर्यावरणी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा जिस पर होने वाले व्यय आदि का भार खनन पट्टाधारक द्वारा वहन किया जायेगा । पर्यावरणीय तकनीकी समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी पिथौरागढ के निर्देशानुसार खनन पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य किये जाने से पूर्व उक्त वृक्षों की सुरक्षा का उपाय वन विभाग द्वारा निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाना होगा। पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य के दौरान वृक्षों को किसी प्रकार की हानि नही पहुंचायी जायेगी। इस खनन पट्टा विलेख के भाग–III के प्रावधानों के अन्तर्गत झाड–झंखाडो को तथा झाड जंगल को साफ करने के लिए स्वंत्रता खनन पट्टाधारक द्वारा जिलाधिकरी/जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ या वन क्षेत्र के मामले में प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ जैसी भी स्थिति हो से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना उक्त भूमि पर खडे या पाये गये किन्ही वृक्षो या इमारती लकडी को नही गिरायेगा। यदि ऐसी अनुमति प्रदान की गई है तो वह जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ एवं प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ को उस द्वारा नियत दरों पर गिराये जाने वाले वृक्षो /इमारती लकडी के मूल्यो का अग्रिम रूप से भुगतान करेगा।

आरक्षित/संरक्षित वन में प्रवेश या ऐसी भूमि में जो कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से आच्छादित हो या भविष्य में आच्छादित हो:–

6. (अ) इस सूची में वर्णित किसी बात के होते हुए भी पट्टेधारक/पट्टाधारको के द्वारा बिना प्रभागीय वन अधिकारी की लिखित सहमति के कथित भूमि में सम्मिलित आरक्षित वन भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे न ही उस अधिकारी की लिखित अनुमति के किसी वृक्ष, बल्ली आदि को न तो काटेंगे न ही उपयोग में लेंगे न ही अन्यथा उसके जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो एवं यदि कोई भूमि या उसका कोई भाग वन क्षेत्र में आती हो तो पट्टेदार खनन कियायें वन सॅरक्षण अधिनियम, 1980 को प्रावधानों के पालन के साथ सम्पन्न करेगा।

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक /मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एव खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विभाग

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(6) यदि पट्टे की अवधि के दौरान कभी भी पट्टा क्षेत्र की भूमि, वन भूमि पायी जाती है तो ऐसी परिस्थिति में पट्टेधारक को वन सॅरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन अनुमति प्राप्त करनी होगी।

50 मीटर के अन्तर्गत खनन कार्य वर्जित होना:–

(7.) खनन क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्रो यथा आवासीय भवन, आबादी, पैदल मार्ग, आदी, (रास्ता, रौली जिनका विवरण, सार्वजनिक उपयोग की भूमि में वर्णित है), खच्चर मार्ग, विद्युत लाईन आदि के कारण खनन न किये जाने वाले क्षेत्रो का उल्लेख करते हुये Blocked Mineral Resource Reserve का विस्तृत विवरण का परीक्षण खनन योजना/स्कीम आंफ माइनिंग में किया जाये। पट्टाधारक द्वारा आवासीय मकान, सडक, पहुंच मार्ग किसी रेलवे लाईन या ऐसे बिन्दु जो उससे 50 मीटर की दूरी पर हो कोई खनन कार्य न तो करेगा न ही किये जाने या करने देगा सिवाय सम्बन्धित रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के या किसी रोपवे के अन्दर या साथ या किसी रोपवे स्टेशन या उसके आधार सिवाय रोपवे के स्वामित्व वाले प्राधिकारी की लिखित अनुमति के अन्तर्गत या उसके अनुसार या किसी बॉध, नहर या अन्य लोक निर्माण जैसे कि आम सड़क या भवन या रिहायशी क्षेत्र सिवाय जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ अथवा अन्य अधिकारी जिसे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अधिकृत किया हो की पूर्व लिखित सहमति के एवं उसके अन्यथा जो कि ऐसे निर्देशों, प्रतिबन्धों एवं शर्तें सामान्य या विशिष्ट के अनुरूप जो कि ऐसी अनुमति से सॅलग्न हो। रेलवे, बॉध या नहर के सम्बन्ध में कथित 50 मीटर की दूरी को बाहरी नोक, किनारे या बाहरी सतह से क्षैतिज रूप से नापा जायेगा, जैसी भी स्थिति हो, एवं भवन की दशा में 50 मीटर की दूरी उसकी प्लिन्थ से क्षैतिज रूप से, गॉव की सड़क की दशा में बाहरी किनारे की 10 मीटर की दूरी में कोई भी कार्य सॅचालित नहीं किया जायेगा सिवाय जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ अथवा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वाराा अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के एवं उसके अन्यथा, जैसा कि ऐसी अनुमति से सॅलग्न निर्देश, प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अनुरूप हो।

स्पष्टीकरण :–इस प्रस्तर के उद्देश्य हेतु 'रेलवे प्रशासन' से अभिप्राय वहीं होगा जैसा कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 3 की उप–धारा (6) में परिभाषित है। "आम सड़क" का अर्थ ऐसी सड़क से है जिसे कृत्रिम रूप से सतह सहित बनाया गया है जो कि पुनः प्रयोग के फलस्वरूप स्वतः बन गया हो से भिन्न है। गॉव की सड़क में ऐसा कोई रास्ता जो कि राजस्व अभिलेखों में गॉव की सड़क के रूप में दर्शाया गया हो सम्मिलित है।

सम्बन्धित शासकीय अनुज्ञा एवं पट्टों के लिये सुविधायें:–

(8.) पट्टाधारक विद्यमान एवं भविष्य के शासकीय पट्टेदारों या अनुज्ञापियों को जो कि पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से लगी हुई या उसमें सम्मिलित हो पर पहुॅचने की उचित सुविधा प्रदान करेगा।

प्राविधान यह है कि कोई भी ठोस रूकावट या हस्तक्षेप ऐसे अनुज्ञापी या पट्टेदार द्वारा इन प्रपत्रों के अन्तर्गत पट्टेदार के किया–कलापों में नहीं किया जायेगा एवं पट्टेदार को उचित क्षतिपूर्ति (जैसा कि आपसी सहमति से तय हो या तय न होने पर जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाये) ऐसी स्वतन्त्रता के प्रयोग के कारण उस पट्टेदार द्वारा किया जायेगा जो कि समस्त हानि क्षति पट्टेदार को उठानी पड़ी हो।

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
...िक विकास विभाग

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक /मुख्य खान अधि...
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(9.) निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई भोपालपानी देहरादून के पत्र संख्या 212/मु0ख0/खनन योजना–157 / भू0खनि0ई0 /2018–19 दिनांक 08–05–2019 के द्वारा क्षेत्र की Geology के सम्बन्ध में वर्णित है कि भूमि व उसके चारों तरफ Gangolihat Dolomite and dolomitic limestone with algal structures. Magnesite with minor talc/talcosephylite and dolomite intercalation. Local geology; A thin layer of brownish colour of soil exists in the whole area. The thickness of soil varies from 0.10m to 0.20m having an average thickness of 0.10m.

निदेशक भूतत्व एवंम खनिकर्म द्वारा खनन योजना/स्कीम आंफ माइनिंग हेतु जारी दिशा निर्देश सम्बन्धी पत्र संख्या 1762/खनन/गौण खनिज–माईनिंग प्लान / 26 / भू0खनि0ई0 /2015–16 दिनांक 31 अक्टूबर 2015, पत्र सं0 301/मु0ख0/26(टी0सी0) भू0खनि0ई0/2015–16 दिनांक 17 जून 2020 एवं संख्या 302/मु0ख0/26 (टी0सी0) भू0खनि0ई0/2015–16 दिनांक 17 जून 2020 के अनुसार निम्नलिखित की अनुपालना की जानी होगी:–

1. निर्धारित मानक 5.00 है0 हेतु 1 एक्सपलोरेटरी होल प्रतिवर्ष के मानक के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
2. ड्रिलिंग मशीन से न्यूनतम 5 है0 तक खनन पट्टा क्षेत्र का Core ड्रिल हेतु होल न्यूनतम 30 मी0 गहराई के मानक के अनुसार प्रतिवर्ष के आधार पर अर्थात 5.00 है0 का पालन खनिज अन्वेषण हेतु नही किया गया है तो खनन कार्य हेतु ट्रेक्टर Mounted या Chain Mounted Excavator की अनुमति न दिये जाने का परीक्षण किया जाये।
3. ओवर वर्डन डम्पिंग का स्थान खनन क्षेत्र सीमा (Mining lease) के अन्दर किया जायेगा।
4. प्राप्त खनिज मैग्नेसाईट, सोपस्टोन आदि का रासायनिक विशलेषण कर विस्तृत रिर्पोट संरक्षित की जाय।
5. प्राप्त खनिज मैग्नेसाईट को पृथक डम्प में रखा जाय। इस को अन्य ओवर बर्डन के साथ सम्मिलत न किया जाये एवं जिला खान अधिकारी द्वारा अभिमत सहित मुख्यालय को निर्धारण हेतु भेजी जाये।
6. सोपस्टोन तथा मैग्नेसाईट का प्रतिशत 60% से घटने पर उसकी रिर्पोट भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को दी जाय। जिसके अनुसार खनिजो का संरक्षण होने पर दिशा निर्देश जारी किया जा सके।
7. ओवर वर्डन डम्प की मात्रा (टन में) सहित विस्तृत विवरण का परीक्षण किया जायेगा।
8. ओवर बर्डन की उपलब्धता, आवेर बर्डन में सम्मिलत किये जाने का आधार सम्पूर्ण रासायनिक विश्लेषण के साथ परीक्षण किया जाये।
9. पट्टाधारक खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सी0टी0ओ0 प्राप्त करना होगा।
10. पट्टाधारक राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 653, इन्दिरा नगर कालोनी सीमाद्वार रोड, देहरादून द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति संख्या E.C. N0 266-01(83)/2019 दिनांक 12–08–2021, तथा भारत सरकार जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या F.N)/

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विकास विभाग

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक (मुख्य खान अधिकारी)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप जिलाधिकारी
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

256

(12)

6/18/2021 WL दिनांक 11–03–2021 के द्वारा निर्गत NBWL की अनुमति की समस्त शर्तो की अनुपालना करेगा।

11. पट्टाधारक द्वारा भारत सरकार/उत्तराखण्ड राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन के खनन पट्टा अभिलेख/खनन नियम/शासनादेश/स्थानीय आदेशों की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

सम्बन्धित भूमि स्वामियों की अनुमतिः–

12. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई पिथौरागढ के पत्र दिनांक 26–12–2018 के साथ संलग्न तहसीलदार मुनस्यारी पिथौरागढ की आख्यानुसार आवेदित क्षेत्रान्तर्गत 44 खातेदारों के सापेक्ष आवेदक के पक्ष में 40 खातेदारों द्वारा अन्नापत्ति दी गयी है। जिसका 63 प्रतिशत क्षेत्रफल अच्छादित होना उल्लिखित किया गया है।
13. पट्टाधारक खनन किये जाने वाले खेत/खसरा की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /जिला खान अधिकारी एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय में देगा। जिस खेत/खसरा में खनन हो रहा है, उसके भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छायाप्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने से 15 दिन पूर्व जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

भाग–IV

राज्य सरकार को संरक्षित स्वतन्त्रतायें, शक्तियॉ एवं विशेषाधिकार

अन्य खनिज प्राप्त करना :–

(1.) राज्य सरकार के लिये या इसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी पट्टेदार या अधिकृत व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता व शक्ति होगी कि कथित खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज व पदार्थों को उक्त भूमि में खोजने, खनन करने, खोदने, निकालने, प्रकिया, बदलने एवं खनिज ले जानेएवं उन उद्देश्यों हेतु खोदने, बनाने, उठाने, निर्मित करने, रख–रखाव करने एवं ऐसे गड्ढों, खदानों, स्तरों, अन्य लाईनों, जलमार्ग, वायुमार्ग, जल स्रोतों, बन्धों, इन्जनों, मशीनरी, सॅयन्त्रों, भवनों, नहरों, ट्रामवे, रेलमार्ग, थलमार्ग एवं अन्य कार्यों सुविधा जो आवश्यक हो प्रयोग करें।

प्राविधान यह है कि ऐसी स्वतन्त्रता एवं शक्तियों के प्रयोग में इन प्रपत्रों के अन्तर्गत पट्टेदार की स्वतन्त्रताओं, शक्तियों एवं विशेषाधिकारों को कोई ठोस रूकावट या उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा एवं यदि कोई हस्तक्षेप होता है तो राज्य सरकार या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा यह कि ऐसी स्वतन्त्रताओं एवं शक्तियों के प्रयोग के फलस्वरूप पट्टाधारक द्वारा वहन की गयी समस्त हानियों व क्षतियों हेतु पट्टेदार को समुचित क्षतिपूर्ति (जैसी कि आपसी सहमति से तय हो एवं असहमति की दशा में जैसी राज्य सरकार द्वारा तय हो) का भुगतान किया जायेगा।

रेलपथ व मार्ग का निर्माणः–

(2.) राज्य सरकार के लिये या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी पट्टेदार या अधिकृत व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता व शक्तियॉ होगी कि वह कथित भूमि में प्रवेश करे एवं उसमें या उसमें होकर कोई रेलमार्ग, ट्रामवे, सड़क या पाईपलाईन का भाग में इन प्रपत्रों के भाग–दो में वर्णित किसी उद्देश्यों के अतिरिक्त उद्देश्य हेतु निर्माण करें एवं कथितभूमि से ऐसा रेलमार्ग, ट्रामवे, सड़क बनाने या विद्यमान रेलमार्ग सड़क के रख–रखाव हेतु पत्थर, कॅकड़ व मिट्टी या अन्य वस्तु प्राप्त करें एवं सभी समयों पर घोड़े, जानवरों या अन्य पशुओं गाड़ियों,

11

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विकास विभाग

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक /मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

माल, डिब्बों, रेल इन्जन या अन्य वाहनों सहित या बिना उनके प्रयोग करें ऐसे रेलमार्ग, सड़क, ट्रामवे के ऊपर या उसके साथ–साथ सभी उद्देश्यों हेतु अथवा जब अवसर उत्पन्न हो।

यह और कि ऐसे अन्य पट्टेदार द्वारा ऐसी स्वतन्त्रता या शक्तियों के प्रयोग से इन प्रपत्रों के पट्टेदार कि स्वतन्त्रताओं, शक्तियों एवं विशेषाधिकारों को कोई ठोस रूकावट या हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा एवं पट्टेदार को ऐसी समुचित क्षतिपूर्ति जैसी कि आपसी सहमति से हो अथवा असहमति की दशा में जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्णित हो ऐसी समस्त हानि, ठोस रूकावट व हस्तक्षेप जो पट्टेदार को उठानी पड़ी हो ऐसी शक्तियों के एवं स्वतन्त्रता के प्रयोग हेतु भुगतान किया जायेगा।

भाग–V

इस पट्टे द्वारा संरक्षित किराया व रायल्टी

खनिज की रायल्टी /अपरिहार्य भाटक का भुगतानः–

(1.) खनिजों के सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुमोदित खनन योजना में प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के प्रथम अनुसूची में खनिज की निकासी के समय प्रभावी रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त रायल्टी की धनराशि को सुसंगत लेखाशीर्षक 0853 अलौह धातू खनन , एवं धातूकर्म उद्योग, 102 खनिज रायल्टी शुल्क एवं स्वत्व, 01 खनिज रियायती शुल्क एवं स्वत्व शुंल्क में राज्य सरकार /निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई/जिलाधिकारी पिथौरागढ/जिला खान अधिकारी पिथौरागढ द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रकिया के अनुसार जमा किया जायेगा जैसा कि इस संबंध में इस भाग के खण्ड–3 में निर्द्विष्ट है।

प्राविधान यह है कि जहॉ ऐसा खनन पट्टाधारक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (जिसे यहॉ आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (जिसे यहॉ आगे 'नियमावली' कहा गया है) के अन्तर्गत उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से निकाले या उपभोग किये गये किसी खनिज के लिये रायल्टी देने हेतु उत्तरदायी हो जायेगा या उनके ऐजेण्ट, कर्मचारी, प्रबन्धक, ठेकेदार या उप–पट्टेदार द्वारा, तो वह ऐसी रायल्टी का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) वर्णित खनन पट्टाकृत भूमि के लिए अपरिहार्य भाटक का भुगतान केवल उस दशा में लागू होगा जबकि खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अपरिहार्य परिस्थितियों में पट्टाधारक द्वारा खनिज का उत्पादन/निकासी किया जाना सम्भव न हो। पट्टाधारक द्वारा उल्लिखित अपरिहार्य परिस्थितियों का आकलन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

खनिज रायल्टी/ अपरिहार्य भाटक की दर एवं भुगतान का माध्यमः–

(3.) उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की प्रथम अनुसूची (जिसे यहां आगे नियमावली कहा गया है) द्वारा अधिसूचना सं0 211/VII-1/24-Kha/2007 दि0 26–02–2016 एवं अधिसूचना सं0 1757/VII-I/24ख /2007 दि0 22–11–2016 एवं समय–समय पर प्रभावी दरो के अन्तर्गत खनिज की रायल्टी का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार/मासिक अग्रिम रूप से निर्धारित तिथि से पूर्व करेगा।

(4.) इस भाग के प्रस्तर के प्रावधानों के विषयान्तर्गत पट्टे के जारी रहने के दौरान, पट्टेदार द्वारा राज्य सरकार को इस सूची के भाग– 2 में वर्णित पट्टाकृत भूमि के लिये अपरिहार्य भाटक का भुगतान जमा करेगा। जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की द्वितीय सूची एवं समय–समय पर यथा संशोधित के अन्तर्गत निर्दिष्ट हो। पट्टाधारक ने रू0 30000/– अपरिहार्य भाटक की

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विकास विभाग

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक /मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनि कर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

प्र0/.. त्रैमासिक किस्त के रूप में ई– चालान नं0 08530921E 0564358 दि0 29 सितम्बर 2021 के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में जमा करा दिया गया है। पट्टाधारक अन्य अपरिहार्य भाटक की किस्तों का भुगतान अग्रिम रूप से उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–14 के अन्तर्गत करेगा।

खनिज रायल्टी भुगतान की दर एवं माध्यमः–

(5.) इस भाग के प्रस्तर–1 के प्रावधानों के विषयान्तर्गत पट्टेदार इस पट्टे के जारी रहने के दौरान राज्य सरकार को ऐसे समय में और इस प्रकार से जैसा राज्य सरकार निर्धारित करें पट्टाकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिज/खनिजों के लिये रायल्टी का भुगतान उन दरों पर जो कि तत्समय उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 जैसा समय–समय पर संशोधित हो के अन्तर्गत निर्दिष्ट हो इस शर्त के विषयान्तर्गत रायल्टी का भुगतान करेगा।

सतही किराये, जल दर का भुगतानः–

(6.) पट्टाधारक द्वारा भूमि की सतह के उस समस्त भाग जिस पर वह इन प्रपत्रों के अधिकार के अन्तर्गत काबिज या उपयोग करेगा का किराया व जल उपयोग भुगतान राज्य सरकार को उन दरों पर जो कि राज्य सरकार अथवा कलेक्टर, पिथौरागढ द्वारा निर्दिष्ट हो ऐसे काबिज होने या प्रयोग करने के प्रारम्भ में जब तक क्षेत्र पर कब्जा या प्रयोग समाप्त होने व उसकी यथास्थिति में वापस हो तक करेगा। सतह किराया व जल दर का भुगतान उस दर पर होगा जैसा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट हो यह और कि जिस क्षेत्र में कोई रोड या सड़क बनी हो जिसको प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार सार्वजनिक हो के सम्बन्ध में काबिज होने या प्रयोग करने के लिये किसी किराये या जल दर का भुगतान नहीं होगा।

जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में अंशदान का भुगतानः

(7.) पट्टेदार खनिज सोपस्टोन की रायल्टी की दर के 25 (पच्चीस) प्रतिशत का भुगतान जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के बैंक खाते में पृथक से जमा करेगा।

भाग–VI

खनिज रायल्टी या स्वामित्व से सम्बन्धित प्राविधान

खनिज रायल्टी स्वामित्व का कटौती आदि से छूट होनाः–

(1.) इस सूची के भाग–5 में वर्णित किराया, जल दर व रायल्टी बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को जिला पिथौरागढ में उस प्रकार से जैसे राज्य सरकार प्राविधानित करे देय होंगे। सदैव यह और कि एवं एतद्द्वारा यह सहमति बनी है कि पट्टेदार द्वारा जमा रू0 10000/– जो कि उनके द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गयी है उस भूमि पर जो कि कथित भूमि में सम्मिलित है को राज्य सरकार द्वारा भाग V में वर्णित किराये एवं रायल्टी के समायोजन में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं रखा जा सकेगा जब तक कि वह उस राशि के बराबर न हो जायें।

(2). खनिज सोपस्टोन की गुणवत्ता के आधार पर ही पट्टाधारक द्वारा खनिज की श्रेणी के अनुसार निर्धारित रायल्टी जमा की जायेगी।

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विकास विभाग

खनिज रायल्टी गणना करने की विधि:–

(3.) कथित रायल्टी की गणना के उद्देश्य से पट्टाधारक उत्पादित, निकाले गये व भेजे गये खनिज/खनिजों का सही लेखा–जोखा रखेगा। लेखे–जोखे के साथ ही खनिज/खनिजों के स्टाक व भेजे जाने की प्रकिया के खनिज के भार को राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जॉच की जा सकती है।

खनिज रायल्टी एवं किराया जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (DMF) के अंशदान का भुगतान न किये जाने पर कार्यवाही:–

(4.) उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की अनुसूची–1 रायल्टी व 2, अपरिहार्य भाटक के अन्तर्गत किराया (जिन्हे यहां आगे ' उक्त नियम कहा गया है) उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की अनुसूची–1 रायल्टी व 2 अपरिहार्य भाटक के अन्तर्गत किराया (रायल्टी) (यहाँ के बाद 'कथित' नियमावली कहलायेगी) द्वारा अधिसूचना सं0 211/VII-1/24-ख /2007 दि0 26–2–2016 एवं अधिसूचना सं0 1757/VII-I/24–ख /2007 दि0 22–11–2016 एवंम यथा संशोधित नियमावली यदि इन प्रपत्रों की नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत कोई किराया, रायल्टी या अन्य राशि जो राज्य सरकार को देय हो का भुगतान पट्टेदार द्वारा समयसीमा में नहीं किया जाता तो उसे 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष सामान्य ब्याज के साथ उससे उत्तराखण्ड सरकार के एक प्रमाण–पत्र पर भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जायेगा व यह अन्तिम होगा।

भाग– VII
पट्टाधारक का पट्टा क्षेत्रान्तर्गत उत्तर दायित्व

पट्टाधारक को भाटक, स्वामित्व, कर इत्यादि भुगतान करना :–

(1) पट्टाधारक इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक, जल मूल्य एवं स्वामित्व इस दस्तावेजों के भाग– V एवं VI में वर्णित तरीके से भुगतान करेगा तथा भू–राजस्व की माँग के अतिरिक्त जो उस समय केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकरण द्वारा प्रभारित मूल्यांकित या अधिरोपित सभी कर, मूल्य, मूल्यांकन एवं अधिरोपण, जो भी सार्वजनिक माँग की प्रकृति के हों या एक ही प्रकृति के पट्टेदार एवं कार्य जो अन्य परिसरों एवं कार्यों के समान हों, के सम्बन्ध में भुगतान करेगा।

सीमा स्तम्भ इत्यादि का निर्माण करना तथा रख रखाव :–

(2) पट्टाधारक अपने खर्चे पर पट्टे से संलग्न योजना के अनुसार सीमा चिह्नों तथा स्तम्भों का निर्माण करेगा तथा सभी समय पर बनाए रखेगा तथा अच्छी मरम्मत में रखेगा। प्रत्येक स्तम्भ संख्याकित होना चाहिए तथा प्रत्येक स्तम्भ जीपीएस पाठान्तर होगा।

छः माह के भीतर कार्य प्रारम्भ करना व एक कर्मकारी की तरह कार्य करना :–

(3) (निरस्त) पट्टाधारक पट्टे के निष्पादन के छः माह के भीतर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखंड देहरादून, के पत्र संख्या– 1257/मु0ख0/खनन योजना–144/पिथौ0/ भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 24 जुलाई 2021 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्दी योजना के अनुसार खनन कार्य प्रारम्भ करेगा तथा इसके पश्चात निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड देहरादून, द्वारा अनुमोदित स्कीम आंफ माइनिंग, उत्तरोतर खान बन्दी योजना, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव, निर्धारण प्राधिकरण की शर्तों, उत्तराखण्ड

(लक्ष्मण सिंह) संयुक्त सचिव ...विकास विभाग

(सुनील पंवार) संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून

उप निबन्धक तहसील मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त सी0टी0ई0/सी0टी0ओ0 की शर्तों के अनुसार स्वैच्छिक विराम के बिना कौशलपूर्ण एवं श्रमिक की तरह एवं जैसा खण्ड– 12 में इसके बाद नियत है, फसल भदन व अन्य सम्मपति को बिना किसी हानि पहुचाये कार्य करेगा। इस प्रकार के उद्देश्य हेतु 'सॅचालन' में खान के सम्बन्ध में मशीन लगाना, ट्रामवे बिछाना या सड़क बनाना सम्मिलित है।

सरकार को समस्त दावों हेतु सरकार को क्षतिपूर्ति करना :–

(4) पट्टाधारक उन समस्त हानियों, क्षति या अशॉति जो कि उस/उनके द्वारा इस पट्टे द्वारा प्राप्त शक्तियों के कियान्वयन से हुई हों की ऐसी उचित सन्तोषप्रद एवं क्षतिपूर्ति जो कि विधिक प्राधिकारी द्वारा उस विषय पर तत्समय लागू विधि के अनुसार तय की हो इस हेतु राज्य सरकार को पूर्णतया क्षतिपूर्ति हेतु पूर्णरूप से प्रत्याभूत करेगा उन समस्त दावों हेतु जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसी हानि, क्षति या अशॉति एवं उनसे सम्बन्धित समस्त व्यय व खर्चों सहित किये जा सकते हों।

गडढों, शॉफ्ट इत्यादि की सुरक्षा करना एवं अच्छी स्थिति में बनाये रखना :–

(5) पट्टाधारक इस पट्टे के प्रचलित रहने के दौरान उपरोक्त भूमि में उपयोग किये गये या बनाये गये सभी गड्ढों, शॉफ्ट और कामकाज को काष्ठ या अन्य टिकाऊ साधनों के साथ अच्छे व पर्याप्त रूप से रक्षित करेगा एवं खुला रखेगा तथा ऐसे प्रत्येक गड्ढे, शॉफ्ट या कामकाज को राज्य सरकार की सन्तुष्टि के लिये पर्याप्त बाड़ लगायेगा तथा उसे बनाये रखेगा, भले ही वह परित्यक्त हो या नहीं तथा इस समान अवधि में उपरोक्त भूमि में ऐसे कामकाज के अतिरिक्त, जो जल एवं प्रदूषित वायु की पहुँच से परित्यक्त हो, जितना दूर सम्भव हो, बनाये रखेगा।

खान को आवश्यक स्तर तक सशक्त एवं सहारा देना :–

(6) पट्टाधारक सम्बन्धित रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, की सन्तुष्टि का खान के किसी भाग का सशक्तिकरण एवं सहारा बनायेगा जो कि उसकी राय में किसी रेलवे, बॉध, नहर, सड़क एवं अन्य किसी सार्वजनिक कार्य के ढॉचे के लिए ऐसा सशक्तिकरण या सहारा आवश्यक है।

कार्यस्थल का निरीक्षण करने देना:–

(7.) पट्टाधारक केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किये गये किसी अधिकारी को परिसर, भवन, खान व पट्टे की भूमि पर, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, योजनाओं के बनाने हेतु, नमूने एकत्र करने एवं कोई ऑकड़ा सॅग्रहण करने के उद्देश्य से प्रवेश करने देगा एवं पट्टेदार अपने सेवायोजन से किसी उचित व्यक्ति जो कि खनन के कार्य से भिज्ञ हो और ऐसे अधिकारी, अभिकर्ता, सेवक एवं कर्मकार को ऐसे निरीक्षण में प्रभावी सहायता दे सके उसके साथ भेजेगा एवं उन्हें वे सब सुविधायें, खनन के कार्य से सम्बन्धित सूचनायें जिनकी उन्हें उचित रूप में आवश्यकता हो प्रदान करेगा एवं एवं उन समस्त आदेशों व नियमों का पालन करेगा व उन्हें मानेगा जो राज्य या केन्द्र सरकार उस निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्यथा समय–समय पर उस पर आरोपित उचित समझें।

(सुनील पँवार)
संयुक्त निदेशक /मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनि कर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
औद्योगिक विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

216

(17)

दुर्घटना की रिर्पोट देना:–

(8.) पट्टाधारक कोई दुर्घटना जो पट्टा क्षेत्र पर घटती है, की रिर्पोट सम्बद्व जिले के उपायुक्त तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई या उस द्वारा जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ एवंम प्राधिकृत जनपदीय अधिकारी को बिना विलम्ब करेगा।

अन्य खनिजों की खोज की सूचना देना:–

(9.) पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र में ऐसे किसी खनिज की खोज की सूचना, जो कि पट्टे में उल्लिखित नहीं हो, ऐसी खोज के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार को देगा इसकेसाथ ही ऐसी नयी खोज की प्रकृति व पूर्ण विवरण देगा। यदि पट्टा क्षेत्र में ऐसा कोई पदार्थ जो कि पट्टे में उल्लिखित नहीं है पाया जाता है तो पट्टेदार ऐसे खनिज का खनन एवं विकय नहीं करेगा जब तक कि ऐसा खनिज पट्टे में सम्मिलित न हो या उसके लिये अलग से पट्टा ले लिया गया हो।

उत्पादन एवं कर्मचारियों आदि के सम्बन्ध में अभिलेख व लेखा रखना:–

(10) पट्टाधारक हर समय उपरोक्त समयावधि के दौरान उपरोक्त भूमि पर या समीप स्थित कार्यालय पर सही एवं सुगम लेखा पुस्तिका, जिसमें समय–समय पर शुद्ध प्रविष्टियां दर्शायी हुई हों, रखेगा।

(I) उक्त भूमि से प्राप्त खनिज की मात्रा एवं गुणवत्ता।

(II) विभिन्न अयस्कों की मात्रा या बदलाव करना (उदाहरणार्थ कोयलों को कोक में बदलना)।

(III) कथित खनिजों की मात्रा बिकी की और भेजी गयी हो की पृथक–पृथक मात्रा।

(IV) कथित खनिजों की ऐसा मात्रा जो कि अन्य प्रकार से निपटाई गई और इसका उद्देश्य एवं प्रकार

(V) कथित खनिज के दाम व बिकी के सभी विवरण।

(VI) खनन एवं कार्यशाला या उक्त भूमि पर सेवायोजित व्यक्तियों की सॅख्या, राष्ट्रीयता, शिक्षा एवं तकनीकी कार्मिकों के वेतन का उल्लेख करते हुए।

(VII) ऐसे अन्य तथ्य, विवरण एवं परिस्थितियॉ जैसा कि केन्द्र व राज्य सरकार समय–समय पर चाहे एवं ऐसे अधिकारियों को ऐसे समय पर जैसा कि केन्द्र व राज्य सरकारचाहे बिना किसी शुल्क के ऐसी खाता बही के सार की सत्य व सही प्रतिलिपि एवं ऐसी सूचना एवं विवरणी उपर्युक्त में से किसी या समस्त मामलों में जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करें, प्रेषित करेगा एवं समस्त उचित समयों पर ऐसे अधिकारियों को जिसे कि केन्द्र व राज्य सरकार इस सम्बन्ध में नियुक्त करें, कथित खाता बहियों व पुस्तकों, नक्शे व रिकार्ड के परीक्षण एवं निरीक्षण के उद्देश्य से व उनकी प्रतियॉ बनाने हेतु एवं उनका सार बनाने हेतु स्वतन्त्र पहॅुच प्रदान करें।

मानचित्रों आदि का रख–रखाव करना :–

(11) पट्टाधारक कथित अवधि में हर समय खान कार्यालय में उक्त भूमि के सही, सुगम व वर्तमान एवं पूर्ण खान के नक्शे व आयामों को रखेगा। उन्हें सभी कियाकलापों, कार्यो एवं सभी खान, खाई, खड्डे एवं खुदाई जो उसके कार्य सॅचालन के दौरान की गयी है दिखायेंगे सभी भूमिगत, रूकावटें व अन्य बाधायें जो कि सामने आई, भूगर्भीय ऑकड़े व ऐसे सभी नक्शे व उपभाग को सॅशोधित व भरा जायेगा वास्तविक सर्वेक्षण के उपरान्त 12 मास के अन्तराल पर अथवा जैसा समय–समय पर निर्दिष्ट हो एवं पट्टेदार बिना शुल्क के केन्द्र व राज्य सरकार को

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक/भूतत्व खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(लक्ष्मण सिंह)
सचिव

268

(18)

ऐसे नक्शे व उपभागों को सत्य व सही प्रकृति प्रदान करेगा जब भी चाहा जायेगा। सभी खाईयों, खानों, गड्ढों के सही रिकार्ड में निम्नॉकित दर्शाया जायेगाः–

(अ) उपमिट्टी एवं परतें जिससे वे गुजरती हैं,

(ब) कोई खनिज जो मिला हो,

(स) कोई अन्य महत्व की बात एवं केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय–समयं पर मॉगे गये सभी ऑकड़े।

पट्टाधारक उचित समय पर हर समय केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को इसे निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी। वह/वे जब भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/कोयला महानियन्त्रक, भारतीय खान ब्यूरो जब भी वॉछित हो क्षेत्र का एक समग्र नक्शा जो कि तह की मोटाई, झुकाव व दलदलेपन को प्रदर्शित करता हो एवं गुणवत्ता के अनुसार भण्डार को भी।

(11) (अ) पट्टाधारक केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा।

(ब) पट्टेदार द्वारा खान अधिनियम, 1952 एवं उसके अन्तर्गत समय–समय पर बने नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

(स) पट्टाधारक स्वयं के व्यय पर पर्यावरण सॅरक्षण हेतु प्रयास करेगा जैसे वृक्षारोपण, भूमिसुधार प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों का प्रयोग एवं अन्य ऐसे उपाय जैसे कि समय–समय पर केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जायें।

(द) पट्टाधारक द्वारा उस तिथि पर भूमि के स्वामी या कब्जेदार को इन नियमों में प्रावधानित प्रकार से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

(य) सेवायोजन के प्रकरण में पट्टेदार जनजाति एवं उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा जो कि खनन प्रकिया प्रारम्भ होने के कारण विस्थापित हो चुके है।

(ज) पट्टाधारक उन नियमों से बाध्य होगा जो कि समय–समय पर भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (67 वॉ अधिनियम, 1957) के अन्तर्गत जारी किये हो एवं खान एवं अन्य संचालन अन्यथा कथित पट्टे के अन्तर्गत नहीं करेगा जैसा कि इन नियमों में निर्धारित है।

इलैक्ट्रोनिंक धर्मकांटा का प्रबन्ध करानाः–

(12.) पट्टाधारक इलैक्ट्रोनिक धर्मकांटा का प्रबन्ध करेगा तथा सभी समय पर पिट हैड पर या के निकट जिस पर उक्त खनिज, उचित रूप से निर्मित तथा दक्ष इलैक्ट्रोनिंक धर्मकांटा के किनारे लाएगा तथा किनारे पर लाने, बेचने, निर्यात करने तथा परिवर्तित उत्पादन को समय–समय पर खनिज सोपस्टोन को तोलेगा तथा तुलवाएगा तथा प्रत्येक दिन की समाप्ति पर लेखे की उपरोक्त पुस्तिका में दर्ज किए जाने वाले पूर्व चौबीस घण्टो के दौरान उक्त खनिज सोपस्टोन, कच्ची धातु, उत्पाद उठाए गए, बेचे गए, निर्यात किए गए तथा परिवर्तित किए गए को ऐसे साधनों द्वारा पता लगाए गए का कुल भार करेगा। पट्टाधारी यथा पूर्वोक्त उक्त खनिज सोपस्टोन को तोलने पर उपस्थित होने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित करने हेतु उक्त अवधि के दौरान सभी समयों पर तथा उसका लेखा जोखा रखने के लिए पट्टाधारक द्वारा रखे गए लेखों की जांच के लिए सरकार को अनुज्ञा देगा। पट्टाधारक प्रत्येक ऐसी माप या तोल के जिला खान अधिकारी को लिखित में पन्द्रह दिन पूर्व नोटिस इस उद्देश्य के लिए देगा कि वह या उसकी ओर से कोई अधिकारी वहां पर उपस्थित हो सकता है।

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विभाग

(19)

270

इलैक्ट्रॉनिक धर्मकांटा के जॉच की अनुमतिः–

(13.) पट्टाधारक कथित अवधि में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियुक्त किये जायें उक्तानुसार दी गयी, रखी गयी तोलने की मशीनों व बॉटो का परीक्षण एवं जॉच करने देगा यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे कमानुसार सही व अच्छी प्रकार से रखी गयी हैं एवं यदि ऐसे किसी परीक्षण या जॉच में ऐसी कोई तोलने की मशीन व बॉट गलत है या मरम्मत नहीं की गयी है ठीक से नहीं रखा गया है तो राज्य सरकार उसे समायोजित करने, मरम्मत करने व ठीक प्रकार से रखने के लिये पट्टेदार के व्यय पर कह सकती है एवं यदि ऐसे निर्देशों का पालन उसके बाद चौदह दिनों के अन्तर्गत नहीं होता है तो राज्य सरकार ऐसी तोलने की मशीन व बॉटों को समायोजित, मरम्मत एवं ठीक से रखरखाव करवा सकती है और पट्टेदार ऐसा कराने के व्यय का भुगतान राज्य सरकार को मॉगने पर करेगा एवं यदि ऐसे परीक्षण एवं जॉच में किसी तोलने की मशीन या बॉट में कोई गलती राज्य सरकार के विपरीत पायी जाती है तो ऐसी गलती को माना जायेगा कि यह आखरी परीक्षण व जॉच के अवसर से तीन कलैण्डर माह पूर्व से ऐसी तोलने की मशीन व बॉट में विद्यमान थी एवं कथित किराया व रायल्टी तद्नुसार ही देय एवं हिसाब में ली जायेगी।

सरकार को हानि तथा क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकर का भुगतान करनाः–

(14.) पट्टाधारक सभी हानि, नुकसान या बाधा जो संविदा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने में उस द्वारा की जा सकती है, के लिए ऐसी युक्तियुक्त सन्तुष्टि के लिए करेगा तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा तथा सभी दावों के विरूद्व सरकार की क्षतिपूर्ति जो ऐसी हानि, नुकसान या बाधा के सम्बन्ध में तीसरे पक्षकार द्वारा की जा सकती है, का भुगतान करेगा।

अन्य खनिजों के कार्य को नहीं रोकनाः–

(15.) (क) पट्टाधारक एतद्द्वारा प्रदान की गयी स्वतन्त्रताओं व शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से करेगा कि कोई खनिज जो इस पट्टे में सम्मिलित नहीं है उसके कथित भूमि पर विकास एवं कार्यों को किसी प्रकार की अनावश्यक या उचित रूप से त्याग योग्य बाधा या व्यवधान उत्पन्न न हो एवं हर समय केन्द्र सरकार व राज्य सरकार एवं भावी अनुज्ञाधारक या खनन पट्टेदार को ऐसे किसी खनिज या कोई खनिज को कथित भूमि से लगी हुई भूमि पर, जैसी भी स्थिति हो, पहुॅच के उचित माध्यम एवं सुरक्षित एवं सुगम रास्ता उक्त भूमि पर या उससे होकर उन खनिजों तक इस उद्देश्य से कि उन खनिजों को प्राप्त किया जा सके, कार्य, विकास एवं उन्हें लाया जा सके बशर्ते पट्टेदार को उस हानि या क्षति के लिये जो उसके द्वारा उठाई गयी उचित क्षतिपूर्ति ऐसे भावी अनुज्ञाधारक या पट्टेदार से प्राप्त होगी जो कि उनके द्वारा ऐसा रास्ता प्रयोग करने के परिणामस्वरूप या उसके कारण हुई हो।

किसी विन्यास, कम्पनी, फर्म या व्यक्ति द्वारा नियन्त्रित या वित्त पोषित न होनाः–

(16.) पट्टाधारक किसी विन्यास, कम्पनी, फर्म या व्यक्ति द्वारा न तो नियंन्त्रित होगा न ही स्वयं को नियंन्त्रित होने देगा सिवाय राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की पूर्व लिखित स्वीकृति के। पट्टेदार ऐसी किसी व्यवस्था में न तो रहेगा न ही बनायेगा जिसके द्वारा पट्टेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित होगा जिसके अन्तर्गत पट्टेदार/पट्टेदारों के कार्य या प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विन्यास, सिंडिकेट, कम्पनी, फर्म या व्यक्ति के लिये या उसके लाभ के लिये या उसके नियन्त्रण के विषयान्तर्गत चलें जब तक कि ऐसी व्यवस्था, अनुबन्ध या आपसी समझदारी से पूर्व केन्द्र सरकार की लिखित पूर्व अनुमति न ली गयी हो एवं ऐसी कोई या

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक /मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
...विभाग

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

272

समस्त व्यवस्थायें, अनुबन्ध या आपसी समझदारी जैसी उपर्युक्त (उपर्युक्त प्रकार से प्रवेषित या बनाई गयी) तभी प्रवेशित या बनायी जायेगी एवं सदैव एक व्यक्त शर्त के विषयान्तर्गत रहेगी, पक्षकार व पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी कि एक आपातकाल की स्थिति में जिसका कि एकल निर्णयकर्ता स्वविवेक पर भारत का राष्ट्रपति होगा आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा इसे लिखित में निरस्त किया जा सकता है एवं ऐसी किसी मॉग की दशा में तत्काल तदोपरान्त पट्टेदार द्वारा तद्नुसार निर्णय लिया जायेगा।

पट्टेदार किसी अतिरिक्त आवश्यक राशि को जमा करेगा:–

(17.) जब भी रू0 10,000/– की जमानत राशि या उसका कोई भाग या कोई अतिरिक्त राशि इसके बाद राज्य सरकार को फिर जमा की गयी हो, जब्त की जाती है या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अपनी शक्तियों के अन्तर्गत ऐसी घोषणा की जाती है तो पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी अतिरिक्त राशि फिर जमा करायेगा जो कि इसके लिये पर्याप्त हो कि उसके जिस भाग का प्रयोग नहीं किया गया है उसके साथ जोड़कर यह राशि राज्य सरकार के पास कुल जमा रू0 10,000/– हो जाये।

पट्टे की समाप्ति पर कार्यस्थल को राज्य सरकार को अच्छी दशा में सौंपना:–

(18) पट्टाधारक पट्टे की समाप्ति या उससे पूर्व अवधि समाप्त होने या उसके नवीनीकरण की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार को सभी खानें, खड्डे, दस्ते, झुकाव, सुरंगें, स्तर, जलमार्ग, वायुमार्ग एवं अन्य कार्य विद्यमान या जो कि अब खोदने हैं, बनाने हैं या कथित भूमि के अन्दर हैं सिवाय उसके जो कि राज्य सरकार की सहमति सेछोड़े जा चुके हैं एवं किसी कार्य के साधारण एवं उचित निवर्हन में सभी इन्जन, मशीन, संयन्त्र, भवन, ढॉचे अन्य कार्य व सुविधायें जो कि उक्त अवधि के प्रारम्भ में उक्त भूमि पर या उसके अन्दर थे एवं ऐसी समस्त मशीनरी जो कि पट्टेदार द्वारा भूमि के अन्दर लगायी गयी जो कि उक्त भूमि पर स्थित खानों व कार्यस्थल को हानि पहुँचायें बगैर नहीं निकाली जा सकती (सिवाय उनमें से वे जो कि राज्य सरकार की स्वीकृति से निष्प्रयोज्य हो चुकी हों) एवं पट्टेदार द्वारा भूमि के स्तर पर बनाये गये ईट व पत्थर के भवन व ढॉचे ठीक से मरम्मत किये हुए व दशा में और कथित खानों व कथित खनिजों पर आगे काम के लिये ठीक हो।

पूर्व विकय का अधिकार:–

(19) (अ) राज्य सरकार को कथित अवधि के दौरान समय–समय पर और हर समय कथित खनिजों के पूर्व कय का अधिकार पट्टेदार को लिखित नोटिस देकर प्रयोग करना होगा (एवं वहॉ के सभी उत्पाद) जो कि कथित भूमि में या उस पर हैं या कहीं भी पट्टेदार के नियन्त्रण में हों एतदद्वारा समाप्त हो जायेंगे और पट्टेदार पूरी सम्भव शीघ्रता से समस्त खनिज या उत्पाद या कय किये गये खनिज उक्त अधिकार का प्रयोग करने के नोटिस में उल्लिखित प्रकार से व स्थान पर सौंपा देगा।

(ब) यदि इस वर्तमान प्रावधान द्वारा प्रदत्त पूर्व कय के अधिकार का प्रयोग किया गया है एवं खनिज या उसके उत्पादों को लाने के लिये राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा वाहन किराये पर लेकर भेजा गया है एवं उसे लदान के पत्तन पर विलम्ब शुल्क पर रोका जाता है तो पट्टेदार विलम्ब शुल्क का भुगतान किराये पर देने वाले पक्ष के अनुसार करेगा जब तक कि राज्य सरकार को सन्तोष न हो जाये कि विलम्ब ऐसे कारणों से हुआ जो कि पट्टेदार के नियन्त्रण में नहीं थे।

(स) राज्य सरकार द्वारा एतदद्वारा प्रदत्त पूर्व कय के अधिकार के प्रयोग द्वारा किये गये खनिज या खनिज के उत्पाद का मूल्य पूर्व कय के समय बाजार में प्रचलित उचित मूल्य होगा बशर्ते उचित बाजार मूल्य पर पहुँचने में सहायता करने के लिये पट्टेदार को यदि कहा जाये राज्य सरकार को गोपनीय सूचना में अन्य ग्राहकों को बेचे

19

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक (मुख्य खान अधिकारी)
भूतत्व एव खनि कर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विभाग

274 (21)

गये ख.निज व खनिज उत्पादों की गुणवत्ता, मात्रा, विवरण व मूल्य एवं उसे ले जाने के लिये वाहन किराये के करार उपलब्ध करायेगा एवं ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाये, को ऐसे खनिजों या उत्पादों हेतु पक्षकारों में बिक्री व परिवहन के अनुबन्धों की मूल या अधिकृत प्रतियॉ उपलब्ध करायेगा।

(द) युद्ध या आपातकाल की स्थिति में (उसके हटने के बारे में उत्तराखण्ड के राज्यपाल एकमात्र निर्णयकर्ता होंगें एवं इस प्रभाव की अधिसूचना उत्तराखण्ड के गजट में होना इसका पुख्ता प्रमाण होगा) राज्य सरकार को कथित अवधि में समय–समय पर और सदैव यह अधिकार होगा जो कि पट्टेदार को लिखित में नोटिस देकर प्रयोग किया जा सकेगा तत्काल पट्टेदार के परिसर, कार्यस्थल, संयन्त्र मशीनरी का कब्जा व उस पर नियन्त्रण उक्त भूमि के सम्बन्ध में या उस पर एवं ऐसे कब्जे व नियन्त्रण के दौरान पट्टेदार राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्यस्थल, सॅयन्त्र, परिसर, खनिज व रोजगार के प्रयोग के सम्बन्ध में दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करेगा व पूरा करेगा, बशर्ते कि अनुबन्ध में चूक हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उचित क्षतिपूर्ति का भुगतान पट्टेदार को उसके द्वारा वहन की गयी हानि हेतु जो कि इस प्रस्तर द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग के परिणाम स्वरूप या इसके कारण उठानी पड़ी, किया जायेगा बशर्ते यह और कि ऐसी शक्ति का प्रयोग कथित अवधि जो एतद्द्वारा प्रदान की गयी का निर्धारण नहीं करेगा या इन प्रपत्रों के प्रावधानों व नियमों को उससे अधिक प्रभारित नहीं करेगा जितना कि इस प्रस्तर के प्रावधानों हेतु आवश्यक हो।

विदेशियों का सेवायोजनः–

(20.) खान के संचालन हेतु पट्टेदार किसी व्यक्ति को सेवायोजित नहीं करेगा जो कि भारतीय नागरिक नहीं है सिवाय केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के।

(21.) किन्हीं भी कार्यों या मामलों में जो कि इस सम्बन्ध में पारस्परिक सॅविदा के अनुसार पट्टेदार को करने या सम्पन्न करने थे, इस सम्बन्ध में निर्धारित समय के अन्तर्गत नहीं किये गये है तो सरकार उन्हें करवा सकती है और पट्टेदार राज्य सरकार को मॉगने पर उन समस्त व्ययों का भुगतान करेगा जो कि उन्हें करवाने में व्यय हुए एवं ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

भूगर्भीय भौतिक ऑकड़े प्रस्तुत करना

(22.) पट्टाधारक ऑकड़े प्रस्तुत करेगा :–

(अ) खनन, क्षेत्र, अभियान्त्रीकीय एवं भूगर्भीय जल सर्वेक्षण, जैसे कि विसॅगति नक्शे, सेक्शन, योजना, ढॉचे, समोच्य नक्शे, प्रचालेखन जो कि भूगर्भीय भौतिकी से सम्बन्धित हों और उनके द्वारा खनन सॅचालन के दौरान एकत्र किये हों, निबन्धक, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून उत्तराखण्ड को भेजेगा।

(ब) समस्त सूचनायें जो कि रेडियोधर्मी खनिज के परीक्षण से सम्बन्धित हो, उसके द्वारा खनन संचालन के दौरान एकत्र की हों उन्हें सचिव, केन्द्र सरकार परमाणु ऊर्जा मन्त्रालय, नई दिल्ली एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून उत्तराखण्ड को भेजेगा।

(23.) पट्टाधारक पट्टा अभिलेख में वर्णित, खान अधिनियम एवं नियमावली, शासनादेशों एवं स्थानीय निकायों द्वारा निर्गत आदेशों में निहित शर्तों का पालन करेगा।

(24.) पट्टाधारक शासनादेश सं0 1425/VII-A-1/2021/01(13)2018 दिनांक 23 सितम्बर 2021 द्वारा लगायी गयी शर्तों का सख्ती से पालन करेगा।

उप जिलाधिकारी
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक /मुख्य खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
विकास विभाग

2-76

(21)

(25.) पट्टाधारक किसी भी सार्वजनिक सड़क/आवासी मकान/धार्मिक स्थल/वृक्ष आदि को हानि नहीं पहुँचायेगा।

(26.) पट्टाधारक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खनन कार्यों का संचालन कियान्वित करेगा।

(27.) पट्टाधारक राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 653, इन्दिरा नगर कालोनी सीमाद्वार रोड, देहरादून द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति संख्या E.C. N0 266-01(83)/2019 दिनांक 12–08–2021, तथा भारत सरकार जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या F.N) 6/18/2021 WL दिनांक 11–03–2021 के द्वारा निर्गत NBWL की अनुमति की समस्त शर्तो का पालन करेगा।

(28.) शासनादेश की शर्त संख्या 7.8 के कम में पट्टाधारक द्वारा द्वारा खनन कार्य से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से खनन कार्य करने से पूर्व CTO प्राप्त किया जाना होगा। जिसके सम्बन्ध में पट्टाधारक जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा अवगत कराया गया है कि स्कीम आंफ माइनिंग शासनादेश व लीज डीड की प्रति अपलोड किये जाने का उल्लेख होने के कारण शर्त की अनुपालना अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेशालय स्तर से इस आशय का पत्र प्रेषित किया जा रहा है कि पट्टाधारक के पक्ष में सी0टी0ओ0 निर्गत किये जाने हेतु लीज डीड की बाध्यत्ता को समाप्त करते हुये शासनादेश के आधार पर सी0टी0ओ0 निर्गत कर दी जाय।

<u>विशेष शर्तें</u>

<u>खनन पट्टे का स्वामीः–</u>

(अ) सुनिश्चित करेगा कि उसके पट्टा क्षेत्र में उसके व्यय पर पूर्वेक्षण कार्य किये जा रह है, एसे खनन पट्टे में जहाँः

(I) पूर्वेक्षण कार्य नहीं किये गये हैं।

(II) पूर्वेक्षण रिपोर्ट खनन पट्टे के लिये बना ली गयी है पर UNFC के स्तर से अपूर्ण है या उन स्तरों से वास्तविक रूप से भिन्न है;

(III) नया पूर्वेक्षण कार्य किया जाना आवश्यक हो गया है ऐसे खनिज के लिये जिसके लिये प्रारम्भिक मूल्य भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा पुनरीक्षित कर दिया गया है, एवं

(IV) खनिज या उपखनिज भण्डार की भूगर्भीय दृढ़ता सिद्ध करने के लिये नये पूर्वेक्षण कार्य की आवश्यकता है;

(ब) <u>निम्न अभिलेख प्रस्तुत करेगा :–</u>

(I) पूर्वेक्षण कार्य की प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट; व्यय का विवरण एवं अन्तरिम पूर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति के साथ, जहाँ पूर्वेक्षण रिपोर्ट एक भाग के लिये हो(जैसे उपर्युक्त उप–प्रस्तर (अ) के कमांक 2 व दो पर)

(II) पूर्ण पूर्वेक्षण रिपोर्ट एवं पूर्वेक्षण रिपोर्ट के अन्त में एक व्यवहारिक रिपोर्ट।

(सुशील पंवार)

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(लक्ष्मण सिंह)
सचिव

भाग–VIII

राज्य सरकार के पट्टे के अन्तर्गत उत्तरदायित्व

पट्टेदार शान्ति पूर्वक अधिकारों का उपभोग करेः–

(1) वह पट्टाधारक जो किराये, जल दर/कर एवं रायल्टी का जिला खनिज फोउन्डेशन न्यास को भुगतान कर रहा है एवं उन समस्त उत्तरदायित्वों व अनुबन्ध का जो कि इसमें उल्लिखित हैं जो कि पट्टेदार को निवर्हन करना है वह एतद्द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों का धारणा एवं उपभोग उक्त अवधि के लिये करेगा बिना किसी अवैधानिक रोक जो कि राज्य सरकार या किसी व्यक्ति जो उसके अन्तर्गत वैधानिक रूप से दावा करता हो।

तीसरे पक्ष की भूमि का अधिग्रहण एवं उसके लिये क्षतिपूर्तिः–

(2.) यदि इस सूची के भाग VII के प्रस्तर–4 के प्रावधानों के अनुसार पट्टेदार उक्त भूमि के किसी भाग के कब्जेदार को प्रस्तावित सॅचालन से हुई किसी हानि या क्षति के लिये क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रस्तावित करता है तो पट्टेदार व कब्जेदार राज्य सरकार के अधिकारों व शक्तियों व इन प्रपत्रों से पट्टेदार को हस्तान्तरित को मानने से मना करता है तो पट्टेदार मामले को राज्य सरकार को सूचित करेगा एवं उसके पास क्षतिपूर्ति के रूप में प्रस्तावित राशि को जमा करेगा एवं यदि केन्द्र/राज्य सरकार सन्तुष्ट हो कि प्रस्तावित क्षतिपूर्ति की राशि सही एवं उचित है या यदि वह इस प्रकार से सन्तुष्ट नहीं है तो पट्टेदार को राज्य सरकार के पास ऐसी अतिरिक्त राशि जमा करना होगी जैसा राज्य सरकार सही व उचित समझे एवं राज्य सरकार कब्जेदार को आदेश देगी कि वह पट्टेदार को भूमि में प्रवेश करने दे एवं रहने व कार्य संचालन करने दे जैसा इस पट्टे के उद्देश्य से आवश्यक हो। ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि आगणन करते समय राज्य सरकार भूमि अध्यासन अधिनियम के सिद्धान्तों से पथ प्रदर्शित होगी।

पट्टा समाप्ति करने की स्वतन्त्रताः–

(3.) पट्टेदार/पट्टाधारी राज्य सरकार अथवा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया हो बारह कलैण्डर माह से अन्यून लिखित नोटिस देकर एवं ऐसे नोटिस की समाप्ति पर बशर्ते पट्टेदार ऐसी समाप्ति पर समस्त किराया, पानी का व्यय, रायल्टी, हानि के लिये क्षतिपूर्ति एवं अन्य राशि जो इन प्रपत्रों के अन्तर्गत तब देय हो जाये का भुगतान राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को करता व देता है व ये प्रपत्र राज्य सरकार को सौंपता है तो तब यह पट्टा एवं कथित अवधि एवं एतद्द्वारा प्रदान स्वतन्त्रतायें, शक्तियॉ एवं विशेषाधिकार पूर्णतया समाप्त एवं निरस्त हो जायेंगे लेकिन राज्य सरकार के इस पट्टे या अनुबन्ध के टूटने के सम्बन्ध में किसी अधिकार या उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले।

(3अ.) पट्टाधारक द्वारा दिये गये आवेदन पर राज्य सरकार उसे उसके पट्टे में से एक या अधिक खनिजों के समर्पण की अनुमति दे सकती है इस आधार पर कि उस खनिज के भण्डार समाप्त हो चुके हैं या इस सीमा तक कम हो चुके हैं कि खनिज को आर्थिक रूप से निकालना अब सम्भव नहीं रह गया है इस शर्त के विषयान्तर्गत की पट्टेदारः–

(अ) प्रत्याशित समर्पण की तिथि से कम से कम छः माह पूर्व ऐसे समर्पण के लिये आवेदन करें एवं

(ब) यह वचन देता है कि वे ऐसे समर्पित खनिज के खनन में किसी अन्य व्यक्ति को जिसे बाद में उस खनिज के खनन का पट्टा प्रदान किया जाये कोई रूकावट नहीं डालेंगे।

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक /भूतत्व खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

जमा जमानत की वापसीः–

ऐसी तिथि को जो कि राज्य सरकार इस पट्टे की समाप्ति के बारह माह के अन्दर या उसके किसी नवीनीकरण पर, इस पट्टे की जमानत हेतु जमा राशि एवं तब राज्य सरकार के पास बची हुई जमा एवं जिसकी आवश्यकता इस पट्टे में उल्लिखित किसी उद्देश्य हेतु प्रयोग में नहीं हो, पट्टेदार, पट्टेदार/पट्टाधारियों को वापस कर दी जायेगी जमानत की जमा पर कोई ब्याज नहीं होगा।

भाग–IX
सामान्य प्रावधान

निरीक्षण में रूकावट :–

(1.) यदि पट्टाधारक या उसके/उनके द्वारा हस्तान्तरिती राज्य सरकार द्वारा कथित नियमों के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी को प्रवेशया निरीक्षण से रोकता है तो राज्य सरकार पट्टेदार को लिखित नोटिस उस अवधि में कारण बताने हेतु देगी जैसा नोटिस में निर्दिष्ट हो कि क्यों न उनका पट्टा समाप्त कर दिया जाये व जमानत राशि जब्त कर ली जाये एवं यदि पट्टेदार उक्त अवधि में राज्य सरकार की सन्तृष्टि का कारण बताने में असफल रहता है तो राज्य सरकार पट्टे को समाप्त कर सकती है एवं जमानत राशि को पूर्ण या ऑशिक रूप से जब्त कर सकती है।

रायल्टी के भुगतान में चूक एवं अनुबन्ध का उल्लंघन करने पर अर्थदण्डः–

(2.) यदि पट्टाधारक या उसका/उनका हस्तान्तरिती या अभिकर्ता किराये या जलकर या रायल्टी के भुगतान में कोई चूक करता है जैसा कि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001(समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा वॉछित है या अनुबन्ध में वर्णित शर्त के अतिरिक्त किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार पट्टेदार को किराये, जलकर, रायल्टी या उल्लंघन के उपचार हेतु, जैसी भी स्थिति हो, नोटिस देगी। नोटिस प्राप्त होने के तीस दिन के अन्तर्गत यदि किराये, जलकर एवं रायल्टी का भुगतान नहीं होता है या उल्लॅघन का उपचार ऐसी अवधि में नहीं होता है तो राज्य सरकार कोई कार्यवाही जो कि उसके/उनके विरूद्ध की जा सकती हो, पर बिना कोई विपरीत प्रभाव पड़े, पट्टे को समाप्त कर सकती है एवं जमानत राशि को पूर्ण या ऑशिक रूप से जब्त कर सकती है।

अनुबन्ध के उल्लंघन की पुनरावृत्ति हेतु अर्थदण्ड :–

(3.) पट्टाधारक द्वारा बार–बार बाचाओं एवं अनुबन्ध को तोड़ने पर जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर–1 व 2 के अनुसार नोटिस पूर्व में दिया गया हो तो राज्य सरकार अन्य कोई नोटिस दिये बिना स्वंय के द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड लगा सकती है।

अप्रत्याशित घटना के कारण पट्टे की शर्तों को पूरा न कर पानाः–

(4.) पट्टाधारक द्वारा इस पट्टे के नियमों व शर्तों को पूर्ण करने में असफल रहना केन्द्र व राज्य सरकार को पट्टेदार के विरूद्ध यह अधिकार प्रदान नही करेगा कि वह इसको पट्टे का उल्लॅघन समझे जहॉ तक ऐसे उल्लॅघन को सरकार द्वारा अप्रत्याशित कारणों से उत्पन्न माना जाये एवं यदि अप्रत्याशित घटनाओं से पट्टेदार द्वारा इस पट्टे की शर्तों एवं नियमों के पालन में देरी हो जाती है तो ऐसे विलम्ब की अवधि को पट्टे की निर्धारित अवधि में राज्य सरकार की अनुमति के उपरान्त जोड़ दिया जायेगा। इस प्रस्तर में 'अप्रत्याशित घटनायें'का अर्थ भगवान के कृत्य, युद्ध, विद्रोह, दंगे, नागरिक विद्रोह, हड़ताल, भूचाल, ज्वार भाटा, तूफान,

(लक्ष्मण सिंह)

(सुनील पंवार)

उप निबन्धक
तहसील मुनस्यारी
(पिथौरागढ़)

282

ज्वारभाटे की लहरें, बाढ़, वज्रपात, विस्फोट, अग्नि और अन्य कोई घटना जिसे पट्टेदार द्वारा स्वाभाविक रूप से रोका या नियन्त्रित नहीं किया जा सका।

पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्ति हटायेगा:–

(5.) पट्टेदार जिसने प्रथमतया अपने अधिकारों के अन्तर्गत देय किराया, दरें व रायल्टी का भुगतान कर दिया हो पट्टा समाप्ति या पूर्व में ही कथित अवधिसमाप्त होने पर या तदोपरान्त 6 कलैण्डर माह की समाप्ति पर (जब तक कि पट्टा इस भाग के प्रस्तर–1 व 2 के अन्तर्गत निर्धारित हो एवं ऐसी दशा में किसी भी समय तीन कलैण्डर माह से कम नहीं न ही ऐसे निर्धारण के 6 कलैण्डर माह से अधिक नहीं) अपने स्वयं के लाभ हेतु समस्त या एक खनिज जो कि पट्टे की अवधि में निकाला गया हो, इन्जन, मशीन, सॅयन्त्र, भवन, ढॉचा, ट्रामवे, रेल व अन्य कार्य निर्माण एवं सुविधायें जिनका निर्माण, स्थापना, या लाये गये हों पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि पर एवं जिसे पट्टेदार राज्य सरकार को इस सूची के भाग–VII के प्रस्तर 20 के अन्तर्गत सौंपने के लिये बाध्य न हो एवं जिसे राज्य सरकार कय करने की इच्छुक न हो।

पट्टा समाप्ति के 6 माह से अधिक छोड़ने पर सम्पत्ति जब्त होना :–

(6.) यदि पट्टा समाप्ति के 6 कलैण्डर माह की समाप्ति या कथित अवधि के इस सूची के भाग–VIII के प्रस्तर 4 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्व में ही समाप्ति पर उक्त भूमि पर या उसके अन्दर कोई उपखनिज या खनिज, इन्जन, मशीनरी, संयन्त्र, भवन, ढांचा, ट्रामवे, रेलवे, अन्य कार्य, निर्माण व अन्य सुविधायें जो कि पट्टेदार द्वारा किसी अन्य भूमि पर कार्य के लिये पूर्वेक्षण अनुज्ञा या खनन पट्टे के अन्तर्गत वॉछित नहीं है तो वे यदि पट्टेदार राज्य सरकार द्वारा लिखित नोटिस देने के एक माह के उपरान्त भी हटाये नहीं जाते हैं तो वे राज्य सरकार की सम्पत्ति मान लिये जायेंगे एवं उन्हें इस प्रकार से बेचा या निस्तारित किया जा सकता है जैसे राज्य सरकार उचित समझे बिना पट्टेदार को इस हेतु कोई कोई क्षतिपूर्ति दिये या पट्टेदार को हिसाब दिये।

नोटिस :–

(7) इन प्रपत्रों में प्रत्येक नोटिस जो पट्टेदार को दिया जाना है वह लिखित में ऐसे व्यक्ति जो उक्त भूमि में रहता हो जिसे पट्टेदार ने ऐसे नोटिस लेने के उद्देश्य से नियुक्त किया हो, दिया जायेगा एवं यदि वहॉ ऐसी कोई नियुक्ति नहीं है तो ऐसा प्रत्येक नोटिस पॅजीकृत डाक से पट्टेदार को इस पट्टे में लिखित पते पर भेजा जायेगा अथवा या भारत में ऐसे अन्य पते पर जैसा कि पट्टेदार द्वारा समय–समय पर ऐसे नोटिस प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार को नामित किया हो एवं ऐसी पालना भी पट्टेदार पर उचित एवं बाध्य मानी जायेगी एवं उसके/उनके द्वारा इसे चुनौती या प्रश्नचिन्हित नहीं किया जायेगा।

राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति भुगतान के दायित्व से स्वतन्त्रता:–

(8) यदि किसी स्थिति में राज्य सरकार के आदेश को राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के अध्याय की कार्यवाही के अनुसरण में निरस्त, पुनरीक्षित या पुनः समीक्षित होता है तो पट्टेदार इन प्रपत्रों द्वारा प्रदत्त किसी हानि की क्षतिपूर्ति हेतु अधिकृत नहीं होगा।

(8अ) यह पट्टा उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी देहरादून में एवं भारत के संविधान की धारा 226 के विषयान्तर्गत निष्पादित किया गया। एतद्द्वारा पट्टेदार एवं राज्य सरकार में सहमति बनी है कि पट्टे के क्षेत्र एवं पट्टे की शर्तों के सम्बन्ध में, पट्टे के अन्तर्गत देयकों की वसूली एवं समस्त मामलें जो पट्टेदार व राज्य सरकार के

(सुनील पंवार) संयुक्त निदेशक/मुख्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म

उप-निबन्धक तहसील मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

(लक्ष्मण सिंह)

(25)

284

सम्बन्धों को स्पर्श करते हों के सम्बन्ध में वाद (या अपीलें) पिथौरागढ दीवानी न्यायालय में योजित होंगे एवं एतद्द्वारा यह व्यक्त रूप में सहमति है कि कोई भी पक्ष उपर्युक्त नामित न्यायालय के अलावा किसी भी स्थान पर वाद या कोई कार्यवाही या याचिका योजित करने हेतु सक्षम नहीं होगा।

स्टांम्प शुल्क के प्रयोजन हेतु रू0 7,50,000 (अधिकतम रू0 7,50,000) जैसा कि उप निबंधक मुंस्यारी के पत्र सं0 01/नि0लि0/2021–22 दिनांक 01 अक्टूबर 2021 के द्वारा निर्धारित है तथा पट्टा भूमि से प्रत्याशित अपरिहार्य भाटक रू0 1,50,00,000/– निर्धारित है।

यह कि खनन पट्टा विलेख में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबंधो, जिलाधिकारी पिथौरागढ, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून,जिला खान अधिकारी पिथौरागढ, प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ व राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा खनन कार्य आदि हेतु दिये गये शर्तो/दिशा–निर्देशों का खनन पट्टाधारक मै0 जे0डी मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौटी, बी–54, जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी जनपद नैनीताल के द्वारा अक्षरशः पालन किया जाना होगा।

द्वारा हस्ताक्षर किए

....

(उत्तराखण्ड के राज्यपाल की ओर से संयुक्त सचिव खनन उत्तराखण्ड शासन पट्टादाता)

(लक्ष्मण सिंह) संयुक्त सचिव औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन

उपस्थिति में,

....

....

(सुशील पंवार) संयुक्त निदेशक /मुख्य खान अधिकारी भूतत्व एवं खनि कर्म इकाई उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून

द्वारा हस्ताक्षर किए

....

मै0 जे0डी मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौटी, बी–54, जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी जनपद नैनीताल।
आधार संख्या– 542774815453

गवाहो की उपस्थिति में,

1.	2. ....
श्री नरेश आर्या,	श्री नितिश मेर,
निवासी– हीरानगर जी0जी0आई0सी0,	निवासी –बिलौना, बिलौनासेरा,
वार्ड नं0–7 हल्द्वानी नैनीताल।	बागेश्वर।
आधार संख्या–848773165816	आधार संख्या–900316107190

उप निबन्धक तहसील मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

(3) Kunwar Singh Karanga S/o Hayat Singh Gram - Shama Post Shama Kapkot, Bageshwar (Uttarakhand) Aadhar No - 58677475 0596

(लक्ष्मण सिंह) संयुक्त सचिव औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन

UKPCB

सलग्नक - 9

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)
Web: www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com
Ph. No. 2976157, 2976158, 2607092

UKPCB/HO/Con/ J-131/2022/ 1923

Date : 31-3-2022
REGD. POST

To,

M/s J.D. Minerals,
Shree Rajendra Singh Dafoti,
B-54, Judge Farm, Choti Mukhani,
Haldwani, Distt-Nainital Uttarakhand

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2)" of the "Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as **Water Act, Air Act** and **HW Rules** respectively).

CAF ID - 26081	Application No. – 2311414
CCA (Renewal)	Date :- 25.03.2022

CCA is hereby granted to **M/s JD Minerals** for mining of Soapstone at **Vill. Bajeta, Tehsil** Munsyari, Distt. **Pithoragarh** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and **Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is **granted for the period upto 31.03.2027** and valid for mining of following product(s) with **Capital Investment/Net Assets Values ₹ 67.34 Lacs.** :-

S. No.	Last CCA		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Year)	Product	Quantity (Per Year)
1	Soapstone	68231 MT	Soapstone	68231 MT

2. **Specific Conditions under Water Act** :-

(i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD)** :-

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	Nil	Nil
Sewage	Nil	0.5

(ii) **Trade Effluent Treatment and Disposal :-** ……………………Nil……………………

(iii) **Sewage Treatment and Disposal** :- The applicant shall provide comprehensive Septic Tank/Soak pits as is required with reference to influent quantity and quality.

3. **Conditions under Air Act** :-

(i) The applicant shall not use any fuel.

(ii) Unit has to maintain ambient air quality and ensure that the same be kept within norms as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986.

(iii) Unit has to follow ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. **Conditions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** :- There shall not be any hazardous waste, hence this rule is not applicable.

5. This CCA is valid for Extraction/mining of Soapstone by the process of Open cast mechanized method without drilling & blasting operation only.

6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit** :-
   (i) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986.**
   (ii) Quarterly **compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.**

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.

8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the **Water Act, Air Act** and **Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** will results in legal action under the aforesaid **Acts and Rules.**

Member Secretary

Copy to: **Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, Distt. Nainital** for information and compliance of the same.

Chief Environment Officer

Annexure

Specific Conditions:

1. The Occupier shall under take mining in conformity with approved Mining Plan with the conditions and Rules prescribed in this regard, and instruction issued time to time.
2. The Occupier shall make permanent piller(s) along the boundary of the mining area and shall display details as- Name of Occupier, Lease Date & Validity, Lease Area etc. at prominent place.
3. The Occupier shall ensure that whatever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
4. The Occupier shall ensure regular water sprinkling in critically prone to air pollution and having high levels of Particulate Matter (PM) such as loading and unloading points and all transfer points.
5. The Occupier shall undertaken adequate safeguard measures during extraction of minor minerals and ensure that due to this activity the hydro-geological refine of surrounding area shall not be affected.
6. Vehicular emission shall be kept under Control and regularly monitored. The mined material/over burden shall be carried out through the covered vehicles only and vehicles carrying the mined material/over burden shall not be overloaded.
7. Mining of soap stone only shall be carried out as per approved mining plan. Drilling/blasting etc shall be carried out only after prior approval of the Competent Authority.
8. Periodical medical examination of workers engaged in mining activity shall be carried out and records maintained.
9. The Occupier shall take all precautionary measures during mining operation for conservation & protection of endangered fauna & flora etc.
10. No change shall be made in mining technology and scope of mining work without prior approval of competent authority.
11. Mining shall be carried out in stipulated time and duration as permitted by competent authority.
12. The Occupier shall comply with the directions/instructions issued by the competent authority from time to time.
13. The Occupier shall strictly adhere to the conditions of Environment Clearance issued by the competent authority & provisions of approved mining plan, scrupulously.
14. The occupier shall comply with the Environment Management Plan and shall execute proposed environment management activities, scrupulously.
15. Overburden generated from the mining process shall be managed and restored as per approved mining plan. Illegal disposal/dump of overburden shall be treated as non compliance.
16. The Occupier(s) shall mark the mining area as per allotted mining lease by Competent Authority and mining shall be carried out only in approval mining area.
17. The Occupier shall ensure to submit Ambient Air Quality Report at quarterly basis.
18. The Occupier shall strictly adhere to **Approved Mining Plan with Progressive Mining Closure Plan** duly approved by the competent authority. In case of non-compliance, this CCA shall stand withdrawn.
19. The Soapstone mining capacity shall not exceed the mining capacity as permitted by the Directorate of Geology & Mining, Uttarakhand.
20. The Occupier shall strictly adhere to the provisions of the Water Act, Air Act, Environment (Protection) Act, and Rules/Notifications made thereunder.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF&CC and shall report to the UKPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.

3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
7. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
8. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
9. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
10. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
11. The **Board** reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
12. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without permission of Board.

31.3

Chief Environment Officer

UKPCB

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)
Web : www.ueppcb.uk.gov.in E-mail : [illegible]
Ph. No. [illegible]

UKPCB/HO/Con/ J-131/2021/ 1223 — Date : 24.11.2021

REGD. POST

To,

M/s JD Minerals,
Vill. Bajeta,
Tehsil Munsyari, Distt. Pithoragarh.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation *hereinafter referred to as the CCA* (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the "*Water (Prevention* & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "*Air (Prevention & Control of* Pollution) Act, 1981" and Authorization under "*Rule-6(2)*" of the "*Hazardous and Other* Wastes (*Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under* "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as **Water Act, *Air* Act and HW Rules** respectively).

CAF ID - 26081	Application No. – 1875580
CCA (Fresh)	Date :- 18.11.2021

CCA is hereby granted to **M/s JD Minerals** for mining at *Vill. Bajeta, Tehsil Munsyari, Distt.* **Pithoragarh** subject to the provisions of the Water Act, Air Act and *Hazardous and Other* **Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is **granted for the period upto 31.03.2022** and valid for mining of following product(s) with **Capital Investment/Net Assets Values ₹ 67.34 Lacs.** :-

S. No.	CTE		Present CCA (Fresh)	
	Product	Quantity (Per Year)	Product	Quantity (Per Year)
1	Soapstone	68231 MT	Soapstone	68231 MT

2. **Specific Conditions under Water Act :-**

(i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-**

	CTE	Present CCA (Fresh)
Trade Effluent	Nil	Nil
Sewage	Nil	Nil

(ii) **Trade Effluent Treatment and Disposal :-** ……………………Nil……………………

(iii) **Sewage Treatment and Disposal** :- The applicant shall provide comprehensive Septic Tank/Soak pits as is required with reference to influent quantity and quality.

3. **Conditions under Air Act :-**

(i) The applicant shall not use any fuel.

(ii) Unit has to maintain ambient air quality and ensure that the same be kept within norms as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986.

(iii) Unit has to follow ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones which are as follows :-

Standards for Noise	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night

level in db(A) Leq	time	time	time	time	time	time	time	time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. **Conditions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** :- There shall not be any hazardous waste, hence this rule is not applicable.

5. This CCA is valid for Extraction/mining of Soapstone by the process of Open cast manual method without adopting drilling/blasting operation only.

6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit** :-
   (i) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986**.
   (ii) Quarterly **compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area**.

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.

8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the **Water Act, Air Act** and **Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** will results in legal action under the aforesaid **Acts and Rules**.

Member Secretary

Copy to: **Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, Distt. Nainital** for information and compliance of the same.

Chief Environment Officer

Annexure

Specific Conditions:

1. The Occupier shall under take mining in conformity with approved Mining Plan with the conditions and Rules prescribed in this regard, and instruction issued time to time.
2. The Occupier shall make permanent piller(s) along the boundary of the mining area and shall display details as- Name of Occupier, Lease Date & Validity, Lease Area etc. at prominent place.
3. The Occupier shall ensure that whatever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
4. The Occupier shall ensure regular water sprinkling in critically prone to air pollution and having high levels of Particulate Matter (PM) such as loading and unloading points and all transfer points.
5. The Occupier shall undertaken adequate safeguard measures during extraction of minor minerals and ensure that due to this activity the hydro-geological refine of surrounding area shall not be affected.
6. Vehicular emission shall be kept under Control and regularly monitored. The sand, bajri & boulders shall be carried out through the covered trucks only and vehicles carrying the sand/bajri/boulders shall not be overloaded.
7. Mining of soap stone only shall be carried out as per approved mining plan. Drilling/blasting etc shall be carried out only after prior approval of the Competent Authority.
8. Periodical medical examination of workers engaged in mining activity shall be carried out and records maintained.
9. The Occupier shall take all precautionary measures during mining operation for conservation & protection of endangered fauna & flora etc.
10. No change shall be made in mining technology and scope of mining work without prior approval of competent authority.
11. Mining shall be carried out in stipulated time and duration as permitted by competent authority.
12. The Occupier shall comply with the directions/instructions issued by the competent authority from time to time.
13. The Occupier shall strictly adhere to the conditions of Environment Clearance issued by the competent authority & provisions of approved mining plan, scrupulously.
14. The occupier shall comply with the Environment Management Plan and shall execute proposed environment management activities, scrupulously.
15. Overburden generated from the mining process shall be managed and restored as per approved mining plan. Illegal disposal/dump of overburden shall be treated as non compliance.
16. The Occupier(s) shall mark the mining area as per allotted mining lease by Competent Authority and mining shall be carried out only in approval mining area.
17. The Occupier shall ensure to submit Ambient Air Quality Report at quarterly basis.
18. The Occupier shall strictly adhere to Progressive Mining Closure Plan duly approved by the competent authority. In case of non-compliance, this CCA shall stand withdrawn.
19. The Soapstone mining capacity shall not exceed the mining capacity as permitted by the Directorate of Geology & Mining, Uttarakhand.
20. The Occupier shall strictly adhere to the provisions of the Water Act, Air Act, Environment (Protection) Act, and Rules/Notifications made thereunder.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF&CC and shall report to the UKPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.

UKPCB

4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
7. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
8. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
9. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
10. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
11. The **Board** reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
12. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without permission of Board.

26/1/19

Chief Environment Officer

E/C JDH

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून-248001

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/एचओसी-7294/2021/ 635 दिनांक 23.8.2021

सेवा में,

M/s J.D. Minerals,
Vill.- Bajeta, Tehsil-Munsyari,
Distt- Pithoragarh.

Registered/AD

CAF ID - 26081
CTE : Fresh

विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2021 (Application No.- 1604422) एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त स्थापनार्थ सहमति (Consent to Establish) पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Vill- Bajeta, Tehsi-Munsyari, Distt- Pithoragarh. (Total Mining Area – 17.96 Hectare)
(ख) उत्पादन :	Soapstone – 68231MT for Five Years (As per Office Order No. -1257/ मु0ख0/खनन/144/पियौ0/भू0खनि0ई0/2018-19 दिनांक 24 जुलाई, 2021of the Geology & Mining Unit, Directorate of Industry, Dehradun.)
(ग) मुख्य कच्चे माल :	Soapstone Lumps- 68231 MT for Five Years.
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह :	NIL
(ङ.) प्रयुक्त ईंधन :	NIL

2- चुगान/खनन क्षेत्र में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित् करें।

3- चुगान/खनन क्षेत्र में परीक्षण संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल सहमति एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4- चुगान/खनन क्षेत्र में परीक्षण सचांलन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।

5- जनित घरेलू उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक के माध्यम से सोक-पिट में निस्तारित किया जाये।

6- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र केवल घरेलू उत्प्रवाह के लिये मान्य है।

7- इकाई प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र जारी होने की तिथि से 05 वर्ष तक के लिये वैध होगा।

9- चुगान/खनन के दौरान धूल निस्तारण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था सुनश्चित की जाये एवं यह भी सुनिश्चित किया जाये कि खनन/चुगान कार्य एवं आदि से परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रभावित न होवें।

10- चुगान/खनन क्षेत्र से जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निस्तारित किया जाये, कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे। खनन/चुगान कार्य से जनित over burden का नियमानुसार प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी दशा में over burden का अनधिकृत रूप से निस्तारण न किया जाये।

11- चुगान/खनन कार्य का संचालन इस प्रकार किया जाये. कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न होवें।

... चुगान/खनन क्षेत्र परिसर में चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित पट्टिका हेतु सघन तथा छायादार वृक्षों का चयन किया जाये। हरित पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर खनन कार्य न किया जाये।

13- चुगान/खनन क्षेत्र में परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं ट्रांसबाउण्ड्री मूवमेन्ट) नियम 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उत्पादन से पूर्व परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाये।

14- चुगान/खनन क्षेत्र में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

15- चुगान/खनन हेतु State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttarakhand द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति सं० 266-01(83)/2019, दिनांक 12.08.2021 में वर्णित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

16- विषयगत खनन स्थल पर खनन/चुगान कार्य सक्षम स्तर से अनुमोदित Mining Plan के अनुसार ही किया जाये तथा खनन/चुगान कार्य मात्र सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जाये।

17- खनन/चुगान कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि खनन/चुगान से नदी/जल धारा का प्राकृतिक प्रवाह किसी भी दशा में बाधित न होंवे तथा समीपवर्ती जल स्त्रोतों की गुणवत्ता किसी भी दशा में प्रभावित न होवें।

18- खनन/चुगान से प्राप्त रेता/बजरी/पत्थर के परिवहन हेतु आबद्ध वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाये, ताकि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।

19- इकाई चुगान/खनन कार्य इस प्रकार किया जाये कि जल एवं वायु प्रदूषण की समस्यायें उत्पन्न न होंवे। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार जल छिड़काव की व्यवस्थायें की जाये ताकि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।

20- विषयगत स्थल पर खनन/चुगान कार्य मात्र Open Cast Pit Semi Mechanized Method द्वारा किया जाये। किसी भी दशा में Drilling & Blasting न की जाये।

21- विषयगत स्थल पर खनन/चुगान कार्य के साथ Progressive Mine Closure Plan के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी दशा में Mining से जनित Over Burden को अनधिकृत रूप से निस्तारित न किया जायें। उक्त कार्य हेतु पूर्व से ही Corpus fund की व्यवस्था की जाये।

22- खनन/चुगान कार्य मात्र सक्षम स्तर से सीमांकित क्षेत्र के अन्तर्गत ही किया जाये। सीमांकन हेतु पक्के/स्थाई पीलर्स की स्थापना की जाये एवं खनन क्षेत्र का पूर्व विवरण यथा-नाम, क्षेत्रफल, लीज़ की अवधि, खनन की मात्रा आदि हेतु डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाये।

23- खनन/चुगान हेतु समय-समय पर शासन/सक्षम स्तर से प्रेषित् आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।

24- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। आवेदक सक्षम विभागों से आवश्यक रूप से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करे।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापना हेतु सहमति (CTE) पत्र निरस्त कर दिया जयेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में खनन क्षेत्र द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 19.09.2021 तक अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित् की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापना हेतु सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय

(एस०पी० सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

O/C

पृ० सं० एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, जिला- नैनीताल को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

संलग्नक -10

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
भोपालपानी उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या मुख्य खनिज–/मा0 प्ला0–144/पिथौ0/2022–23 दिनांक 23 सितम्बर, 2022

कार्यालय –ज्ञाप

मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौटी , बी–54 जज फर्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी जनपद नैनीताल के पक्ष में उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 1425/VII-I-II/2021 /1(13)/18 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ तहसील मुनस्यारी ग्राम बजेता क्षेत्रान्तर्गत कुल 17.967 है0 भूमि में 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत खनन पट्टे से संबंधित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना जो कि आर0 क्यू0पी0 श्री पंकज पाण्डे द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज–माइनिंग प्लान/26 भू0खनि0ई0/2015–16 दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-I/2015/68–ख /2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-I/68–ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के प्रस्तर –8 (दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के निमय–34 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1257/मु0ख0/खनन/144/पिथौ0/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 24 जुलाई, 2021 के द्वारा मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौटी , बी–54 जज फर्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी जनपद नैनीताल के पक्ष में वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 हेतु अनुमोदित की गयी थी। जिला खान अधिकारी पिथौरागढ के पत्र संख्या 357 दिनांक 31.08.2022 एवं पत्र सख्या 390 दिनांक 13–09–2022 के द्वारा उक्त अनुमोदित खनन योजना में चिन्हित किये गये पिट क्षेत्र के कुछ काश्तकारों द्वारा खनन कार्य में विरोध किये जाने तथा वर्ष 2021–22 में प्रश्नगत खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य न किये जाने से वर्ष 2021–22 का Lapse Period मानते हुये अगामी 04 वर्ष हेतु पूर्व में स्वीकृत खनन योजना को संशोधित किये जाने हेतु पट्टाधारक द्वारा किये गये अनुरोध के कम में श्री पंकज पाण्डे आर0क्यू0पी0 द्वारा तैयार संशोधित (Modified)खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन आगामी 04 वर्ष की अवधि हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माईनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के वर्ष 21–22 Lapse Period, वर्ष 2022–23 हेतु 12,562टन, वर्ष 2023–24 हेतु 13,924 टन , वर्ष 2024–25 हेतु 15,275 टन, एवं वर्ष 2025–26 हेतु 17035 टन के उत्पादन हेतु संशोधित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधो के अधीन किया जाता है:–

1. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
2. पट्टाधारक द्वारा वर्ष 2021–22 (Lapse Period) का अपरहिार्य भाटक जिलाधिकारी पिथौरागढ/जिला खान अधिकारी पिथौरागढ से आंगणित कराकर जमा कराया जाना होगा।
3. खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
4. खनन कार्य एवंम खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित खनन योजना एवं एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अनुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।
5. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 1425/VII-I-II/2021 /1(13)/18 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 द्वारा निर्गत शासनादेश की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जाना होगा।
6. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
7. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश, और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।

3. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
9. इस खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
10. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
11. धात्विक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
12. खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य बैन्च बनाकर किया जायेगा। पट्टाक्षेत्र में किसी भी प्रकार की ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग का उपयोग निषिद्ध रहेगा।
13. पट्टाधारक को मोटर मार्ग से खनन पिट तक जाने के लिए पक्के फुटपाथ का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
14. The Occupational safety Health and Working Conditions Code -2020 की अनुपालना की जानी होगी।
15. पट्टाधारक को पट्टाक्षेत्र में खनिज विकास एवं संरक्षण , खनन कार्य, निर्धारित स्थान पर मलवा का निस्तारण , रिटेनिंग वाल्स, प्रोग्रेसिव माइनिंग क्लोजर प्लान, चैकडैम, वृक्षारोपण एवं गारलैंड ड्रेनेज सिस्टम, सिल्टेशन टैंक निर्माण आदि कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार करना अनिवार्य होगा।
16. पट्टाधारक को गधेरे, गूल, रास्ता एवं सार्वजनिक भूमि को संरक्षित करते हुए खनन कार्य करना होगा तथा सार्वजनिक भूमि में खनन कार्य तथा मलवा डालना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
17. यदि पट्टाधारक द्वारा सर्वजनिक उपयोग की भूमि में किसी प्रकार का खनन कार्य या मलवा डाला जाता है तो उसे अवैध माना जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
19. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
20. भू-संदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू-संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होगें।
21. अनुमोदित खनन योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/आवेदक का होगा।

संलग्नकः संशोधित खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

(एस0एल0पैट्रिक)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्याः 2350 /मु0ख0/खनन/144/पिथौ0/भू0खनि0ई0/2018-19तददिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आई0टी0 पार्क देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ।
6. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पिथौरागढ।
7. जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दापौटी, बी-54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
8. श्री पंकज पाण्डे पुत्र श्री रमेश चन्द्र पाण्डे निवासी बी-/213, श्री नाथजी बिहार सीतपुर लखनऊ।

23/9/2022

(एस0एल0पैट्रिक)
निदेशक।

संलग्नक - 11

कार्यालय तहसीलदार तेजम।

संख्या–[illegible]/खनन–जांच/2022–23 दिनांक मार्च 17, 2023

सेवा में,

उपजिलाधिकारी महोदय,
मुनस्यारी।

विषय– ग्राम बजेता पर खनन कार्य पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय भूतत्व एवं खनिकम इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, जिला टास्क फोर्स, न्यू टकाना कालोनी, पिथौरागढ के पत्र संख्या 1204/जि0टा0फो0पि0/जांच/2022–23 दिनांक 12.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ के कार्यालय पत्र संख्या र–1002/तीस–खनन/2022–23 दिनांक जनवरी 02, 2022 में उल्लिखित ग्राम बजेता के स्थानीय निवासियों के शिकायत जिसमें उनके द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र स्व0 श्री नन्दन सिंह दफौटी, खडिया खनन पटटाधारक द्वारा ग्राम अन्तर्गत गौचर पनघट की भूमि में बिना ग्रामवासियों की सहमति के 500 मी0 मोटर मार्ग निर्माण करने, सैंकडों चीड के हरे भरे पेडों को खडिया खनन से नुकसान पहुंचाने, खनन स्थल का मलवा पानी के स्त्रोतों में डालने आदि का उल्लेख कर खडिया खनन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण/जांच कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के क्रम में श्रीमान् के आदेशअनुपालनार्थ प्रकरण में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग पिथौरागढ से दूरभाष पर संयुक्त निरीक्षण तिथि दिनांक 18.03.2023 निर्धारित किये जाने उपरान्त भूतत्व एवं खनिकम इकाई, पिथौरागढ, वन विभाग, मुनस्यारी एवं राजस्व विभाग के के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ निर्धारित दिनांक को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न– यथोक्त/–

भवदीय,

(भूपाल सिंह [illegible])
प्र0 तहसीलदार
तेजम।

--संयुक्त निरीक्षण आख्या--

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ के कार्यालय पत्र संख्या-र-1002/तीस-खनन/2022-23 दिनांक 02 जनवरी, 2023, र-715/तीस-खनन/2022-23 दिनांक 15 दिसम्बर 2022, पत्र संख्या र-1002(1)तीस-खनन/2022-23 दिनांक 01 जनवरी, 2023 के अनुपालन में पत्रांकों के साथ संलग्न शिकायती पत्रों में की गयी शिकायतों के सम्बन्ध में आज दिनांक 18.03.2023 को ग्राम बजेता पटटी बांसबगड तहसील तेजम जिला पिथौरागढ में श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौटी बी-54 जज फार्म, छोटी मुखानी, हल्द्वानी जिला नैनीताल को स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण राजस्व विभाग, भूतत्व, एवं खनिकर्म विभाग पिथौरागढ तथा वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

खनन पटटाधारक द्वारा बिना अनुमति के 500 मी0 लम्बी सडक राज्य सरकार की भूमि में खनन स्थल तक मशीनें इत्यादि ले जाये जाने हेतु काटी गयी है तथा उक्त सम्बन्ध में पटटाधारक द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज दौराने जांच प्रस्तुत नहीं किया गया है।

खनन पटटाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 40 मी0 लम्बाई एवं 15 मी0 चौडाई कुल 600 वर्ग मी0 क्षेत्र में खनन कार्य किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कार्य किये जाने के सम्बन्ध में अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

खनन पटटाधारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर मोटर मार्ग निर्माण के दौरान एवं खनन क्षेत्र में बिना किसी अनुज्ञा के चीड व शश्य प्रकार के वृक्षों का कटान भी किया गया है। मौके पर उपस्थित वन विभाग के प्रतिनिधि, वन दरौगा द्वारा उक्त सम्बन्ध में विभागीय जुर्म अधिरोपित कर कार्यवाही कर लिया जान अवगत कराया गया है।

खनन पटटाधारक द्वारा खनन कार्य के दौरान निकले हुए मलवे को ढालदार स्थल पर डाला गया है जिससे मलवा बहकर निकटस्थ भुजगड नदी में आने के कारण नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। खनन क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्व निर्मित सिंचाई गूल वर्तमान समय में निष्प्रयोज्य है। खडिया खनन का मलवा ढालदार जगह पर डाले जाने के कारण जल स्त्रोत प्रभावित होना स्वाभाविक है।

खनन पटटाधारक द्वारा खनन कार्य के दौरान निकाले गये मलवे को ढालदार स्थल पर डाल दिये जाने के कारण स्वीकृत क्षेत्र के बाहर निर्मित पैदल मार्ग अवरूद्व होना पाया गया।

वर्तमान में किये जा रहे खनन स्थल से प्राथमिक विद्यालय बजेता की दूरी 75 मी0 है।

पटटाधारक प्रतिनिधि को स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर खनन कार्य बन्द किये जाने एवं नियमानुसार स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत ही खनन कार्य किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

राजस्व उप निरीक्षक,
बांसबगड

राजस्व निरीक्षक
बांसबगड

अधिकारी सर्वेक्षक,
भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाइ,
पिथौरागढ

वन दरोगा,
नाचनी

तहसीलदार
तेजम

संलग्नक-12

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी मुनस्यारी

Mail Id:- rengeofficemunsyari@gmail.com

पत्रांक 1396/ 18-1 दिनांक, मुनस्यारी 15 मार्च, 2023

सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बेरीनाग

विषयः— रेंज केस संख्या—14/मुन0/2022—23 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन पंचायत बजेता में अवैध रूप से राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र नन्दन सिंह दफौटी द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर अवैध सड़क निर्माण करना/चीड़ हरे खड़े पेड़ों को अवैध रूप से क्षति पहुंचाने पर एच—2 केश महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :— एच—2 की प्रति।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
मुनस्यारी

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी
मुनस्यारी

Scanned with OKEN Scanner

3.3 [illegible] 12

पृष्ठ सं०- 01

[illegible] 11/[illegible]

वन विभाग उत्तराखण्ड वन उ०क्षे० अल्मोड़ा रेंज पिथौरागढ़

वन अपराध भा० व० अ० 1927 प्रसूचना सं० 04 दिनांक 15-03-23 रेंज मुनस्यारी की धारा 32, 33

1- नाम/पिता का नाम राजेन्द्र सिंह दफौटी S/o नन्दन सिंह दफौटी, B-54 फार्म छोटी मुखानी हल्द्वानी जि०ना०- नैनिताल

2- साक्षी का नाम जसवन्त सिंह देउपा वनवीट अ० मलिया, रमेश सिंह (वनदरोगा)

3- कथित अपराध का पूरा विवरण और भा० व० अ० 1927 की धारा-32, 33
दिनांक 15-03-2023

4- मूल्य रु 21778.00

5- चालान एवं अनुसन्धान

6- प्रसूचना के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख आज दि०15-03-23 को ग्राम पंचायत बजेता के ग्रामीणों द्वारा खड़िया खनन क्षेत्र में चीड़ के पेड़ों का अवैध पातन के संबंध में सूचना मिलने पर वन विभाग से वन दरोगा श्री रमेश सिंह व मैं बजेता खड़िया खनन क्षेत्र में गये जिस दौरान मौके पर पाया कि बजेता क्षेत्र में खड़िया खनन का कार्य चल रहा है इस संबंध में खनन क्षेत्र में एक व्यक्ति दिखाई दिया उससे पूछताछ करने पर जानकारी में आया कि वही खड़िया खनन का कार्य करवा रहे हैं उसके द्वारा अपना नाम कुवर सिंह कोरंगा पुत्र हयात सिंह ग्राम+पोस्ट सामा तहसील कपकोट जिला बागेश्वर बताया तथा यह भी बताया कि यह कार्य राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र नन्दन सिंह दफौटी, B-54 फार्म छोटी मुखानी हल्द्वानी जिला नैनिताल के नाम खड़िया खनन पट्टा स्वीकृत है, मौके पर देखा गया कि सामा-बजेता मुख्य मोटर मार्ग से खनन क्षेत्र लगभग 200 मी० दूरी पर स्थित है किन्तु खनन क्षेत्र में आवागमन हेतु मार्ग न होने के कारण उक्त पट्टाधारक द्वारा सिविल वन क्षेत्र व वन पंचायत बजेता की वन भूमि में अवैध रूप से खुदान कर स्वीकृत पट्टा स्थल (नाप भूमि) तक अवैध रूप से खुदाई कर सड़क के निर्माण हेतु 500 मी० लम्बी तथा 4 मी० चौड़ाई में घुमावदार सड़क निर्माण किया गया, जिसकी जानकारी लेने पर स्थल में उपस्थित व्यक्ति द्वारा कोई वैध दस्तावेज वन विभाग को उपलब्ध नही कराये, तथा उक्त सड़क खुदाई से उत्सर्जित मलबे को नीचे की ओर वन पंचायत बजेता वन भूमि (20 मी० ल० x 15 मी० चौ०) क्षेत्र में फैलाया गया जिसके कारण सिविल व वन पंचायत बजेता में चीड़ के हरे खड़े P.T. व छोटे पेड़ों को नुकसान पहुंचा।

A1

उपरोक्त पट्टाधारक द्वारा सड़क निर्माण के लिए लगभग 500 मी० x 4 मी० = 2000 वर्ग मीटर तथा मलवे से लगभग 300 वर्गमीटर सहित कुल 2300 वर्गमी० या 0.23 है० वन क्षेत्र का नुकसान कर अवैध कार्य किया गया और नाप भूमि में स्वीकृत खनन से उत्सर्जित मलवे को पट्टा धारक द्वारा अवैध रूप से वन पंचायत बजेता की वन भूमि में डम्पिंग स्थल बनाकर फैलाया गया जिससे लगभग 50 मी० लम्बी तथा 10 मी० चौ० के ढलानी खेत को भी प्रभावित किया तथा खनन के मलवे से 500 वर्गमीटर या 0.05 है० वन भूमि प्रभावित हुई और खनन के मलवे से चीड़ के पेड़-पौधों को क्षति पहुंची, जिसमें 0-10cm व्यास गोलाई के 40 पेड़, 10-20cm व्यास गोलाई के 30 पेड़ व 20-30cm व्यास गोलाई के 10 पेड़ों को क्षति पहुंची,

उपरोक्त के आलोक में कुल मिलाकर 0.28 हेक्टेयर वन भूमि में अवैध कार्य होना पाया गया तथा कुल शस्य व छोटे पेड़ों की संख्या 70 व बड़े चीड़ के पेड़ों की संख्या 10 को क्षति पहुंचाई गई।

उक्त अवैध कार्य के अनुसार निम्न प्रकार मूल्य निर्धारित किया जाता है।

1- 0.28 है० वन भूमि NPV दर = 281458 रु०

2- 20-30cm व्यास गोलाई के 10 पेड़ों की दर = 40320 रु०

कुल = 321778 रु०

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित।

उ० प्र० वा० बेरीनाग की सेवा में मय केस सूचनार्थ प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी
मुनस्यारी

प्रशान्त सिंह देउपा
वन्य० अ०
मालीपाना

फार्म संख्या ई – 3

"उत्तरी कुमाऊँ"

वन विभाग, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड

पुस्तक संख्या– 942 क्रम संख्या– 094159

रेंज मुनस्यारी वन प्रभाग पिथौरागढ़ वर्ष 200[illegible]

श्री राजेन्द्र सिंह दफौती पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौती पता E–54 कामा होली मल्लीगाँव हल्द्वानी से रूपया 105000.00 (अंकों में) रूपया एक लाख पाँच हजार मात्र (शब्दों में) दिनांक 18-3-2023 को [illegible] सं० 14/ मुनस्यारी/2022-23 के भुगतान का प्राप्त किया।

[illegible]

दिनांक 18-3-2023

[illegible]

संलग्नक-13

कार्यालय भूवैज्ञानिक
भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
जिला टास्क फोर्स, पिथौरागढ़

पत्रांक : 17 /जि0टा0फो0–पिथौ0/खनन/भू0निरी0/2018–19 दिनांक : 25-04-2018

सेवा में,

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़।

विषय : **जनपद पिथौरागढ़, तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 क्षेत्रफल नाप भूमि/बेनाप भूमि पर आवेदक मै0 जे0डी0 मिनरल्स, प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र स्व0 श्री नन्दन सिंह दफौटी, निवासी बी0–54, जज फार्म, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2017 के सम्बन्ध में आवेदित भूमि की संक्षिप्त भूगर्भीय निरीक्षण के सम्बन्ध में:–**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0–72/तीससोपस्टोन खनन पटटा जांच/2017, दिनांक 16 अक्टूबर 2017 के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 क्षेत्रफल नाप भूमि/बेनाप भूमि पर आवेदक मै0 जे0डी0 मिनरल्स, प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र स्व0 श्री नन्दन सिंह दफौटी, निवासी बी0–54, जज फार्म, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2017 के सम्बन्ध में प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण गठित समिति के सदस्यों के प्रतिनिधियों एंव आवेदक की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया, मौके पर स्थलीय निरीक्षण के समय प्रस्तावित क्षेत्र के स्थल का सत्यापन श्री कुन्दन लाल, राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा खसरा मानचित्र के आधार पर कराया गया है। प्रस्तावित स्थल की भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आख्या निम्नवत् है:–

प्रभावित क्षेत्र तक पंहुच मार्ग तथा भौगौलिक स्थिति :–

प्रस्तावित सोपस्टोन खनिज के खनन पटटा हेतु आवेदित स्थल पिथौरागढ़–मुनस्यारी मोटरमार्ग पर स्थित नाचनी से बाजार से दांयी ओर जाने वाले मोटर मार्ग पर लगभग 15 कि0मी0 की दूरी पर स्थित बांसबगड़ तथा तत्पश्चात बांसबगड़ के ड़ाउनहिल दिशा में स्थित भुजगाड़ के अपस्ट्रीम दिशा में लगभग 03 कि0मी0 की दूरी पर भुजगाड़ के दांये किनारे पर पहाड़ी के अपहिल दिशा में ग्राम बजेता में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित स्थल में वर्तमान में बांसबगड़ से पैदल मार्ग द्वारा पंहुचा जा सकता है। प्रस्तावित स्थल पर कुछ स्थानीय प्रजाति के वृक्ष व तथा झाड़िया विधमान है। प्रस्तावित स्थल भौगोलिक दृष्टिकोण से समुद्र तल से लगभग 1441 मी0 की उंचाई पर निम्न अक्षांश व देशान्तर के मध्य स्थित है:–

उत्तर 29^0 56′ 53.2″ अक्षांश
पूरब 80^0 14′ 05.8″ देशान्तर

प्रस्तगत स्थल की चौहद्दी निम्नवत् हैः–

उत्तर दिशा में	–	पहाडी ढलाननुमा भूभागके बाद बरसाती नाला स्थित है।
दक्षिण दिशा में	–	पहाडी भूभाग के पश्चात ग्राम राया की सीमा स्थित है।
पूर्व दिशा में	–	डाउनहिल दिशा आवेदित स्थल से बाहर में भुजगाड़ स्थित है, जिसका समरेखण उत्तर 180^0 की ओर है।
पश्चिम दिशा में	–	अपहिल दिशा में कुछ आवासीय भवन स्थित है।

<u>क्षेत्रीय भूगर्भीय संरचना</u> :

बेरीनाग फॉरमेशन	क्वॉटजाईट मेटा क्वार्टजाईट, कौग्लोमेरिट फिलाईट
.....अन्कन्फरमिटी	
गंगोलीहाट डोलोमाईट	डोलोमाईट, लाईमस्टोन एल्गल संरचना के साथ डोलोमीटिक सोपस्टोन जिसमे टाल्क/टाल्कोज/फिलाईट व डोलोमाईट अन्तः संस्तरीय अवस्था में मिलती है।
.....अन्कन्फरमिटी	
सौर स्लेट	सेल, स्लेट ग्रेवेके एवं फिलाईट

जनपद पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र मुख्यतः लेसर हिमालय और मध्य हिमालय में अवस्थित चट्टानों की उत्पत्ति से निर्मित है। क्षेत्र में कई उत्पत्ति चक्रों में हुई विभिन्न टैक्टोनिक मूवमैन्ट के कारण क्षेत्र की भूवैज्ञानिक सरंचना अत्यधिक जटिलता लिये हुये है। जनपद पिथौरागढ़ में विभिन्न स्थान्तर्गत current bedded quartzite, mica talc schist, limestone-Dolomite, quartzite, granodiorite, augen-gneiss, आदि प्रकृति की चट्टानें विधमान है। जनपद का उत्तरी भाग जो अधिकांशतः हिमाच्छादित है कार्यान्तरित चट्टानों से निर्मित है जो कि मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय जोन का सेन्ट्रल क्रिस्टलाईन भाग थ्रस्ट शीट की तरह प्रदर्शित है जो कि विभिन्न टैक्टोनिक सैटिंग अवधियों के दौरान लेसर हिमालय जोन की metasedimentry व sedimetry चट्टानों के ऊपर अवस्थित है। सेन्ट्रल क्रिस्टलाईन जोन में मुख्यतः मिग्मेटाईट, माईका, नाईस , कौल्क नाईस, क्वार्टजाईट, मार्बल, माईका शिष्ट तथा एम्फीबोलाईट प्रकृति की चट्टानें पायी जाती है। जनपद पिथौरागढ़ का अधिकांश भाग geotectoniczone के अन्तर्गत आता है जिसे लेसर हिमालय कहा जाता है। लेसर हिमालय के अन्तर्गत मुख्यतः आवसादी सी शैल, मैटा अवसादी शैल, अन्तः संस्तरीय आग्नेय चट्टानों से निर्मित है।

स्थानीय भूगर्भीय संरचनाः–

प्रश्नगत क्षेत्र उपर्युक्त स्टेटोग्राफी में गंगोलीहाट डोलोमाईट सिक्वेंस के कार्बोनेट समूह की चट्टानों का एक हिस्सा है, जिसके अनुसार क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिजीकृत क्षेत्र अपर एवं लोअर कार्बोनेट के मध्य स्थित है।

अपर कार्बोनेट	.....	मैग्नेसाईट, स्पोरोडिक डोलोमाईट
मिडिल टाल्कोज फिलाईट	.....	टाल्क पाकेट्स में मिलता है।
लोअर कार्बोनेट	.....	डोलोमाईट/डोलोमाईट संस्तरण

आवेदित स्थल क्षेत्र में उपलब्ध टोपोग्राफी के अनुसार स्थल के डाउनहिल पूरब दिशा में पहाडी ढ़ाल की प्रवणता लगभग 55^0–60^0 तथा ढाल की दिशा उत्तर 100^0 की ओर है। जिसके डाउनहिल भाग पर भुजगाड़ प्रवाहित होती है जिसका समरेखण स्थल के निचले भागों में उत्तर 180^0 की ओर है। ग्राम बजेता के कुछ आवासीय भवन प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। आवेदित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय प्रजाति के वृक्ष तथा झाडिंया विद्यमान है। क्षेत्र में तथा आस–पास भू–धंसाव व भूस्खलन आदि वर्तमान में दृष्टिगोचर नहीं होते है। प्रस्तावित क्षेत्र के उत्तर दिशा में स्थित बरसाती नाले के किनारे वाले भागों की ओर कैल्कैरियस प्रकृति की चटटानों के निक्षेप दृष्टिगोचर होते है। प्रस्तावित क्षेत्र के पूरब भाग में स्थित पहाडी स्कार्पमेंन्ट में स्वस्थानें चट्टानें दृष्टिगोचर होती है, जो डोलोमीटिक /लाईमस्टोन प्रकृति की चट्टानें है। स्थल के उत्तर दिशा में स्थित बरसाती नाले के किनारे वाले भागों में कहीं–कहीं पर सोपस्टोन की पॉकेट/निक्षेप दृष्टिगोचर होते है, जो प्रस्तावित स्थल में मृदा के ओबरवर्ड़न के लगभग 01 से 1.5 मी0 मोटे आवरण के नीचे होना प्रतीत होता है। अर्थात क्षेत्र में सोपस्टोन/टॉल्क की उपलब्धता लैंन्स/पॉकेट के रूप में विद्यमान होना प्रतीत होती है।

प्रस्तावित क्षेत्र की वर्तमान टोपोग्राफिक स्थिति एवं उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार आवेदित स्थल में स्थित वृक्षों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा क्षेत्र में पर्यावरण की स्थिति को संतुलित रखने एंव स्थल को खनिज के उत्खनन से पश्चात सुरक्षित तथा संरक्षित रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों/उपायों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगाः–

सुझाव/शर्तेः–

1. खनन पटटा धारक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 (यथा समय–समय पर संशोधन सहित) में उल्लेखित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
2. आवेदित क्षेत्र के डाउनहिल दिशा में प्रवाहित होने वाली भुजगाड़ से नियमानुसार दूरी छोडकर खनन कार्य किया जाना होगा।
3. आवेदक सोपस्टोन उत्खनन कार्य के दौरान अपशिष्ट तथा वेस्ट मलवे का निस्तारण उचित स्थान पर करेगा तथा किसी दशा भी में मलवे का बहाव भुजगाड़ नदी तथा स्थानीय गदेरे में नहीं करेगा।
4. अपशिष्ट मलवे के निस्तारण हेतु आवेदित क्षेत्रान्तर्गत ही डम्पिंग जोन चयन किया जाना आवश्यक होगा, जिससे मलवा ढाल की दिशा में नही गिराया जाना होगा।

5. आवेदित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भवनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही सोपस्टोन उत्खनन कार्य किया जाना आवश्यक होगा।
6. यदि खनन कार्य किये जाते समय कोई भाग प्रभावित हो जाता है तो उक्त भाग को तत्काल सुरक्षा दीवारों द्वारा सुरक्षित किया जाना आवश्यक होगा।
7. आवेदित स्थल के उत्तर दिशा में स्थित बरसाती नाले से नियमानुसार उचित दूरी छोडकर ही खनन कार्य किया जाना होगा।
8. आवेदित क्षेत्र के अन्तर्गत यदि वन भूमि तथा राज्य सरकार की भूमि आती है तो उस क्षेत्र में खनन कार्य करने से पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदक भूस्वामियों की अनुमति के बिना उनकी भूमि में खनन कार्य नही करेगा।
10. पट्टाधारक अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही प्रस्तावित क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य करेगा।
11. आवेदक खनन कार्य के दौरान स्थल के प्रस्तावित स्थल एंव निकटवर्ती भागों में स्थित सार्वजनिक सम्पत्ति आवासीय भवन, सार्वजनिक स्थल , भवन आदि को हानि नही पहुंचायेगा।
12. आवेदक द्वारा खनन कार्य से निकलने वाले खनिज/खनिजों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जॉच हेतु भूवैज्ञानिक, पिथौरागढ़ को सूचित करना अनिवार्य होगा, जिससे क्षेत्र से निकलने वाले खनिज का ग्रेड तथा रॉयल्टी का उचित निर्धारण किया जा सके।
13. आवेदक द्वारा खनन कार्य किये जाने के समय यदि क्षेत्र में सोपस्टोन खनिज के साथ–साथ यदि कोई अन्य खनिज की भी उपलब्ध होने की संभावना होती है, तो उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय, भूवैज्ञानिक, पिथौरागढ को सूचित किया जाना होगा।
14. पटटा धारक सोपस्टोन उत्खनन कार्य के पश्चात क्षेत्र में खोदे गये पिटों तथा गड्ढो से खनिज निकालने के पश्चात गड्ढों को शीघ्र भरकर समतल करेगा व भूमि को कृषि योग्य बनायेगा जिससे क्षेत्र में भूस्खलन न हो तथा क्षेत्र स्थिर रह सके।
15. पर्यावरणीय स्थिति को संतुलित रखने के उद्देश्य से आवेदक अपनुपयोगी क्षेत्र/राजस्व क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करेगा।
16. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का पर्यावरणीय अनुमति एंव पर्यावरण एंव प्रदुषण विभाग से सी0टी0ओ0 प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त शर्तों के पूर्णत अनुपालन की दशा में ही उक्त क्षेत्र ही सोपस्टोन के उत्खनन कार्य हेतु भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से (दैवीय आपदा को छोडकर) उपयुक्त प्रतीत होता है। उक्त शर्तों के अनुपालन में भूगर्भीय निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

Pradeep 25/4/2018
(प्रदीप कुमार)
प्रा0सहा0–भूविज्ञान/प्रभारी अधिकारी
OIC

पत्रांक : 17 / जि0टा0फो0–पिथौ0/खनन/भू0निरी0/2018–19, तददिनांकित।
प्रतिलिपि– निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड़, भोपालपानी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

Pradeep 25/4/2018
(प्रदीप कुमार)
प्रा0सहा0–भविज्ञान/प्रभारी अधिकारी
OIC

संलग्नक-14

प्रेषक,

तहसीलदार,
तेजम।

प्रेषित,

थानाध्यक्ष,
नाचनी।

सख्या- 79 /जांच-पत्रावली/2022-23 दिनांक मार्च 2? 2023

विषय –मु0अ0 संख्या 07/22 धारा 420 भा0द0सं0 की वर्तमान प्रगति/कार्यवाही से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराया जाना है कि ग्राम बजेता में खनन से सम्बन्धित प्राप्त शिकायती पत्रों में वर्तमान में जांच गतिमान है। प्रकरण में गतिमान जांच हेतु थाना नाचनी अन्तर्गत पंजीकृत मु0अपराध संख्या 07/22 धारा 420 भा0द0सं0 बनाम् राजेन्द्र सिंह दफौटी में वर्तमान तक की गयी कार्यवाही/जांच प्रगति की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि थाना नाचनी अन्तर्गत दर्ज उक्त अपराध संख्या 07/22 में वर्तमान प्रगति/जांच से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि ग्राम बजेता खनन से सम्बन्धित जांच प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।

तहसीलदार,
तेजम।

रिपोर्ट P.S नाचनी जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड

मु0अ0सं0 07/22 धारा 420 IPC बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी में हस्तलेख मिलान (F.S.L) विधि विज्ञान अनुसंधान [illegible] भेजा गया है अभी रिपोर्ट अप्राप्त है। विवेचना [illegible] है।

रिपोर्ट [illegible] में प्रेषित है

थानाध्यक्ष
[illegible]

सेवा मे,

श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय
मुनस्यारी पिथौरागढ़।

विषयः- पत्र संख्या-ज्ञाप/फर्जी-हस्ताक्षर/2022 दिनांक मार्च 08, 2022 के सम्बन्ध मे ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि पत्र संख्या उपरोक्त का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो शिकायतकर्ता अनी राम निवासी ग्राम बजेता पो0 बांसबगड़ तहसील मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़ के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

महोदय उपरोक्त सन्दर्भ मे सादर अवगत कराना है कि दिनांक 09-03-2022 को अनी राम आदि द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार मु0 FIR NO 07/22 धारा 420 भादवि बनाम राजेन्द्र सिंह डफोटी पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त मामले की विवेचना प्रचलित है। कथित फर्जी हस्ताक्षरो का मिलान कराने की कार्यवाही दौराने विवेचना की जायेगी । विवेचना (Investigation) प्रचलित है। FIR की छायाप्रति संलग्न है।

आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है।

दिनांक 12-03-2022

(कंचन कुमार पडलिया)
उ0नि0
प्रभारी चौकी क्वीटी
थाना नाचनी
जनपद पिथौरागढ़

महोदय,
अग्रसारित है।

थानाध्यक्ष
थाना नाचनी
12/3/22
जनपद - पिथौरागढ़

11/2022 धारा 420 I.P.C थाना सुरजनगर [illegible]

पुलिस प्रपत्र [illegible]

मूल / द्वितीय / तृतीय प्रतिलिपि

369303 पृष्ठ संख्या

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

[illegible] पुलिस द्वारा संज्ञेय किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

जनपद मुरादाबाद

थाना सूरजनगर

[illegible] 11/2022

घटना का दिनांक व समय 09-03-2022

घटना का समय, तारीख, रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
09-03-2022 11:35 [illegible]	ग्राम [illegible] थाने से [illegible] 16 K.M. दिशा [illegible]	[illegible]

1- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	माल सहित अपराध तथा जो भी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तफतीश के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
(1) [illegible] (2) [illegible] मुरादाबाद	[illegible]	[illegible] धारा - 420 I.P.C	बाद जाँच अभियोग पंजीकृत किया गया। तफतीश [illegible] थाना [illegible] अनुसार [illegible]	तफतीश [illegible]

प्रथम सूचना पूर्ण [illegible]

[illegible]

09/03/2022

संलग्नक-15

चौर ज. वि. खतौनी, ग्राम-बजेला; प०-कांडाबाज; तह-तेजम; पिथौरागढ़

श्रेणी - 10(1)

खाता सं	खातेदार का नाम	पौ. अधिमाप वर्ष	खसरा नं	रकबा (है०) (है)	अन्य विवरण
41	सैली (राज्य सरकार)	1374 फ०	1	0.124	
			212	0.006	
			226	0.001	
			400	0.061	
			|	|	
			अंक	:	
			|	|	
			6	:	
			|	|	
			7409	0.068	
			7411	0.040	
			8202	0.038	
			8204	0.045	
			|	|	
			:	:	
			|	|	
			9629	0.911 (0.111)	
			9633	0.090	
			9688	0.075	
			9690	0.541	
			9692	0.790	
		योग	85	7.572	

मिलान, असल से नकल तैयार किया

R.S.S.
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र [illegible]
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

गैर ज़.वि. खतौनी ग्राम-बजेता, पट्टी-बांसबगा, तह-तेजम, पिथौरागढ़

श्रेणी - 9(3) 'ग' स्थायी पड़ावार भूमि

खाता सं	खातेदार का नाम	भौं अधिकार वर्ष	खसरा सं	रकबा (हे.) (हे.)	अन्य विवरण
38	गौचर (उत्तराखण्ड सरकार)	1374 फ०	2	1.014	
			399	0.669	
			469	1.054	
			598	1.430	
			⋮	⋮	
			4559	0.374	
			4596	0.289	
			4600	0.697	
			4715	0.219	
			⋮	⋮	
			9628	4.015	
			9635	3.133	
			9636	6.327	
			9642	0.189	
		योग	138	219.438	

प्रमाणित

असल से खतौनी नकल तैयार किया

R.S. [signature]

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षेत्र [illegible]

जिला [illegible]

संलग्नक-16

कार्यालय,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय,
जिला टास्क फोर्स न्यू टकाना कालोनी, निकट शिवमन्दिर,पिथौरागढ़।

पत्रॉक: 1435/भू0खनि0ई0पि0/खनन पट्टा/जॉच/2022–23. दिनॉक 21–03–2023

नोटिस

मै0जे0डी0 मिनरल्स,
प्रोप्राइटर श्री राजेन्द्र सिंह डफौटी,
बी–54,जज फार्म,छोटी मुखानी,
हल्द्वानी,जनपद नैनीताल।

विषय– ई–रवन्ना पोर्टल आई0डी0संख्या–MO62023894 निलम्बित् किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या–र–3424(2)/तीस–खनन/2022–23 दिनॉक मार्च 14,2023 द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गासिंह पवार एवं अन्य बनाम् राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा0राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 14–02–2023 को पारित आदेशों के अनुक्रम में गठित समिति में जिलाधिकारी महोदय की ओर से उप जिलाधिकारी मुनस्यारी को सदस्य के रूप में नामित करते हुये प्रश्नगत खदान क्षेत्र की जॉच हेतु दिनॉक 21–03–2023 की तिथि निर्धारित की गयी थी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आज दिनॉक 21–03–2023 को राजस्व विभाग,वन विभाग,खनन विभाग एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों की संयुक्त जॉच समिति द्वारा आपके पक्ष में ग्राम बजेता तहसील मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टाक्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया कि आपके द्वारा सीमॉकित् पट्टा क्षेत्र से बाहर सोपस्टोन का खनन कार्य किया जाना पाया गया है, जो खान एवं खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम ,1957 की धारा 4/21 का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ई–रवन्ना पोर्टल ई–रवन्ना पोर्टल आई0डी0संख्या–MO62023894 को अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से Suspend किया जाता है।

सूचना जानें।

भवदीय,
21.03.23
(राहुल नेगी)
खान निरीक्षक/
प्रभारी खान अधिकारी।

पृ0सं0– /(1) तद्दिनॉकित्
प्रतिलिपि, निम्नॉकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1– निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

21.03.23
(राहुल नेगी)
खान निरीक्षक/
प्रभारी खान अधिकारी।

संलग्नक-17

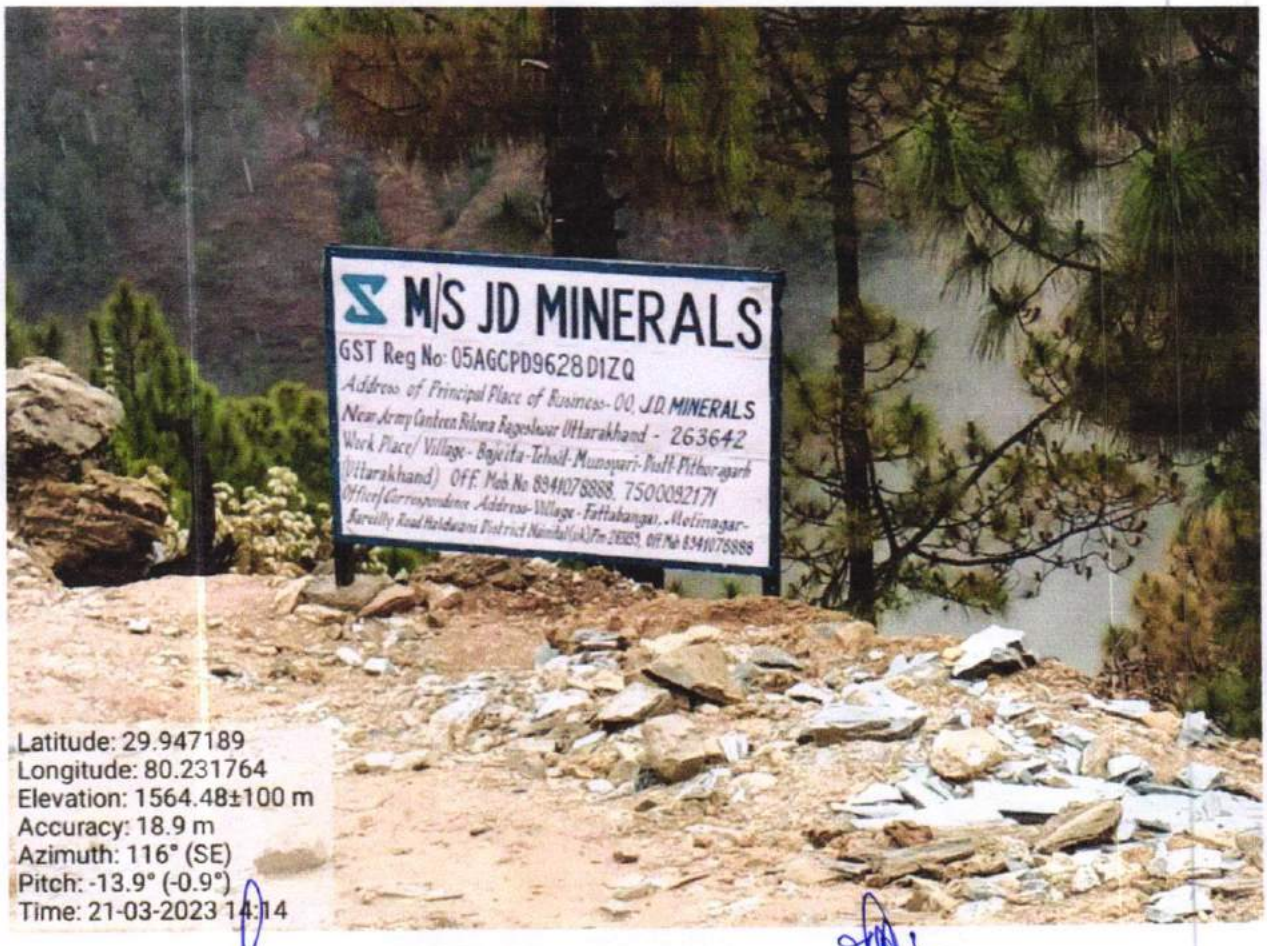

M/S JD MINERALS
GST Reg No: 05AGCPD9628D1ZQ
Address of Principal Place of Business- 00, J.D. MINERALS
Near Army Canteen Bilona Bageshwar (Uttarakhand - 263642
(Uttarakhand) OFF. Mob No 8941078888, 7500092171
Latitude: 29.947189
Longitude: 80.231764
Elevation: 1564.48±100 m
Accuracy: 18.9 m
Azimuth: 116° (SE)
Pitch: -13.9° (-0.9°)
Time: 21-03-2023 14:14

Latitude: 29.946678
Longitude: 80.231558
Elevation: 1514.09±100 m
Accuracy: 17.0 m
Azimuth: 163° (S)
Pitch: -130.0° (98.0°)
Time: 21-03-2023 14:06

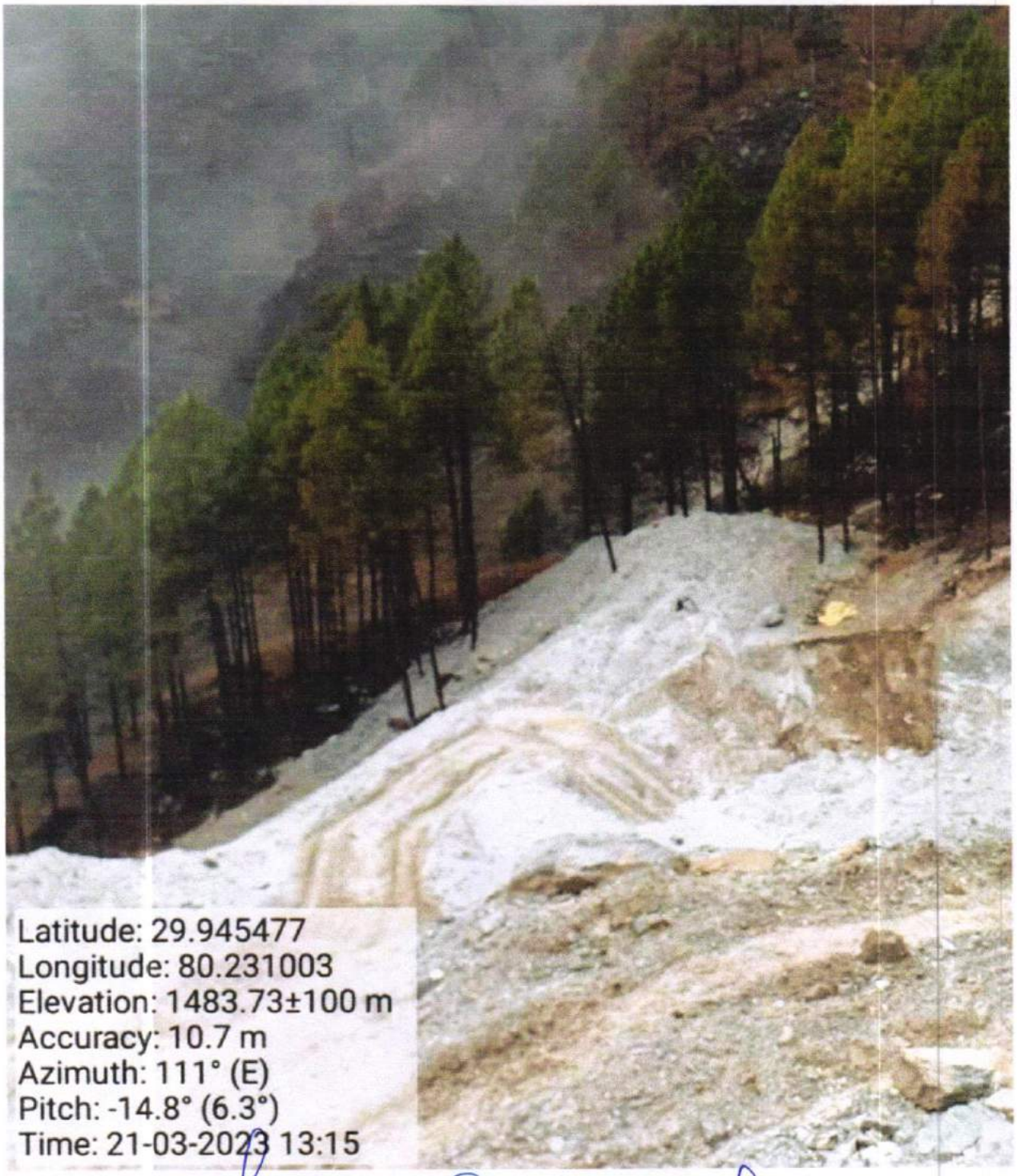
Latitude: 29.945477
Longitude: 80.231003
Elevation: 1483.73±100 m
Accuracy: 10.7 m
Azimuth: 111° (E)
Pitch: -14.8° (6.3°)
Time: 21-03-2023 13:15

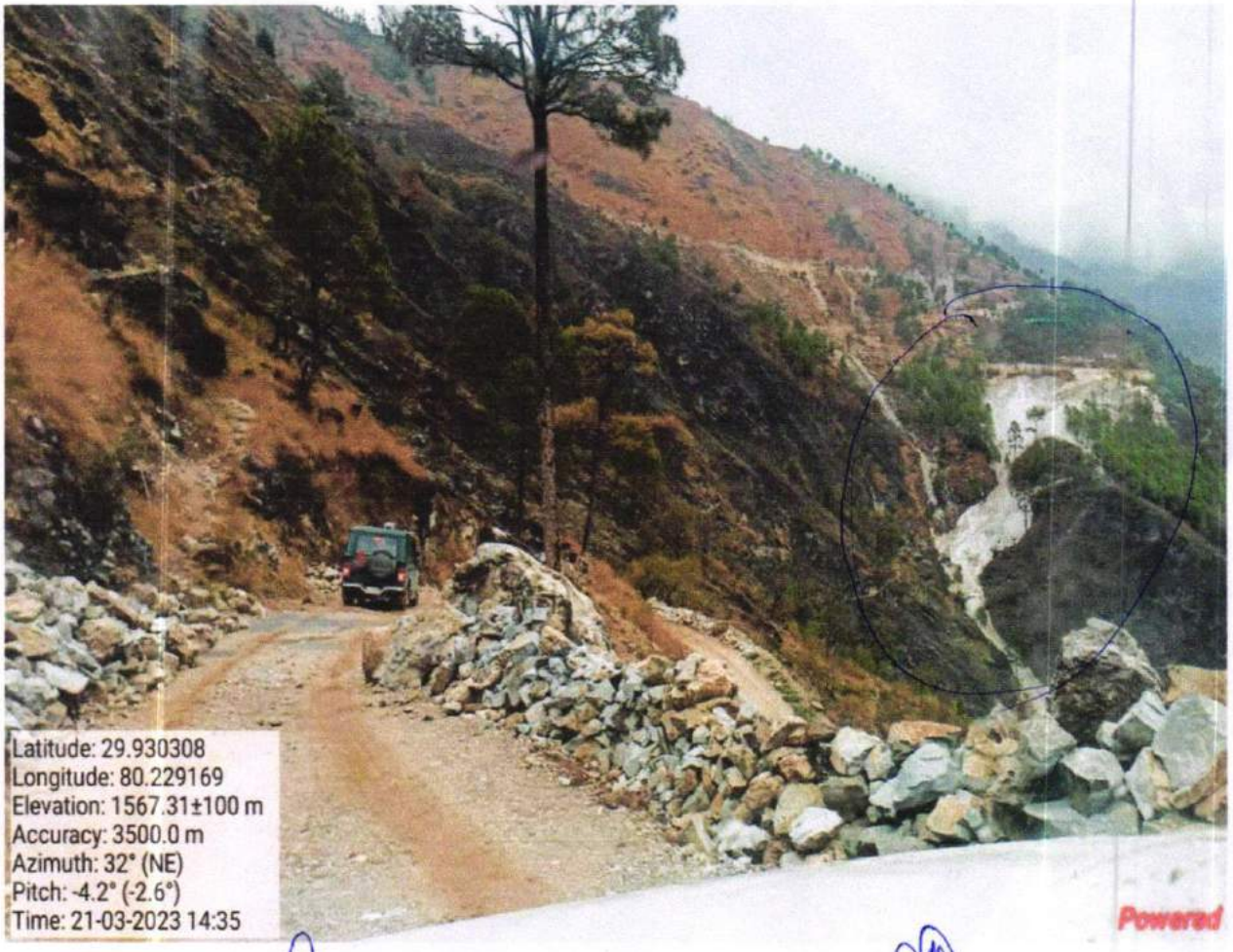
Latitude: 29.930308
Longitude: 80.229169
Elevation: 1567.31±100 m
Accuracy: 3500.0 m
Azimuth: 32° (NE)
Pitch: -4.2° (-2.6°)
Time: 21-03-2023 14:35
Powered